चतुर्थ माला, खंड 30, अंक 1
Fourth Series, Vol. XXX, No. 1

Wednesday, 23 July, 1969

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th

LOK SABHA DEBATES

[आठवां सत्र]

Eighth Session

Preservation Unit
17-7-92
Fumigated
On 31.1.84
Parliament Library

[खंड 30 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXX contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price: One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 3, बुधवार, 23 जुलाई, 1969/1 श्रावण, 1891 (शक)

No. 3, Wednesday, July 23, 1969/Sravana 1, 1891 (Saka)

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS			
ता० प्र० संख्या			
S.Q. Nos.			
61. ब्रिटेन में जाने वाले आप्रवासियों पर ब्रिटेन के उच्च आयोग द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध	British High Commission's Restrictions on Immigrants to UK	..	1—5
62. राज्य व्यापार निगम द्वारा किया गया आन्तरिक व्यपार	Internal Trade handled by STC	..	5—9
63. रूस तथा अन्य देशों को माल डिब्बों का निर्यात	Export of Rail Wagons to USSR and other Countries	..	9—15
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS			
ता० प्र० संख्या			
S. Q. Nos.			
64. दिल्ली को शुष्क पत्तन घोषित करना	Delhi as dry port		16
65. तमिलनाडु में सूती कपड़ा मिल पुनः चालू करना	Reopening of Textile Mills in Tamil Nadu	..	16—17
66. राजस्थान में कपड़ा मिलों का बन्द होना	Closure of Textile Mills in Rajasthan	..	17
67. स्टेनलेस स्टील चादरों, प्लेटों तथा सर्किलों के लिये आयात लाइसेंस	Import licences for stainless steel sheets, plates and circles	..	17—18
68. केरल में भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड का दूसरा कारखाना	Second Unit of Bharat Electronics Ltd. in Kerala	..	18

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
69. मलयेशिया के लिये भारतीय शस्त्रास्त्र	Indian Arms for Malayasia	18—19
70. सिंगापुर में रूसी नौसैनिक अड्डा	Soviet Naval Base in Singapore	19—20
71. ब्रिगेडियर डाल्वी द्वारा लिखित 'दी हिमालयन ब्लंडर' नामक पुस्तक	Brigadier Dalvis Book 'The Himalayan Blunder'	20—21
72. भारत में आने वाले तिब्बती शरणार्थी	Tibetan Refugees coming to India	21
73. अणु शक्ति का विकास	Development of Atomic Power	22
74. भारत-बर्मा सीमा का सर्वेक्षण	Survey of India-Burma Border	22—23
75. खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा कोयले की खरीद	Purchase of coal by Minerals and Metals Trading Corporation ..	23
76. परमाणु बिजली के विकास के लिये योजना	Scheme for Development of Atomic Power	23—24
77. हिमालय सीमा पर भारत की प्रतिरक्षा व्यवस्था	India's Defence set up on Himalayan Frontier ..	24
78. श्री विलियम रोजर्स की भारत यात्रा	Mr. William Roger's Visit to India ..	25
79. 1964 को भारत-श्रीलंका सन्धि ..	Indo-Ceylon Pact of 1964 ..	25—26
80. अमरीका और रूस द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रास्त्रों का सम्भरण	Supply of Arms to Pakistan by USA and USSR ..	26
81. सैंट्रल ट्रीटी आर्गनाइजेशन का सम्मेलन	Central Treaty Organization Conference ..	26—27
82. अनिवार्य निर्यात के बारे में अखिल भारतीय औषध तथा भेषज निर्माता संघ का सुझाव	All India Drugs and Pharmaceutical Manufactures Associations Suggestions re : Compulsory Export	27
83. अधिकृत नियंत्रकों के अधीन चलने वाले कपड़ा मिलों का कार्य संचालन	Working of Textile Mills under Authorised Controllers ..	28

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
84. सूडान में सैनिक क्रान्ति	Army Coup in Sudan ..	28—29
85. छोटा नागपुर और संथाल परगना का विकास	Development of Chotanagpur and Santhal Parganas ..	29
86. परमाणु क्षेत्र में पाकिस्तान और फ्रांस का सहयोग	Pak-French Collaboration in Atomic Field.. ..	29
87. सिख तीर्थ-यात्रियों को पाकिस्तान में ननकाना साहिब गुरुद्वारे की यात्रा करने की अनुमति	Permission to Sikh Pilgrims to Visit Nankana Sahib Gurdwara in Pakistan ..	30
88. आंध्र प्रदेश में ब्रिटेन की रायल एयर फोर्स द्वारा प्रशिक्षण अभ्यास	U. K. Royal Air Force Training Exercises in Andhra Pradesh ..	31
89. रूस के प्रधान मंत्री की पाकिस्तान की यात्रा	Soviet Prime Minister's Visit to Pakistan ..	31—32
90. वैमानिकीय समिति का प्रतिवेदन	Aeronautics Committee's Report	32
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
401. घटिया किस्म की वस्तुओं का अस्वीकृत किया जाना	Rejection of sub-standard goods	32—33
402. रूस तथा अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों से लिये गये तथा उन देशों को दिये गये ऋणों का अवमूल्यन के बाद पुनः मूल्य निर्धारण	Revaluation of Loans from and to USSR and other East European Countries after Devaluation ..	33
403. महाराष्ट्र में सूती कपड़ा मिलों का बन्द होना	Closure of Textile Mills in Maharashtra ..	33—34
404. सेना के लिये शराब की खरीद	Purchase of Alcoholic Drinks for Army ..	34—35
405. हथकरघा उद्योग	Handloom Industry	36
406. एक्सपो-70	Expo-70	36—37
407. भारत का आयात तथा निर्यात	India's Exports and Imports	37—38

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

408. गोआ में नौसेना प्रतिष्ठान के समक्ष कठिनाइयां	Difficulties experienced by Naval Installations in Goa	38—39
409. भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार के लिये स्थल मार्ग	Indo-Afghan Land Trade Route	39
411. कटनो स्थित आयुध कारखाने द्वारा अलौह धातु का बेचा जाना	Sale of non-ferrous scrap by Ordnance Factory, Katni	39—40
412. पटसन उद्योग में संकट	Crisis in Jute Industry	40
413. केरल और मैसूर में हथकरघा उद्योग	Handloom Industry in Mysore and Kerala..	41
414. चाय बोर्ड	Tea Board	41—42
415. चाय निगम की स्थापना	Setting up of Tea Corporation	42
416. पटसन उद्योग जांच समिति	Jute Industry Enquiry Body	42
417. नेपाल में औद्योगिक उपक्रम	Industrial Ventures in Nepal	43
418. अमरीका द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रास्त्रों की सप्लाई	Supply of Arms to Pakistan by USA	43—44
419. रेल माल डिब्बे, सवारी डिब्बे तथा इंजनों का विदेशों को निर्यात	Export of Railway Wagons/Coaches and Locomotives to Foreign Countries ..	44
420. पश्चिम एशिया में भारतीय राजदूतों का नई दिल्ली में सम्मेलन	Meeting of Indian Envoys in West Asia in New Delhi ..	45—46
421. प्रशासन में विशेषज्ञों तथा विशिष्ट ज्ञान प्राप्त लोगों का नियुक्ति	Incorporation of Specialists and Experts in Administration	46
422. चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आधुनिकतम साधनों की विकास	Sophisticated Development in Fourth Plan..	46—47
423. हस्तशिल्प बोर्ड के विकास आयुक्त के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Development Commissioner of Handicrafts Board	47—48
424. अमरीको विदेश मंत्री द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र देने के बारे में आश्वासन दिया जाना	Assurance by US Secretary of State for Supply of Arms to Pakistan	48—49

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

425.	मई, 1969 में राष्ट्रीय शोक के समय नई दिल्ली स्थित उत्तर कोरिया के दूतावास में झंडा न झुकाया जाना	Half Masting of Flags at North Korean Embassy New Delhi during State Mourning in May 1969 ..	49
426.	लन्दन में मैसूर के व्यापार प्रतिनिधि का कार्यालय	London Office of Trade Representative of Mysore ..	49—50
427.	गणतन्त्र दिवस समारोह में दिल्ली के महापौर और मुख्य कार्यकारी परिषद के लिये स्थानों का दिया जाना	Allotment of Seats to Mayor and Chief Executive Councillor of Delhi on Republic Day Celebrations	50
428.	मलयेशिया में भारतीय राष्ट्र-जनों की सुरक्षा	Protection of Indian National's in Malayasia	51—52
429.	भारत का विदेशों के साथ औद्योगिक सहयोग	India's Industrial Collaborations Abroad ..	52
430.	फिलिपाइन्स को जीपों का निर्यात	Exports of Jeeps to Phillipines	52—53
431.	मध्य प्रदेश में परमाणु शक्ति केन्द्र	Atomic Power Station in Madhya Pradesh	53
432.	रुपयों में भुगतान वाले देशों को निर्यात	Exports to Rupee Payment Countries	53
433.	भारतीय सेना का विस्तार	Expansion in Indian Army	53—54
434.	इथोपिया में भारतीय कर्मचारी	Indian employees in Ethiopia	54
435.	काश्मीर और फरक्का बांध के बारे में रूस का प्रस्ताव	Russian offer on Kashmir and Farakka Barrage	55
436.	कच्चे पटसन के समर्थन मूल्य	Support Price of Raw Jute	55—56
437.	भारत और पाकिस्तान के भू-अभिलेख तथा सर्वेक्षण विभागों का सम्मेलन	Conference of Directors of Land Records and Survey of India and Pakistan ..	56—57
438.	पाकिस्तान द्वारा भारतीय सम्पत्ति की बिक्री	Sale of Indian Property by Pakistan ..	57—58
439.	विद्रोही नागा नेता फिजो के लिये निशाने पाकिस्तान की उपाधि	Award of Nishane Pakistan to Rebel Naga Leader Phizo ..	58—59

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

440. पूर्वी सीमाओं पर राडार संचार व्यवस्था	Radar Communication System on Eastern Border ..	59
441. गर्म मसालों के निर्यात सम्बन्धी अध्ययन	Study on Export of Spices	59—60
442. छोटा नागपुर और संथाल परगना में विस्फोटक स्थिति	Volatile Situation in Chotanagpur and Santhal Parganas	60
443. छोटा नागपुर और संथाल परगना का विकास	Development of Chotanagpur and Santhal Parganas ..	60—61
444 पाकिस्तान द्वारा जब्त की गई भारतीय सम्पत्ति	Indian Property Seized by Pak	61—62
445. प्रतिरक्षा सलाहकार बोर्ड	Defence Advisory Board	62
446. भारतीय चल चित्र निर्यात निगम	Indian Motion Pictures Export Corporation	62—63
447. रूस तथा पश्चिम एशियाई देशों के साथ व्यापार का स्थल मार्ग	Land Trade Route to USSR and West Asia ..	63
448. वैदेशिक-कार्य मंत्री की नेपाल यात्रा	Visit by Minister of External Affairs to Nepal	64
449. भारत नेपाल संयुक्त सीमा आयोग	Indo-Nepal Joint Boundary Commission ..	64—65
450. अमेरिका के विदेश मंत्री का भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता का सुझाव	Suggestion by US Secretary of States for talks between India and Pakistan ..	65—66
451. पाकिस्तान की जेलों में भारतीय लोग	Indians in Pak Jails	66
452. गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन	Conference of Non-aligned Countries	66—67
454. आयुध कारखानों में सुपरवाइजरों/चार्जमैनों का स्थायीकरण	Confirmation of Supervisors/Chargeman in Ordnance Factories	67
455. हिन्द महासागर में चीन का दावा	Chinese Claim on Indian Ocean ..	68

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

अता० प्र० संख्या	विषय	Subject	Pages
456.	जम्मू तथा काश्मीर, राजस्थान और कच्छ में बसाये गये भूतपूर्व सैनिक	Ex-Servicemen Rehabilitated in Jammu and Kashmir, Rajasthan and Kutch ..	68
457.	वियतनाम की समस्या पर अमरीकी विदेश मंत्री के साथ बातचीत	Discussion with US Secretary of State in Vietnam Issue ..	69
458.	तिब्बतियों पर चीनियों के अत्याचार	Chinese Atrocities in Tibetans	70
459.	सैनिक सामान का उत्पादन	Production of Military Hardware	70
460.	रोडेशिया में श्री इयान स्मिथ सरकार	Mr. Ian Smith's Regime in Rhodesia	71
461.	शक्तिमान ट्रक	Shaktiman Trucks	71—72
462.	चीन द्वारा भारत पर आक्रमण की तैयारियां	Preparations by China for Attack on India ..	72
463.	मलयेशिया में अन्तर्राष्ट्रीय इस्लाम सम्मेलन	International Islamic Conference in Malayasia ..	73
464.	अखबारी कागज का आयात	Import of Newsprint ..	73—74
465.	रेयन ग्रेड पल्प तथा लम्बे रेशे के निर्माण के लिये संयंत्र तथा मशीनों का निर्यात	Export of Plant and Machinery for Manufacture of Rayon Grade Pulp and Staple Fibre ..	74
466.	सैनिकों के वेतनों में वृद्धि	Increase in Salaries of Soldiers	74—75
467.	मैसूर और केरल में हस्तशिल्प उद्योग	Handicraft Industry in Mysore and Kerala..	75
468.	टायरों के सौदे में गोलमाल	Tyre Deal Scandal	75—76
469.	गन एण्ड शैल फैक्टरी, काशीपुर	Gun and Shell Factory, Cossipore ..	76
470.	कानपुर में धातु मिश्रित इस्पात कारखाना	Alloy Steel Plant in Kanpur	76—77
471.	19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotion of Employees who participated in the 19th September, 1968 Strike ..	77

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

472. रूस द्वारा पाकिस्तान को हथियारों तथा विमानों की सप्लाई	Supply of Arms and Aircrafts to Pakistan by USSR ..	77—78
473. पूर्वी यूरोप के देशों को निर्यात	Export to East European Countries	78
475. विदेशों में व्यापार आयुक्त	Trade Commissioners Abroad	78—79
476. मंत्रियों से संबंधित अधिकारियों की विदेशों में भारतीय मिशनों में नियुक्ति	Officers belonging to Ministries posted to Indian Mission Abroad ..	79
477. भारतीय औद्योगिक विनियमों का उल्लंघन	Violation of Indian Industrial Regulations..	79
478. आप्रवासियों पर ब्रिटेन द्वारा लगाए गये प्रतिबन्ध	British Curbs on Immigrants	80
479. नागाओं से वार्ता	Talks with Nagas ..	81
480. मद्रास में परमाणु शक्ति संयंत्र	Nuclear Power Plant at Madras ..	82
481. कोरी फिल्मों के कोटे का आवंटन	Allocation of Quota of Raw Films ..	82
482. उत्तरी क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में सड़कों का निर्माण	Construction of Roads in Border Areas in Northern Region ..	83
483. सन्धियों के बारे में वियाना सम्मेलन	Vienna Conference on Treaties	83—84
484. पूर्व यूरोपीय तथा पश्चिम एशियाई देशों में भारत के व्यापार का भविष्य	Prospects for India's Trade in East Countries ..	84—85
485. ईरान में उद्योग की स्थापना	Setting up of Industries in Iran	85—86
486. परमाणु शक्ति से सस्ते ईंधन का उत्पादन	Production of Cheaper Fuel from Atomic Power ..	87
487. भारतीयों को विदेशी पुरस्कार/पारितोषिक	Foreign Awards/Rewards to Indians ..	87

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
488. जादुगुडा (बिहार) में भारतीय यूरेनियम निगम का उत्पादन एकक	Uranium Corporation of India's Production Unit at Jadugula (Bihar) ..	87—88
489. उड़ीसा के मुख्य मंत्री की अमरीका आत्रा	Orissa Chief Minister's visit to USA ..	88—89
490. बर्मा से भारतीय लोगों का निकाला जाना	Deportation of Indians from Burma ..	89
491. बर्मा के भारतीय किसानों का प्रधान मंत्री को ज्ञापन	Memorandum of Indian peasants in Burma to P. M. ..	89—90
492. महाराष्ट्र को स्टेनलेस स्टील का आवंटन	Allocation of Stainless steel to Maharashtra	90
493. अन्य देशों के द्वारा चीन को भारतीय माल का निर्यात	Re-export of Indian Goods to China ..	90—91
494. नेपाल से स्टेनलेस स्टील और हाथ से बुने कपड़ों के आयात पर रोक	Restrictions on Import of Stainless Steel and man made Fabrics from Nepal ..	91
495. चीन द्वारा अपनी परमाणु क्षमता का बढ़ाया जाना	Strengthening of Nuclear Position by China ..	92
496. चम्पारन की भूमि पर नेपाल का कब्जा	Land in Champaran under Nepalese occupation ..	92
497. ननकाना साहिब को वैटिकन के समान धर्म स्थान का दर्जा देना	Vatican status for Nankana Sahib	92—93
498. चौथी योजना में सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में धन लगाने सम्बन्धी प्रतिरूप	Pattern of investment between public and private sectors in Fourth Plan ..	93
499. संघ राज्य क्षेत्रों के लिये धन का नियतन	Allocation for Union Territories ..	93—94
500. मांजगांव डाक लिमिटेड	Mazagon Dock Ltd. ..	94—95
501. वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में सलाहकार समितियां	Advisory committees in Ministry of Foreign Trade and Supply ..	95—96

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

502. अमरीकी पत्रों में राष्ट्रपति के निधन के समाचार	News of President's Death in American Papers ..	96—97
503. परमाणु शक्ति कार्यक्रम	Atomic Energy programme ..	97
504. अन्तरिक्ष अनुसन्धान	Space Exploration ..	97
505. दूसरे राकेट प्रक्षेपण केन्द्र की स्थापना	Setting up of a Second Rocket Launching station ..	98
506. परमाणु शक्ति आयोग में विदेशी विशेषज्ञ	Foreigners in Atomic Energy Commission ..	98—99
507. तारापुर परमाणु शक्ति संयंत्र में दरारें	Cracks in Tarapur Power plant ..	100
508. पाकिस्तान के साथ बातचीत	Talks with Pakistan ..	100—101
509. श्रीहरिकोट द्वीप में राकेट छोड़ने का स्टेशन	Rocket launching station at Shri Harikota Island ..	101
510. प्रधान मंत्री की खान अब्दुल गफ्फार खां से भेंट	Meeting of Prime Minister with Khan Abdul Ghaffar Khan	102
511. कोसीपुर बन्दूक और गोला कारखाने में गोलीकांड की जांच	Inquiry into firing in Cossipore Gun and Shell Factory ..	102
512. हथकरघा वस्तुओं का निर्यात	Export of Handicrafts ..	103—104
513. तामिलनाडु में एन० सी० सी० के आदेशात्मक शब्दों का हिन्दी में होना	Command words in Hindi for NCC in Tamil Nadu ..	104—105
514. नाथूला क्षेत्र में भारत को चीन की चेतावनी	China's ultimatum to India in Nathu-La Sector ..	105
515. यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति को संदेश	Message to Yugoslav President ..	105
516. सिकन्दराबाद स्थित ए० ओ० सी० रिकार्ड आफिस में काम करने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	Scheduled castes/scheduled tribe Employees in AOC Record Office, Seconderabad ..	105—106

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

517.	भारत के निर्यात संवर्धन के लिये बोलरथ परियोजना	Vollrath Project for India's Export promotion ..	106
518.	विधि मंत्रालय के सचिव तथा विधि मंत्रालय में उप-मंत्री के बीच विवाद	Dispute between Secretary, Ministry of Law and the Deputy Minister of Law ..	107
519.	राष्ट्र मंडल को छोड़ना	Withdrawal from Commonwealth ..	107
520.	कोसीपुर गन एण्ड शेल फैक्टरी में गोली कांड की जांच	Enquiry into firing in Cossipore Gun and Shell Factory ..	108
521.	बम्बई के इंडिया यूनाइटिड मिल्स को सरकार द्वारा ऋण	Government loan to India United Mills of Bombay ..	108
522.	सिंध पाकिस्तान में साधु बेला आश्रम	Sadhu Bela Ashram in Sind Pakistan ..	109
523.	राष्ट्रवादी चीन सरकार को मान्यता प्रदान करना	Recognition to Nationalist Chinese Government ..	109
524.	चौथी पंचवर्षीय योजना में पिछड़े क्षेत्रों के लिये विशेष व्यवस्था	Special provision for Backward areas in Fourth Plan ..	109—110
525.	चौथी पंचवर्षीय योजना में पिछड़े क्षेत्रों का विकास	Development of backward areas during Fourth Plan ..	110
526.	विदेशों में भारतीय दूतावासों में मितव्ययिता	Economy in Indian Missions Abroad ..	110
527.	पटसन तथा पटसन उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की स्थित का मूल्यांकन	Evalution of Indian's position in World Trade in Jute and Jute products ..	110—111
528.	कन्ननूर, केरल में डी० एस० सी० सैंटर को दूध की सप्लाई	Supply of milk to DSC Centre at Cannanore (Kerala) ..	111
529.	पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई	Supply of Arms to Pakistan ..	112
530.	सिलघाट (आसाम) में पटसन की मिल	Jute Mill at Silghat (Assam) ..	112—113

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

531.	विदेशों में भारतीय राजनयिकों के निवास स्थानों की मरम्मत	Repairs of Indian Diplomats Houses Abroad	.. 113—114
532.	सीमेन्ट का निर्यात	Export of Cement	.. 114—115
533.	शहद का निर्यात	Export of Honey	116
534.	भारतीय नौसेना के जहाजों में टक्कर	Collision between Indian Naval Ship	.. 116—117
535.	रिजर्व प्रतिरक्षा कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि	Increase in pensions of reserve Defence personnel	117
536.	भारतीय सैनिक अकादमी परीक्षा में बैठने के लिए पात्रता	Eligibility for Admission to Indian Military Academy Examination	118
537.	मैसर्स डांढा इंजीनियरर्स (प्राइवेट) लिमिटेड फरीदाबाद को दिए गए ठेके	Contracts placed on M/s Dhanda Engineers (P) Ltd. Faridabad	.. 118
538.	रेलवे के माल डिब्बों, सवारी डिब्बों तथा इंजनों का निर्यात	Export of Rail Wagons, coaches and Engines	.. 119
539.	मछली तथा मछली तेल का निर्यात	Export of Fish and code liver oil	.. 119
540.	भारत में वियतनाम लिब्रेशन फ्रंट का कार्यालय	Vietnam liberation front office in India	.. 119—120
541.	चमड़ा और चमड़े की बनी वस्तुओं का निर्यात	Export of leather and leather goods	.. 120
542.	जिब्राल्टर में भारतीयों को मताधिकार का प्रयोग करने से मनाही	Denial of voting rights to Indians Gibralter	.. 121
543.	संयुक्त राष्ट्र में जिब्राल्टर के मामले पर भारत द्वारा मतदान में भाग न लेना	India Abstaining from voting in UNO on Gibralter	.. 121
544.	सिल्क एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स एसोसियेशन लिमिटेड	Silk and Art Silk Mills Association Limited, Bombay	.. 122
545.	दक्षिण वियतनाम का नेशनल लिब्रेशन फ्रंट	National Liberation Front of South Vietnam	.. 122—123

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

अता० प्र० संख्या / U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
546.	पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के प्रयोग के लिये विदेशी मदिरा तथा अन्य वस्तुओं का आयात	Import of foreign wines and other Articles for use of Governor of West Bengal ..	123
547.	दिल्ली छावनी के लिये झुग्गी झोपड़ी योजना	Jhuggi Jhonpri scheme for Delhi Cantonment ..	124
548.	सेना में पुराने नियमों को जारी रखना	Continuation of old Rules in Army ..	124
549.	छावनी बोर्ड	Cantonment Boards ..	124—125
550.	सहकारिता के आधार पर निर्माण-कार्य के लिये भूतपूर्व सैनिकों की सहायता	Assistance to Ex-servicemen for construction work on cooperative Basis ..	125
551.	भूतपूर्व सेनाध्यक्ष की पत्रकारों के साथ बातचीत	Former Chief of Army Staff's Interview with the Press ..	125—126
552.	प्रधान मंत्री की अफगानिस्तान की यात्रा	Prime Minister's visit to Afghanistan ..	126
553.	जापान को सिलाई की मशीनों के पुर्जों का निर्यात	Export of sewing Machine components to Japan ..	126—127
554.	मेंढक की टांगों का निर्यात	Export of Frog Legs ..	127
555.	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को दिये गये भारतीय वायु सेना के विमान चालक	I.A.F. Pilots placed at the disposal of IAC ..	127—128
556.	नाइजीरिया में भारत नाइजीरिया के सहयोग से सेफ्टी रेजर ब्लेड बनाने के कारखाने की स्थापना	Indo-Nigerian collaboration in setting up safety razor blade Factory in Nigeria ..	128
557.	रेशमी कपड़े का निर्यात	Export of silk Fabrics ..	128—129
558.	भारत का व्यापार संतुलन	India's Balance of trade ..	129—130
559.	भारत गियाना व्यापार वार्ता	Talks on Indo Guyana Trade ..	130
560.	मंडी में ग्रीष्म ऋतु समारोह	Summer Festival at Mandi ..	131
561.	रूसी प्रधान मंत्री की रावलपिंडी की यात्रा	Soviet Prime Minister in Rawalpindi ..	131—132

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
562. सैनिक स्कूल	Sainik School	.. 132—133
563. सैगोन में अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग का कार्य	Functioning of ICC in Saigon	.. 133
564. मध्य प्रदेश के लिए योजना परिव्यय	Plan Outlay for Madhya Pradesh	.. 133
565. जापान को लौह-अयस्क का निर्यात	Export of iron ore to Japan	.. 134
566. तारापुर यूरेनियम कुओं में त्रुटियां	Defects in Tarapur Uranium wells	.. 134
567. हनोई और सैगोन की विदेशी सचिव की यात्रा	Foreign Secretary's Mission to Hanoi and Saigon	.. 135
568. मई-जुलाई 1969 में प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा	P.M's. Tours abroad during May, July 1969	.. 135—136
569. चिल्का झील में नौसैनिक प्रशिक्षण संस्था	Naval training institute at Chilka lake	.. 136
570. पश्चिम एशिया का मामला	West Asia Issue	.. 136
571. भारत द्वारा चीन रूस विवाद को निपटाने के प्रयास	Efforts by India to Resolve Sino-Soviet Conflict	137
572. ब्रिटेन को सूती कपड़े का निर्यात	Export of Textiles to U.K.	.. 137
573. भारत-जापान व्यापार	Indo-Japan Trade	.. 137—138
574. गाजियाबाद में इलेक्ट्रानिक कारखाना	Electronic Factory at Ghaziabad	.. 138
575. बोरधा (मध्य प्रदेश) में चांदमारी क्षेत्र	Fire testing range at Bordha (M.P.)	.. 138—139
577. मेवा के आयात के लिये लाइसेंस	Licences for import of dry fruits	139
578. रेफ्रीजरेटरों का निर्यात	Export of Refrigerators	.. 140
579. राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात	Exports by State Trading Corporation	.. 140

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
580. रूस के विदेश मंत्री की रावलपिंडी की यात्रा	Soviet Foreign Minister in Rawalpindi ..	140—141
581. मैसूर से लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore from Mysore ..	141
584. निशान जीपों तथा ट्रकों का निर्माण	Production of Nissan Jeeps and Trucks ..	141—142
585. दिल्ली की एक फर्म द्वारा तम्बुओं की सप्लाई के बारे में जांच	Enquiry into supply of tents by a Delhi Firm ..	142—143
586. हथकरघा उद्योग	Handloom Industry	143
587. लन्दन हवाई अड्डे पर भारतीय व्यापारी को नजरबन्द करना	Detention of Indian Businessman at London Airport ..	143—144
589. पाकिस्तान तथा ट्यूनीसिया द्वारा जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति	Joint Communique issued by Pakistan and Tunisia ..	144
590. जाली निर्यात	Bogus Exports ..	144—145
591. यूरेनियम की खानें	Uranium Mines ..	145
592. हैदराबाद में न्यूक्लीयर ईंधन उद्योग समूह	Nuclear fuel complex in Hyderabad ..	145—146
594. समाचार सम्मेलन में सचिवों की उपस्थिति	Presence of Secretaries in press conference ..	146
595. नेपाल द्वारा चीन से आयात किये जाने वाले सामान को उतारना	Unloading of goods imported by Nepal from China ..	146
596. पटसन उद्योग का लागत ढांचा	Cost structure of jute Industry ..	147
597. विदेश मंत्री की अमरीका यात्रा	Foreign Minister's visit to USA ..	147—148
598. डा० धर्म तेजा के विरुद्ध प्रत्यर्पण कार्यवाही	Extradition proceedings againts Dr. Dharma Teja ..	148
599. भारतीय माल का निर्यात	India's Exports ..	148—149
600. भारतीय वस्तुओं का पुनर्निर्यात।	Re-export of Indian goods ..	149

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अतारांकित प्रश्न संख्या 2680 के उत्तर में शुद्धि	Correction of answer to unstarred Queston No. 2680 ..	149
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
केरल के मुख्य मंत्री श्री ई० एम० एस० नम्बूदिरीपाद और श्री ए० के० गोपालन संसद सदस्य द्वारा दिया गया कथित वक्तव्य	Reported Statement by Shri EMS Nomboodaripad, Chief Minister of Kerala and Shri A. K. Gopalan, M.P. ..	149—154
श्री शिवप्पा	Shri Shivappa ..	149—150
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla ..	152
लोक सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष डा० नी० संजीव रेड्डी की ओर से धन्यवाद पत्र	Letter of Thanks from Dr. N. Sanjiva Reddy, Ex-Speaker, Lok Sabha ..	154
सभापति तालिका	Panel of Chairmen ..	155
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	155—156
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
पचासवां प्रतिवेदन	Fiftieth Report ..	156
विधेयक पुरःस्थापित—	Bills introduced—	
(1) नियन्त्रक महा-लेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) विधेयक और	i) Commptroller and Auditor-General's (Duties, powers and Conditions of Service) Bill ; and ..	156
(2) करारोपण विधियों (संशोधन) विधेयक, 1969 बैंकों इत्यादि के राष्ट्रीयकरण के बारे में भारतीय रेलवे (दूसरा संशोधन) विधेयक	ii) Taxation laws (Amendment Bill, 1969 Re : Nationalisation of Banks, etc. Indian Railways (Second Amendment) Bill ..	157, 159—163
खण्ड 3, 4 और 1	Clause 3, 4 and 1 ..	161—163
पारित करने का प्रस्ताव संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended ..	161—163
श्री नम्बियार	Shri Nambiar ..	159—160
डा० राम सुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh ..	160—163
विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक	Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill ..	163—176
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider ..	163

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	.. 163—164
श्री रंगा	Shri Ranga	.. 164, 170—171
श्री वेदब्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	.. 164—165
श्री यज्ञदत्त शर्मा	Shri Yajna Datt Sharma	.. 165
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा	Shri Inder J. Malhotra	.. 165—166
श्री नम्बियार	Shri Nambiar	.. 166—167
श्री गुणानन्द ठाकुर	Shri Gunanand Thakur	.. 167
श्रीमती इला पालचौधरी	Shrimati Ila Palchoudhari	.. 167—168
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey	.. 168—169
श्री क० लकप्पा	Shri K. Lakappa	.. 169—170
खण्ड 2, 3 और 1	Clause 2, 3 and 1	.. 172
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	.. 172
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	.. 173
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	.. 173
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	.. 173, 174—175
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा	Shri Inder J. Malhotra	.. 175
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar	175
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	176
कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) संशोधन विधेयक	Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Amendment Bill	.. 176—182
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider as passed by Rajya Sabha	176
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao	.. 176—177
श्री सूरज भान	Shri Suraj Bhan	177
श्री महाराज सिंह भारती	Shri Maharaj Singh Bharati	.. 178
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavtar Shastri	.. 178
श्री फ० गो० सेन	Shri P. C. Sen	.. 178—179
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar	.. 179

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
खण्ड 2,3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	.. 180—181
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended	.. 182
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao	.. 179—182
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goyal	.. 182
दण्ड तथा निर्वाचन विधियां संशोधन विधेयक	Criminal and Election laws Amendment Bill	.. 182—183
विचार करने का प्रस्ताव, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	Motion to consider, as reported by Joint Committee	.. 182
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	.. 182—183

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 23 जुलाई, 1969/1 श्रावण, 1891 (शक)
Wednesday, July 23, 1969/ Sravana 1, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

British High Commission's Restrictions on Immigrants to U. K.

*61. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the British High Commission in India do not recognise the Passports issued by the Government of India but demands further proofs to verify the facts given therein and thus showing disrespect openly to the Government of India ;

(b) whether the British High Commission in India has written to the Airlines and Travel Agents in India that any Commonwealth citizen who wishes to settle in Britain must arrive with an Entry Certificate ; and

(c) if so, the reaction of Government in this regard and efforts made to improve the situation ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि ब्रिटेन के उच्चायोग ने भारत सरकार द्वारा जारी किए गए पारपत्रों को मान्यता नहीं दी है।

(ख) जी हां, पत्र उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में है जो वहां के एक निवासी के आश्रित, सम्बन्धी के रूप में इंगलैण्ड में बसने के लिए जा रहे हैं।

(ग) किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व हमें इन नियमों के संचालन पर निगरानी रखनी पड़ेगी कि जिस उद्देश्य के लिए ब्रिटेन की सरकार ने इनको लागू किया बताया है क्या इनसे वास्तव में वे उद्देश्य पूरे होते हैं ।

Shri Om Prakash Tyagi : Mr. Deputy Speaker, I am pained to hear the reply given by Government. A country like India must have self-respect and dignity in the world, but the position is quite different. The Hon. Minister has stated that he has no information. But in reality such things are happening daily in the office of the British High Commissioner. He can get this matter investigated into the passports which are issued here and documents passed by our Government are thoroughly rechecked in the British High Commissioner's office and they require proof for the facts already verified. I can give proof to the Hon. Minister for this matter. A gentleman went there for getting a certificate issued in favour of his mother but he was asked to give a proof of the date of marriage and his parents and that he should submit a certificate to this effect. This kind of certificate was asked from that gentleman by the British High Commission in India. I may quote one more example; that there was an editorial in the Statesman by Dr. Bhalla. Dr. Bhalla stated in that editorial that he had a Visa. On his way to Canada he wanted to stay for 2 hours in a London Airport so that he could see his sister, but the British authorities refused to allow him to stay there. I want to know the reasons why he was not permitted, and whether the Hon. Minister has received any such complaint in this matter and whether Government of India has investigated this matter from British Government, in case the complaint had been made, what reply Government of India has received ?

Shri Surendra Pal Singh : The Hon. Member appears to be confused a bit. This is not a question of passport. Passports issued by Government of India to Indian Citizens are duly recognised by the British High Commission. Moreover they make enquiry or investigation in the case of those people who want to settle themselves there. British High Commission get additional information from immigrants of U. K. in order to verify certain facts. As I said, the Hon. Member has become confused in this regard.

So far as the case of Mr. Bhalla is concerned, the position is that when Mr. Bhalla went to London the immigration authorities became doubtful that he came there to settle in Britain and not for short term stay. On making inquiries they came to know that Mr. Bhalla had one way air ticket for Canada. The rule is that only those people can go there who have got return ticket for going to Canada from here, but as he had no return ticket the authorities in London became doubtful. Sccond thing of their becoming doubtful is that he wanted to settle there and he adopted a rout to Canada Via Brussels and this rout is for illegal immigrants to U. K. Dr. Bhalla did not adopt normal rout, and therefore this was one of the reasons of their becoming doubtful. Inspite of this some words of a letter from his sister, which he had aroused certain doubts in their minds. He was advised through that letter that he should say to the immigration authorities there that he has come there for a day or two. When the officers went through the contents of that letter they implicitly became doubtful. These are the things they had to make investigations and hence the matter was delayed......

An Hon. Member : How did those authorities go through that letter ?

Shri Surendra Pal Singh : I do not know whether he himself gave that letter to the authorities or it was taken out from his pocket. But this is a fact that he had to stay there. He was permitted to go when his brother-in-law purchased him a ticket. There is no difficulty for the people who go to U. K. for short term stay as tourists or for business purposes. But difficulty arises in the case of those immigrants who want to settle there permanently and it is apparent that in such cases they make thorough investigations.

Shri Om Prakash Tyagi : The Hon. Minister has stated that he had such a letter which means that he was searched out of his pockets. I want to know from the Hon. Minister whether a man who had a ticket as well as visa for going to Canada should be given such a behaviour and has the Hon. Minister made an inquiry whether he himself showed that letter to the authorities or he was searched out of his pockets. ?

Secondly the British Government has enacted a new law for Indian citizens who wish to settle in Britain should arrive there with an entry cirtificate. Previously this law was not meant for commonwealth countries. I want to know from the Hon. Minister whether this rule of arriving with an entry certificate has been imposed on all the commonwealth countries or it is for India alone; and in case this rule has been imposed on India alone whether it has been imposed with the consent of Government of India, if not, what steps have been taken by the Hon. Minister against that Government ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : The question is that quite a large number of our people want to settle in U. K. and as such the authorities have to make investigations or inquiries and they impose certain restrictions also. I do not understand why these people want to go there ? Ours is a vast country and they should live in their own country. I am unable to understand why they are so much eager to go to settle in other countries. (**interruptions**) Do they want to go for settling there ? I do not understand at all why they are so much perturbed ? They should listen to what I am saying.....

Shri Hukam Chand Kachwai : This is because you are not able to provide them employment, and they are compelled to leave the country to get rid of un-employment....

उपाध्यक्ष महोदय : शान्त रहिए, प्रश्नावधि सरकार से जानकारी प्राप्त करने के लिए है। यदि आप इस प्रकार बाधा उत्पन्न करेंगे तो मंत्री महोदय उत्तर नहीं दे सकेंगे। जो कुछ वह कहना चाहते हैं उन्हें कहने दीजिए।

Shri Om Prakash Tyagi : It is Shameful for the Government that its people leave this country. Does anybody go out happily ? These poor People are going to other places in search of employment. 50,000 Engineers are unemployed, this is the position of unemloyment in the country and even then Hon. Minister is surprised to see why the people are leaving the country ?

Shri Ram Sewak Yadav : Many people having good degrees in science are working in foreign countries. They want to work here but this Government is not able to provide jobs to them.

उपाध्यक्ष महोदय : शांति शांति। यह तरीका सही नहीं है। यदि आप मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो सूचना प्राप्त करने के और दूसरे तरीके हैं। इस प्रकार व्यवधान करना सही नहीं है।

Shri Dinesh Singh : My submission is that when people in large numbers go there, the Government feels perturbed. There is no difficulty for those who want to go for short periods-say-for certain specific work or for sight seeing, but the difficulties are there when people in large numbers go there and want to settle there, because the Government there do not want that large number of people should settle there. So far our problems and difficulties are concerned, I do not think that those will be solved if people in large numbers go out of the country.

So far as the question of those persons, who want to go there to live with their relatives is concerned, the rules applicable to Commonwealth citizens going there, apply to them. Those rules are applicable to those people only whose relations are there.

Shri Om Prakash Tyagi : Are there rules applicable to the white people of Canada, New Zealand and Australia, who are Commonwealth Citizens and who want to live there with their relatives?

Shri Dinesh Singh : The word "Commonwealth Citizen" is written there and hence the rules are applicable to all Commonwealth Citizens.

Shri Sita Ram Kesri : I want to know whether the present action of the British Government to prevent the entry of the people in U.K. is the result of the 'Anti-coloured people' slogan raised by Mr. Pavel, Member of the House of Commons, belonging to the Conservative Party ?

Secondly, I want to know whether it is a fact that some fake passports have been issued and British Government is aware of this fact and that is why they have started the scrutiny of the passports ?

Shri Dinesh Singh : My Hon. friend has given the reason why the scrutiny of passports has been started by British Government. When people go there with Entry Permits no difficulty is experienced by them. But when people go without Entry permits, it is left at the discretion of the Immigration Authorities whether they should be permitted to enter or not. When there are Entry Permit Rules, those who want to go there, should go with the Entry Permit and in that case there will be no difficulty.

Secondly, it has been asked whether the ban imposed by British Government is the result of the slogan raised by Mr. Pavel. I am not in a position to say as to under what pressure the Government of U.K. are thinking to impose this ban, but the fact is that since last many years they have been imposing more and more restrictions.

Shri George Fernandes : It is a well know fact that at existing two categories of people are going to U.K. The first category of people who go there take up such menial and dirty jobs which are not liked by the white people. They are usually employed in sanitation work or other dirty works in the Mills or they are offered the jobs of drivers or conductors etc. Where they have to work in sift system. The white people are not ready to do these jobs. Secondly our young doctors and Engineers also go there. Lakhs of rupees of the nation are spent on preparing Engineers and Doctors. But we are deprived of their talents hence in this way money to the extent of crores of rupees of our nation is being looted by U. K., Canada and America. The emigration of both these categories of people is resulting in alround loss to the nation. First we have to suffer humiliation because our people are engaged in menial and dirty works there. Secondly, we are deprived of the services of our doctors and engineers whose services are badly needed here. So keeping all these things in mind I want to know whether Government will impose restrictions on the emigration of our people to U. K.? We are being treated as a second or third rate nation in the Commonwealth. So I want to know whether Government will quit Commonwealth?

Shri Dinesh Singh : The question of leaving the Commodwealth or remaining in it will not solve the problem. The Hon. Member has stated that people of two categories are emigrating from our country. The emigration of the people one category causes humiliation to our country and the emigration of the people of the second category results in brain drain. We want to prevent the emigration of the people of both these categories. The matter is under the consideration of the Government.

श्री एम बी० राणा : मालटा से जो भारत की तुलना में एक छोटा देश है, इंगलैंड जाने के लिये आप्रवजकों का कोटा भारत की अपेक्षा अधिक है। इस भेद-भाव के क्या कारण हैं ?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य जिस कोटा प्रणाली का उल्लेख कर रहे हैं, उसके बारे में मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं।

Internal Trade handled by S. T. C.

*62. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that despite Government's frantic efforts, State Trading Corporation could cover a very negligible portion of the trade within the country so far ;

(b) if not, the volume of the trade in the country covered by the State Trading Corporation ; and

(c) whether Government propose to enlarge the scope of the State Trading Corporation?

The Minister of Foreign Trade and Supply (Shri B. R. Bhagat) : (a) to (c). It is the policy of the Government to expand progressively the scope of the activities of the State Trading Corporation in the field of exports, and also of import of essential raw materials. The Corporation will, no doubt, continue its activities in the internal trade of particular commodities as may from time to time appear necessary in public interest.

The value of internal trade handled by the Corporation during 1967-68 was Rs. 1.83 crores and during 1968-69 Rs. 4.55 crores. It is expected to increase considerably during the current year, with S.T.C. undertaking the buffer stock operations for Jute.

Shri K. M. Madhukar : It is told by our leaders, especially the Ministers that money is not available for developmental works. So you have taken a step i.e. the nationlisation of Banks. You want the State Trading Corporation to play a decisive role in the trade of the country but the present conditions of the country are not condusive for that. The reason for that is that either your policies are wrong or the officers at the helm of affairs are such who do not want to expand the activities of the State Trading Corporation. I want to know the trade position of S.T.C. in Bihar and the progress so far achieved in this regard ?

The Hon. Minister has stated that steps are being taken for expanding the activities. The fact is that the S.T.C. is not in a position till now to play a decisive role in the trade of the country. I want to know the ways and means which Government proposes to adopt so that the S.T.C. may play a decisive role in the trade of the country and the steps Government are taking against those officers who do not want the expansion of the activities of S.T.C. I want to know whether Government wants to take steps to entrust the whole sale trade of food grains too to S.T.C.

Shri B. R. Bhagat : Food grains trade or other trade ?

An Hon. Member : Other trade.

Shri B. R. Bhagat : I have already stated that the main object of S.T. C. is to aquire commanding heights in exports and imports trade and efforts will be made in that direction. So far as internal trade is concerned the main function of S.T.C. is to prevent the abnormal fall of prices of the commodities and it has played an important role in the matter of buffer

stock operation and in other matters also. The S.T.C. intends to undertake the buffer stock operations for jute. The S.T.C. will progressively undertake more trade in order to check the abnormal fall of prices, to ensure payment of proper prices to the growers and to achieve other social objectives.

Shri K. M. Madhukar : The Hon. Minister has not answered my question regarding the whole sale trade of food grains. What steps are being taken to see that S.T.C. is made to play a decisive role in the internal trade of the country.

Shri B. R. Bhagat : I have given a categorical reply. So far as the question of imports and exports is concerned, I have said that S.T.C. would acquire commanding heights. So far as internal trade is concerned buffer stocks had been built up in the past and those would be built up in future also. We are taking a major step in the matter of jute.

Shri K. M. Madhukar : It is not a fact that there are certain officers in S.T.C. who do not want expansion of the activities of S.T.C. ?

Shri B. R. Bhagat: I have no such information that there are certain officers who do not want the expansion of the activities of S.T.C.

श्री वेदव्रत बरुआ : वास्तव में केवल समर्थित मूल्य निर्धारित करना अथवा रक्षित भण्डार बनाना ही आन्तरिक व्यापार में शामिल होना नहीं कहला सकता । जरूरत इस बात की है कि उत्पादन को यह आश्वासन दिया जाना चाहिये कि न केवल मिल के द्वार पर अपितु देश भर में सर्वत्र उसे समान मूल्य प्राप्त होंगे । मैंने समाचार पत्रों में यह समाचार पढ़ा है कि पटसन उत्पादकों को समान मूल्य देने के प्रश्न की जांच करने के लिये एक आयोग नियुक्त किया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि समर्थित मूल्य की व्यवस्था करने अथवा रक्षित भंडार बनाने के अतिरिक्त आन्तरिक व्यापार में और क्षेत्रों में अधिकाधिक भाग लेने के सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ?

श्री ब० रा० भगत : मूल्य समर्थन की कार्यवाही कृषि मूल्य आयोग की शिफारिशों पर सरकार द्वारा निर्धारित किये गये समर्थित मूल्यों को लागू करने का एक साधन है । आन्तरिक व्यापार के लिये यह एक महत्वपूर्ण साधन है । जैसा कि मैंने कहा है निर्यात तथा आयात व्यापार को प्राथमिकता दी जाती है, परन्तु आवश्यक होने पर राज्य व्यापार निगम पटसन आदि औद्योगिक कच्चे माल की कीमतों को स्थिर रखने के लिये आन्तरिक व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा । आन्तरिक व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण व्यापार खाद्यान्नों का है, जिसकी जिम्मेदारी भारतीय खाद्य निगम पर है ।

श्री रा० की० अमीन : मंत्री महोदय ने कहा है कि राज्य व्यापार निगम अर्थव्यवस्था में विशेषतया वैदेशिक व्यापार के क्षेत्र में निर्णायक भूमिका अदा करेगा । क्या इसका यह अर्थ नहीं है कि व्यापार के क्षेत्र में राज्य व्यापार निगम को एकाधिकार प्राप्त हो जायेगा ? इस बात की क्या गारन्टी है कि देश में इस एकाधिकार का दुरुपयोग नहीं किया जायेगा ? क्या राज्य व्यापार निगमकी मूल्य नीतियों की जांच पड़ताल करने के लिये कोई आयोग नियुक्त किया गया है ? दूसरे क्या मंत्री

महोदय यह आश्वासन दे सकते हैं कि राज्य व्यापार निगम का मुख्य उद्देश्य थोक खरीद को आसान तथा विदेशों की एकाधिकार बिक्री को निष्प्रभावी बनाना था और यदि हां, तो क्या वह अपने कार्यकलापों को उसी क्षेत्र तक सीमित रखेगा अथवा उनका अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार करेगा।

श्री ब० रा० भगत : राज्य व्यापार निगम कठिन तथा प्रतियोगितात्मक व्यापार में चयनात्मक आधार पर काम करता है। यदि माननीय सदस्य राज्य व्यापार निगम के कार्य को देखेंगे, तो उन्हें संतोष होगा। इसने बचत दिखाई तथा अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में एक अगुए के रूप में बाजार विशेषज्ञता के सरकारी क्षेत्र में इसने एक अच्छा तरीका निकाला है। अर्थव्यवस्था के एकाधिकारिक शोषण को रोकने के लिये एक सरकारी एकाधिकार का निर्माण किया गया है। यह एक सामान्य नीति है।

श्री रा० की० अमीन : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। क्या वह अपने कार्यकलाप सीमित क्षेत्र में रखेगा ?

श्री ब० रा० भगत : मैंने इसका उत्तर दे दिया है। एक-एक वस्तु छांट कर निर्यात तथा आयात व्यापार में अगुआ बनने का उद्देश्य है।

Shri Prem Chand Verma: There is no doubt that the S.T.C. has been playing an important role in the economy of the country. In the sphere of trade it has given a set back to the monopolists and has provided relief to the small traders.

The Hon. Minister has not answered the question as to why the S.T.C. had not meanable to achieve the desired success. The reply to this question is that the top officials of S.T.C. have no faith in socialism. They have no faith in public sector. They are not only the agents of private sector, but they are such people, whose entire life has passed in serving the top houses of public sector. I want to know whether it is not a fact that the present Chairman of S.T.C. had served the Birlas and the Lever Brothers and he leaked out all secrets of S.T.C. to those people? Is it not a fact that the future plans of S.T.C. are made known to Birlas and if it is so, whether an enquiry will be made in this regard. I have levelled a clear charges and I have proofs to show that secret information is passed on to Birlas in advance.

I want to know the items whose internal trade is being handled by S.T. C. at present and the items whose trade is likely to be handled by S.T.C. in future. May I know whether Government will ask the S.T.C. to take up the trade operations of those items which are being used in industries as monopoly commodities as a result of which Capitalist class is making huge and undue profits?

Shri B. R. Bhagat: So far as the Chairman and other senior officers of S.T.C. are concerned, it is not proper to condemn them in a general way. It is the policy of the Government to have the services of the experts from private as well as public sector. We select efficient persons and then work is entrusted to them. The present Chairman has also been seleted in this way. He has been doing very good work since his appointment with honesty and sincerity and it is not proper to allege that he has interest in some private concern. It is not in public interst to levy such charges against the high officials of the public sector.

So far as the question of internal trade is concerned, I have just given the figures. There are certain commodities such as lac, lemon grass oil, tobacco and cotton etc..........

श्री रंगा : आप लैमन ग्रास आयल के बारे में क्यों बात कर रहे हैं ? तम्बाकू के सम्बन्ध में क्या स्थिति है, जिसके बारे में उन्होंने यहां वचन दिया था ?

श्री ब० रा० भगत : काफी कुछ किया जा रहा है, तम्बाकू का निर्यात करने के लिये बहुत से लोगों को लाइसेंस दिये गये हैं, जिनमें से कुछ लोगों ने उसका निर्यात किया है। हमने इस सम्बन्ध में बहुत अधिक काम किया है और तम्बाकू का व्यापार काफी संतोषजनक स्थिति में है। ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य को खुद अपने राज्य के बारे में ही जानकारी नहीं मिली है।

Shri Prem Chand Verma : I had asked about the items being handled by the S.T.C. now and proposed to be handled by them in future.

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री ने सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिये हैं, राज्य व्यापार निगम के कार्यकारी प्रधान के बारे में माननीय सदस्य ने जो कुछ विशेष आरोप लगाये हैं उनके बारे में उत्तर देना उनके लिये कैसे सम्भव है ?

Shri B. R. Bhagat : I have already stated that the value of internal trade handled by the State Trading Corporation during 1967-68 was Rs. 1.83 crores and during 1968-69 Rs.4.55 crores. Besides, I have told names of three or four commodities in this regard. I had further added that it is expected to increase considerably during the current year, with S.T.C. undertaking the buffer stock operation for jute.

Shri Kanwar Lal Gupta : The Hon. Minister has stated that the S.T.C. has been making commendable efforts in the direction of stabilising prices. But in my opinion it is a den of corruption and inefficiency. Not only so, but this body is indulging in excessive profiteering—say ten or fifteen times—in certain commodities.

The S.T.C. has suffered a loss of Rs. 61 lakhs with regard to handloom and handicraft, which is a glaring example of its inefficiency. Despite its monopoly it is incurring huge losses. I want to know the recommendations of the committee which was appointed to go into the working of the S.T.C. and suggest ways and means to streamline its administration, tone-up efficiency and eradicate corruption there and the steps taken by the Government to implement them. I further want to know the total amount being invested in the S.T.C. and the quantum of profit accruing therefrom.

Shri B. R. Bhagat : So far as profiteering by the S.T.C. is concerned, the Hon. Member should know that the scarce items imported by the S.T.C. are sold by them at reasonable market prices, whereas the same items are sold at 10 times higher rates by the private sector and the private monopolist. Moreover the profit earned by the S.T.C. are utilised as public money and it does not go to the private hands.

As regards trade operations of the S.T.C., the Hon. Members are every years supplied with its annual reports. It is a public sector organisation which is earning profits every year and it is progressively increasing. It is good, as suggested by the Hon. Member, that steps should be taken to increase its efficiency. The Government will consider the suggestions and recommendations made by the public undertakings committee as also by a high-powered committee appointed to go into the internal organisations of the S.T.C. The Government propose to reorient the entire structure with a view to bringing in more efficiency therein.

Shri Kanwar Lal Gupta : The Prime Minister had stated in All India Congress Committee Session, Bangalore that Government would nationalise the import and export trade. I want to know the Hon. Minister's reaction thereto.

Shri B. R. Bhagat : As regards import trade of raw materials, we are trying to see that it is carried on by the S.T.C. Any way we will apprise the House of the steps, if any, to be taken in this direction.

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : हम मंत्री महोदय से अपील करते हैं कि वह तम्बाकू व्यापार के प्रश्न पर विस्तृत रूप से विचार करें और दो वर्ष के जमा माल की निकासी करें। ताकि हमें विदेशी मुद्रा मिल सके और किसानों तथा उत्पादकों को राहत मिल सके। इसी प्रकार क्या सरकार कपास और तिलहनों की खरीद का कार्य आरम्भ करेगी जिससे कि इन वस्तुओं का मूल्य समर्थन सम्बन्धी कार्यवाही भी हो सके और वास्तविक उत्पादन को उचित लाभ मिल सके।

श्री ब० रा० भगत : तम्बाकू के सम्बन्ध में हमने पिछले वर्ष तथा इस वर्ष के स्टाक की निकासी करने के लिये कार्यवाही की है। जहां तक कपास और तिलहनों को राज्य व्यापार निगम द्वारा सीधी खरीद करने का सम्बन्ध है, मुझे प्रसन्नता है, कि सभा के सभी वर्गों के सदस्य यह चाहते हैं कि राज्य व्यापार निगम और अधिक क्षेत्रों में प्रवेश करे। सरकार इन सभी बातों पर विचार करेगी।

Shri Ram Charan : We have two importing Agencies in the country, one is S.T.C. and the other is other Private concerns. The spices imported by our country include clove which is concerned by all the people in the country. At present the, market price of clove is Rs. 200/- per kilo. It is an essential daily requirement of all including the poor. I want to know whether Government would persuade the S.T.C. to take up the import of such items of daily requirements with a view to providing them to the poorman at cheap rates and ending the monopolised trade in such items.

Shri B. R. Bhagat : So far as the import of clove and such other items is concerned the Hon. Member's suggestion is welcome. Since there is a ban on the import of cloves, there are exorbitant rates in the market. We propose to import cloves provided we are allowed foreign exchange for which we are approaching the Finance Ministry.

रूस तथा अन्य देशों को माल डिब्बों का निर्यात

*63. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :
श्री क० लकप्पा :
श्री लखन लाल कपूर :
श्री बेधर बेहेरा :
श्री जय सिंह :
श्री हर दयाल देवगुण :
श्री विभूति मिश्र :
श्री सीताराम केसरी :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रा० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :
डा० रानेन सेन :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री ई० के० नायनार :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय माल-डिब्बों को रूस को बेचने के सम्बन्ध में अभी भी बातचीत

जारी है और यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है और इस बातचीत को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है ;

(ख) क्या भारत द्वारा प्रस्तुत माल डिब्बे के नमूने को रूस सरकार ने स्वीकार कर लिया है और यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में रूस सरकार ने इसमें क्या और सुधार और परिवर्तन किये जाने के सुझाव दिये हैं और क्या एक नया नमूना भी भेजा गया है ;

(ग) क्या भारत द्वारा मांगे गये मूल्यों को रूस सरकार ने स्वीकार कर लिया है और यदि नहीं, तो भारत ने क्या मूल्य मांगा था और रूस सरकार ने कितना मूल्य देने का प्रस्ताव रखा था और सरकार का इस अन्तर को किस प्रकार दूर करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) अन्य देशों को भारतीय माल डिब्बों को बेचने की क्या सम्भावनाएं हैं और 1 जनवरी, 1968 तक उनके कितने क्रयादेश प्राप्त हुए हैं और 31 मार्च, 1970 तक कितना और व्यापार प्राप्त हो जाने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां। बातचीत अभी जारी है। कई बातों पर, जिन में सभी तकनीकी मामले आ जाते हैं, समझौता हो गया है। यह बताना सम्भव नहीं है कि संविदा को अन्तिम रूप कब दिया जायेगा।

(ख) संविदा पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद ही नमूनों का निर्माण किया जायेगा।

(ग) बातचीत अभी जारी है।

(घ) अन्य देशों को भारतीय माल-डिब्बों के बेचने की संभावनाएं उज्जवल हैं। पहली जनवरी, 1968 के पश्चात प्राप्त हुए क्रयादेशों और निकट भविष्य में अधिक व्यापार की संभावनाओं के विषय में एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

जिन रेलवे के सवारी तथा माल-डिब्बों के क्रयादेश प्राप्त हुए हैं उनका विवरण

(निर्यात आदेश जो इस समय हाथ में हैं)

	देश	मदें
1.	बर्मा	14 डिब्बे तथा पेट्रोल टंकियां
2.	श्रीलंका	40 डिब्बे तथा पेट्रोल टंकिया
3.	पूर्वी अफीका	45 पशु डिब्बे तथा 88 डिब्बे
4.	पोलैण्ड	500 छत वाले डिब्बे
5.	ताइवान	120 छत वाले डिब्बे
6.	थाईलैण्ड	45 डिब्बे।

देश	मदें
7. हंगरी	1,000 डिब्बे
8. सूडान	120 डिब्बे तथा 40 नीचे के फ्रेम
9. ताइवान (बातचीत चल रही है)	100 डिब्बे
10. नाइजीरिया	400 छत वाले डिब्बे तथा 120 नीचे के फ्रेम
11. ईराक	38 सवारी डिब्बे
12. न्यूजीलैण्ड	12 सवारी डिब्बे 12 बूफे कारें तथा 4 पावर कारें ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : 17 महीने पूर्व, फरवरी, 1968 में जब श्री कोसिगिन भारत आये थे, तो उन्होंने रूस के लिये 54,000 भारतीय माल-डिब्बे खरीदने की सहमति दी थी, तत्पश्चात् उनके एक मंत्री, श्री पीटोलीचेव ने घोषित किया था कि थोड़े दिनों में करार पर हस्ताक्षर किये जायेंगे । लेकिन मंत्री जी 19 महीने बाद भी यही कह रहे हैं कि बातचीत अभी चल रही है, मूल्य तय करने बाकी हैं और नमूने भेजे जायेंगे, क्या यह सच है कि भारत ने 1,00,000 रुपये प्रति माल-डिब्बे की दर से मांग की है जबकि रूस केवल 54,000 रुपये प्रति डिब्बे की दर से खरीदना चाहता है ? क्या इन डिब्बों को बनाने के लिये भारत को विशेष किस्म का इस्पात बाहर से मगाना पड़ेगा ? यदि हां, तो भारत को एक डिब्बे के लिये कितना तथा कितने मूल्य का इस्पात मंगाना पडेगा ? रूस द्वारा प्रस्तावित मूल्य स्वीकार किये जाने पर भारत सरकार माल-डिब्बे निर्माताओं को कितनी राजसहायता देगी और भारत को अन्य देशों से प्रति माल-डिब्बा कितने रुपये मिल रहे हैं ?

श्री ब० रा० भगत : माननीय सदस्य द्वारा कही गई बहुत सी बातें सच हैं । यह सच है कि इस मामले में काफी अधिक समय लग रहा है ।

यह एक बहुत बड़ा करार है । 8-10 वर्षों में 54,000 माल-डिब्बों की सप्लाई करने का मामला है । मांगे गये माल डिब्बे के नमूने अद्वितीय किस्म के हैं । अब तक हम अधिकतर चार पहिये वाले डिब्बों का निर्यात करते रहे हैं लेकिन ये डिब्बे आठ पहिये वाले हैं । इन नमूनों के तकनीकी ब्योरे की जांच की जानी है । मुझे सभा को सूचित करते हुए खुशी है कि अधिकांश नमूनों की जांच पूरी की जा चुकी है ।

जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि कितने इस्पात का आयात करना पड़ेगा और माल-

डिब्बे निर्माताओं को कितनी राजसहायता दी जायेगी आदि, इन चीजों को करार होने के बाद ही अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

जहां तक मूल्य का सम्बन्ध है, उसका ब्योरा देना लोक हित में नहीं है । हम कहते हैं अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से हमारा मूल्य न्यूनतम है । वे अपना दृष्टिकोण रख रहे हैं ।

मुझे सभा को यह सूचना देते हुये प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि वे इस प्रश्न को सुलझाने के लिये निकट भविष्य में भारत को एक तकनीकी दल भेजने को सहमत हो गये हैं । मैं आशा करता हूं कि करार पर हस्ताक्षर होने से पूर्व इस सौदे से सम्बन्धित अनिर्णित मामलों को आसानी से सुलझा लिया जायेगा ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : इस विशेष डिब्बों में आयातित सामान कितना लगेगा तथा इसके लिये पेश किये गये मूल्य कैसे हैं ?

श्री ब० रा० भगत : जैसा कि मैंने कहा है, कुछ विशेष किस्म के इस्पात का आयात करना होगा, परन्तु जब तक नमूनों को अन्तिम रूप से स्वीकार नहीं कर लिया जाता तथा करार पर हस्ताक्षर नहीं हो जाते तब तक इन सब बातों का ब्योरा देना सम्भव नहीं है । यह सूचना देना ठीक भी नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से हमारी कीमत का सारे विश्व को पता लग जायेगा । सभा को पता होना चाहिये कि अन्य देश भी हमारे साथ प्रतियोगिता कर रहे हैं तथा सारे विश्व में अपनी वस्तुओं की कीमत नहीं बतानी चाहिए । माननीय सदस्य को ज्ञात है कि वाणिज्यिक सौदों की जानकारी नहीं दी जाती है ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : ये मालडिब्बे एक विशेष प्रकार के हैं तथा इनका इस्तेमाल संसार में केवल एक ही स्थान पर अर्थात साइबेरिया में किया जा सकता है । इसलिये प्रतियोगिता का प्रश्न ही नहीं उठता । दूसरे उन्होंने कहा है कि तकनीकी विशिष्ट को अन्तिम रूप दे दिया गया है । माल डिब्बे का कितना अंश आयातित सामान का बना होगा तथा उन्होंने क्या कीमत पेश की है ?

श्री ब० रा० भगत : मैं पुनः वही बात कहता हूं कि विस्तृत सूचना देना हमारे हित में नहीं है, क्योंकि करार पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं ।

श्री बलराज मधोक : यह कोई सामरिक महत्व की सामग्री नहीं है । हम जानना चाहते हैं कि इसमें राष्ट्रीय हित की क्या बात है ?

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मंत्री महोदय ने कहा है कि यह एक बड़ा सौदा था और इसमें अधिक समय इसलिये लगा है क्योंकि इसकी विशिष्टियां बहुत पेचीदा थीं । क्या यह सच है कि इस बात का पता कि यह एक बड़ा सौदा है, 17 महीने के बाद लगा था ? सब समाचार पत्रों में यह घोषणा क्यों की गई थी कि कुछ ही सप्ताहों में फरवरी, 1968 में करार पर हस्ताक्षर हो जायेंगे ? क्या यह सच है कि भारत पर राजनैतिक दबाव डालने का प्रयत्न

करने के लिये रूस द्वारा जानबूझ कर देरी की गई है तथा वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भारत रूस से विमान खरीदे और अपनी योजना का उनके साथ समन्वय स्थापित करे ? क्या यह सच है कि यदि भारत सरकार उसके प्रस्तावों के साथ सहमत नहीं होती है, तो रूस यह सौदा करने को तैयार नहीं है ? क्या यह भी सच है कि रूस भारत को इस समय जिस मूल्य की पेशकश कर रहा है, अन्य देशों से मालडिब्बे खरीदते समय उसने इससे कहीं अधिक मूल्य दिये हैं ?

श्री ब० रा० भगत : मुझे आखिरी बात की जानकारी नहीं है, क्योंकि वे यह नहीं बताते हैं कि उन्होंने किन मूल्यों पर खरीद की है। राजनैतिक दबाव डालने का इस मामले में तथा किसी अन्य मामले में कोई प्रश्न नहीं है। हम अपने राष्ट्रीय हित में वाणिज्यिक आधार पर इसकी जांच कर रहे हैं। चाहे दूसरे पक्ष का इरादा कुछ भी हो तो चाहे कोई मामला कितना ही बड़ा क्यों न हो, मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि यह सरकार दूसरों के दबाव में नहीं आती है।

श्री रंगा : उनके प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं दिया गया है। क्या यह सच है कि रूस अन्य देशों को इसी प्रकार की आयात के लिये उससे कहीं अधिक मूल्य दे रहा है, जितने कि उसने हमें पेश किये हैं ? सरकार के पास यह जानकारी होनी चाहिए।

श्री ब० रा० भगत : वे अपने खरीद मूल्य का ब्योरा नहीं देते हैं। हमें किसी अन्य स्रोत से कोई जानकारी प्राप्त हो सकती है, परन्तु उसे यहां नहीं बताया जा सकता, क्योंकि उसे सरकारी जानकारी न होने के कारण सही नहीं कहा जा सकता। हो सकता है, वे भी इस बात को पसन्द न करें।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है और वह इसे नहीं बताना चाहते हैं। मैं समाचार पत्रों में प्रकाशित राज्य व्यापार निगम के एक प्रतिनिधि के वक्तव्य का उल्लेख करना चाहता हूं। उस वक्तव्य में कहा गया है कि भारत द्वारा मांगा गया मूल्य वस्तुतः अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के मूल्य से कम है। प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि भारत को ईरान इत्यादि से भी मालडिब्बों के क्रयादेश मिले हैं। अतः राज्य व्यापार निगम के प्रतिनिधि द्वारा एक स्पष्ट वक्तव्य दिया गया है कि भारत द्वारा रूस को बताये गये भाव अन्य देशों द्वारा बताये गये भावों से सस्ते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है अथवा नहीं।

श्री ब० रा० भगत : माननीय सदस्य दो मामलों को मिला रहे हैं। यह सच है कि हम प्रतियोगिता कर रहे हैं तथा ईरान अथवा किन्ही अन्य देशों के भेजे गये टेंडरों में हमने इस बात का ध्यान रखा है। परन्तु माननीय सदस्य ने स्वयं कहा था कि यह एक अति विशेष प्रकार के मालडिब्बे हैं तथा इनकी उन मालडिब्बों की तुलना उनसे करना सही नहीं है।

श्री हिम्मतसिंहका : इस बात को देखते हुए कि डिब्बा निर्माताओं के पास क्रयादेशों की कमी है और विशेषतया इस बात को देखते हुए कि रूस से क्रयादेश प्राप्त होने के बारे में अभी निश्चित रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या सरकार रेलवे को अग्रिम क्रयादेश देने को कहेगी ताकि कारखानों में उत्पादन होता रहे ?

श्री ब० रा० भगत : रेलवे के बारे में मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वह कितने क्रयादेश दे सकते हैं। परन्तु मैंने एक वक्तव्य दिया है और कहा है कि हम माल डिब्बों के अधिक से अधिक क्रयादेश प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि माननीय सदस्य मेरे वक्तव्य को देखेंगे तो उन्हें ज्ञात हो जायगा कि हमें प्राप्त होने वाले क्रयादेशों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : यह दुखद कहानी है······

उपाध्यक्ष महोदय : लगभग 21 अन्य सदस्य बोलना चाहते हैं। माननीय सदस्य को लम्बी चौड़ी भूमिका बांधने की अनुमति नहीं दी जायेगी। कृपया वह सीधे अपना प्रश्न करें।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : इस बात को देखते हुए कि देश में रूसी प्रभाव बढ़ रहा है, तथा इस बात को देखते हुए कि ये क्रयादेश मंदी दूर होने के बाद क्रियान्वित होंगे और इस बात को देखते हुए कि रूस ने बहुत कम मूल्य देने की पेशकश की है, क्या मंत्री महोदय इस सौदे को रद्द करने के मेरे प्रस्ताव पर विचार करेंगे।

श्री ब० रा० भगत : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस सौदे को रद्द करना हमारे हित में नहीं होगा। यह निर्यात का एक बहुत बड़ा सौदा है। यदि इस सौदे में पेश की गई कीमतें हमारे अनुकूल हुईं तो हम अवश्य इस सौदे को स्वीकार करेंगे।

श्री क० लकप्पा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस मामले की पेचीदगियों और गहराइयों की जानकारी नहीं है। परन्तु मेरा प्रश्न एक बहुत सरल प्रश्न है। रूस ने माल डिब्बों का क्रयादेश दिया तथा भारत को माल-डिब्बे भेजने हैं। इस सम्बन्ध में बातचीत हो रही है। भारत सरकार के पास बढ़िया माल-डिब्बे बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यह सारी व्यवस्था सामन्त शाही के हाथ में है। दूसरे भारत सरकार ऐसा स्वस्थ वातावरण बनाने में असफल रही है जिससे यह सौदा हो जाता और हमारे विदेशी व्यापार में वृद्धि होती। मुझे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि इस मामले में अमरीकी लोबी सक्रिय हैं और हमारी सरकार पर सिन्डीकेट के माध्यम से वह अपना प्रभाव डाल रही है। हमारे नेता दो धड़ों में विभक्त हो गये हैं और इससे बातचीत पर कुप्रभाव पड़ा है। अतः मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि आपसी भेदभाव और आन्तरिक कठिनाइयों तथा सिन्डीकेट के प्रभाव के कारण हमारी सरकार इस मामले में कोई निर्णय लेने में असफल रही है। कृपया मंत्री महोदय इस बात का उत्तर दें कि क्या यह सच है अथवा नहीं। यह प्रश्न पूछने का मेरा कोई राजनैतिक उद्देश्य नहीं है। मंत्री महोदय ने कहा है कि इस मामले में विलम्ब हुआ है, परन्तु उन्होंने विलम्ब के कारण का स्पष्टीकरण नहीं किया है।

श्री ब० रा० भगत : महोदय, माननीय सदस्य अपनी बात कह चुके हैं। मैं तो केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वह चाहते हैं कि दूसरे हमारी इज्जत करें तो उन्हें दूसरों की इज्जत करनी चाहिये ।

श्री क० लकप्पा : महोदय, मैंने तथ्यों का उल्लेख किया है। बातचीत अभी जारी है। विलम्ब के कारण नहीं बताये गये हैं। मंत्री महोदय को विलम्ब के कारण बताने चाहिये। विलम्ब का कारण यह है कि उन पर सिन्डीकेट का प्रभाव है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री क० लकप्पा ने अपने शब्दों में आक्षेप लगाकर विलम्ब के कारण बताने का प्रयत्न किया है। अब क्या मैं मंत्री महोदय को बाध्य करूं कि वह उस आक्षेप को स्वीकार करें ?

श्री क० लकप्पा : मैंने आक्षेप नहीं लगाया है। मैंने विलम्ब के बारे में प्रश्न पूछा है। माननीय मंत्री को "हां" अथवा "नहीं" में उत्तर देना चाहिये। माल डिब्बों के सौदे में अत्यधिक विलम्ब हुआ है इसलिये मैं जानना चाहता हूं···· **(अन्तर्बाधायें)**····

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लकप्पा कृपया बैठ जायें। मैं मंत्री महोदय को उत्तर देने को बाध्य नहीं कर सकता।

श्री क० लकप्पा : महोदय, उत्तर प्राप्त करनें का मेरा अधिकार है·····

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही के वृतान्त में शामिल न किया जाये।

श्री क० लकप्पा **

Shri Lakhan Lal Kapoor : Tensile steel, which is very costly, is required for the manufacture of wagons. Is it a fact that this type of steel is imported by spending dollars and pounds ? I want to know the foreign exchange involved in this import and why this steel is not imported from USSR. Russia should give to India tensile steel and we will give them wagons otherwise India will have to bear loss.

Shri B. R. Bhagat : So far as the question of special steel, which is not manufactured here will be imported from USSR. But so far as the question of wagons is concerned it is not possible to give the details unless the contract is signed.

**कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया गया।

**Not recorded.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Delhi as Dry Port

*64. **Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri Yashpal Singh :
Shri A. Sreedharan :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Atal Behari Vajpayee :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Suraj Bhan :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Yamuna Prasad Mandal :
Shri Valmiki Choudhary :

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether Government have accepted the principle of declaring Delhi a dry port ;

(b) if so, the progress made in this regard and the difficulties being faced by Government in this connection ;

(c) when the difficulties are likely to be overcome and when a final decision will be taken in this regard ; and

(d) the manner in which the people of Delhi and its surrounding areas would be benefited thereby ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Choudhary Ram Sewak) : (a) to (d). In order to examine the question of setting up of a Dry Port at Delhi in all its aspects, the Government have constituted an Inter Ministerial Working Group. The Group has been requested to submit its report as early as possible. A final decision in the matter will be taken after the Group completes its study.

तामिल नाडु में सूती कपड़ा मिल पुनः चालू करना

*65. **श्री सेझियान** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर में बन्द पड़ी कपड़ा मिलों को पुनः खोलने हेतु केन्द्रीय सरकार से एक कपड़ा मिल निगम स्थापित करने का अनुरोध किया है ;

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के संयुक्त प्रयत्न से अब तक कितनी मिलें पुनः खोली जा चुकी हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). तमिलनाडु सरकार द्वारा अप्रैल, 1969 में तमिलनाडु वस्त्र निगम की स्थापना की जा चुकी है ।

(ग) हाल ही में निगम को ओम पराशक्ति, मिल लि०, कोयम्बटूर के प्राधिकृत नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है और वह राष्ट्रीय वस्त्र निगम की सहायता से मिल चलायेगा। प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति के लिये कतिपय अन्य मिलों के मामले विचाराधीन हैं।

राजस्थान में कपड़ा मिलों का बन्द होना

*66. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री मीठालाल मीना :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में वित्तीय कठिनाइयों के कारण लगभग 13 कपड़ा मिलों के बन्द होने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितने श्रमिक और अन्य श्रेणियों के कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे ; और

(ग) इस स्थिति का सामना करने के लिये सरकार का क्या सहायता देने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) सरकार के पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

स्टेनलैस स्टील चादरों, प्लेटों तथा सर्किलों के लिये आयात लाइसेंस

*67. **श्री राम चरण :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहायक लोहा तथा इस्पात नियंत्रक, एन० एच० IV फरीदाबाद, ने मार्च, 1969 में विभिन्न फर्मों को स्टेनलेस स्टील/चादरों/प्लेटों/सर्किलों के लिये 69 आयात लाइसेंस जारी किये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त 69 लाइसेंसों में से 40 लाइसेंस केवल 5 दिनों में ही (अर्थात 27 मार्च, 1969 तक) जारी कर दिये गये थे जबकि 29 लाइसेंसों को जारी करने में 26 दिन लगे थे ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) जारी किये गये अधिकांश लाइसेंस वर्ष 1967-68 की लाइसेंस अवधि के थे। इसके अतिरिक्त, लौह तथा इस्पात नियंत्रक का लाइसेंस कार्य 1-4-69 से आयात निर्यात के मुख्य नियंत्रक, नई दिल्ली को अन्तरित कर दिया गया और उपरोक्त अन्तरण से पूर्व समस्त निलम्बित मामलों को निपटाना युक्तिसंगत समझा गया।

केरल में भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड का दूसरा कारखाना

*68. **श्री विश्वनाथ मेनन :** **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री सी० के० चक्रपाणि :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मितव्ययिता तथा कम लागत से उत्पादन करने की बात को ध्यान में रखते हुये केरल में भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड का दूसरा कारखाना स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक चालू होने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). फैक्टरी के स्थान के लिये अन्तिम निर्णय अभी नहीं लिया गया। स्थान के संबंध में विचार करने से पहले सभी संगत पहलुओं पर विचार किया जायेगा। नई फैक्टरी चल पाने में लगभग 3 वर्ष लग सकते हैं।

मलयेशिया के लिये भारतीय शस्त्रास्त्र

*69. **श्री वि० कु० मोडक :** **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**
श्री प० गोपालन : **श्री स० कुण्डू :**
श्री पी० राममूर्ति : **श्री शारदानन्द :**
श्री बलराज मधोक : **डा० सुशीला नैयर :**
श्री महन्त दिग्विजय नाथ : **श्री प्र० के० देव :**
श्री रवि राय : **श्री भोगेन्द्र झा**
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी : **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री उमानाथ : **श्री वेदव्रत बरुआ :**
श्री प० मु० सईद : **श्री देवेन सेन :**
श्री मणिभाई जे० पटेल : **श्री नरेन्द्रकुमार साल्वे :**
श्री ओंकार सिंह : **श्री नवल किशोर शर्मा :**
श्री समर गुह : **श्री धीरेश्वर कलिता :**
श्री राम सिंह अयरवाल :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मलयेशिया ने भारत से शस्त्रास्त्र प्राप्त करने की इच्छा

व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है तथा समझौते का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या किसी विदेशी सरकार ने सरकार से इस समझौते पर हस्ताक्षर करने की प्रार्थना की है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ङ) क्या मलयेशिया को कोई शस्त्र तथा अन्य साज सामान सप्लाई किया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ङ). कुछ समय से मलयेशिया सरकार वाणिज्यिक आधार पर भारत से रक्षा सामग्री खरीदती रही है। मई, 1969 में मलयेशिया की सरकार ने भारत सरकार से और ऐसी सामग्री सप्लाई करने वाली अन्य विदेशी सरकारों से प्रार्थना की कि वे कुछ चीजें जल्दी भेज दें। इस बारे में दोनों सरकारों के बीच कोई समझौता नहीं है। किस तरह की सामग्री भेजी गई है, यह बताना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

सिंगापुर में रूसी नौसैनिक अड्डा

*70. **श्री लोबो प्रभु :**
श्री श्रीचन्द्र गोयल :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री दे० अमात :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री जुल्फिकार अली खां :
श्री रा० वें० नायक :
श्री झा० सुन्दर लाल :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'क्रिश्चियन सांइस मानिटर' में प्रकाशित एक लेख की ओर दिलाया गया है जिसमें लिखा है कि ब्रिटेन द्वारा खाली किये जाने वाले सिंगापुर सैनिक अड्डे को रूस किराये पर लेने का प्रयत्न कर रहा है ;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में सिंगापुर सरकार से अथवा रूसी सरकार से कोई पूछताछ की है ;

(ग) क्या सरकार संयुक्त राष्ट्र सभा में यह प्रस्ताव रखेगी कि हिन्द महासागर से ब्रिटेन के चले जाने के बाद कोई विदेशी शक्ति वहां पर न आये ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। लेकिन, सिंगापुर स्थित हमारे कमीशन ने इस मामले को समाप्त कर दिया।

(ग) संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक संकल्प पारित किये हैं जिनमें प्रशासनिक शक्तियों से कहा है कि वे हिन्द महासागर के अपने उपनिवेश में सैनिक अड्डे न बनावें । सरकार का यह विचार है कि ब्रिटिश को हट जाने से किसी प्रकार की रिक्तता न आने पावे और हिन्द महासागर को प्रमुख शक्तियों के कार्यकलापों द्वारा उत्पन्न तनावों से बचाकर स्वतंत्र और शांत इलाका बनाए रखना चाहिये ।

ब्रिगेडियर डाल्वी द्वारा लिखित 'दी हिमालयन ब्लंडर' नामक पुस्तक

*71. **श्री रणजीत सिंह :** **श्री रा० कृ० बिड़ला :**
श्री स० मो० बनर्जी : **श्री शिव कुमार शास्त्री :**
श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिगेडियर जे० वी० डाल्वी की हाल में प्रकाशित हुई 'दी हिमालयन ब्लंडर' नामक पुस्तक में नेफा में पराजय के बारे में बताए गए कारणों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त पुस्तक में नेफा में पराजय के क्या मुख्य कारण बताए गये हैं और उनपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या ब्रिगेडियर दालवी ने इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए सरकार से पूर्व अनुमति ले ली थी और क्या उन्हें सरकारी रिकार्ड देखने की कोई अनुमति दी गई थी ; और

(घ) क्या उनकी पुस्तक में उद्धृत कोई सामग्री देश के हितों के विरुद्ध पाई गई ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इस संबंध में लेख के निष्कर्षों का एक संक्षिप्त विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है । सदन को याद होगा नेफा में सैनिक संक्रियाओं के कृत्य पर हेंडरसन ब्रुक्स की रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष रक्षा मंत्री के वक्तव्य में दो सितम्बर, 1963 को संक्षेपतः किये गये थे । लेख द्वारा उल्लिखित पहलुओं पर उनके वक्तव्य में पहले ही कहा जा चुका है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) स्पष्टतः इस पुस्तक की अन्तर्वस्तु देश के हितों के प्रतिकूल नहीं जान पड़ती तदपि, इस पहलू का सविस्तार निरीक्षण किया जा रहा है ।

विवरण

ब्रिगेडियर जे० पी० दलवी की "हिमालयन ब्लंडर" नामक पुस्तक में उल्लिखित नेफा की पराजय के मुख्य कारणों का संक्षिप्त रूप

ब्रिगेडियर दलवी की पुस्तक जिसके 448 पृष्ठ है, को संक्षिप्त करना कठिन है। पुस्तक में दी गई विभिन्न बातों के विभिन्न अर्थ निकाले जा सकते हैं। परन्तु 1962 को असफलता के उन्होंने ये मुख्य कारण बताये हैं :—

(क) इस मामले में सरकार के कोई सम्पूर्ण राजनीतिक उद्देश्य नहीं थे और उसने एक बड़ी शक्ति के विरुद्ध देश को युद्ध के लिये तैयार नहीं किया था।

(ख) सेना की उच्च कमान्ड ने सरकार द्वारा दिया गया यह कार्य संभाल लिया, यह बात उन्हें विदित थी कि देश सैनिक, तौर से तैयार नहीं है। इस बारे में उन्होंने जनरल थापर, लेफ्टिनेट जनरल कौल, पूर्वी कमान्ड के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को दोषी ठहराया है।

(ग) लड़ाई के क्षेत्र में उपकरणों, गोलाबारूद आदि की कमी।

(घ) ऊंचाई के क्षेत्रों में उन दस्तों को भेजना जिन्हें वहां का अनुभव नहीं था।

(ङ) प्रतिपक्ष, जनमत और समाचारपत्रों का दबाव जिसके कारण सरकार ने सैनिक स्थिति की ओर ध्यान नहीं दिया।

(च) चीन की सेना आदि के बारे में अपर्याप्त गुप्त सूचना का होना। लेखक ने स्वयं पुस्तक की भूमिका में नेफा की पराजय के मुख्य कारणों का संक्षिप्त ब्योरा दिया है, वह इस प्रकार है :—

"1962 की असफलता एक राष्ट्रीय असफलता है जिसके लिये प्रत्येक भारतीय जिम्मेदार है। यह सेना के बड़े अधिकारियों की असफलता थी। यह प्रतिपक्ष वालों की असफलता थी। यह जिम्मेदार जनमत तथा समाचारपत्रों की असफलता थी।"

भारत में आने वाले तिब्बती शरणार्थी

*72. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल में दलाई लामा के मुख्य प्रतिनिधि के वहां से निकाले जाने के कारण बहुत से तिब्बती शरणार्थी भारत में आ गये हैं ;

(ख) क्या सरकार ने तिब्बती शरणार्थियों के मामले के बारे में नेपाल सरकार के साथ पत्रव्यवहार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) इस प्रकार की हमें कोई खबर प्राप्त नहीं थी।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अणु-शक्ति विकास

*73. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अणु शक्ति आयोग के अध्यक्ष ने 22 मई, 1969 को बम्बई में पत्रकारों से बातचीत करते हुये अणु-शक्ति का धीमी गति से विकास करने की सरकार की नीति पर चिन्ता व्यक्त की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या अणु-शक्ति आयोग के अध्यक्ष ने पत्रकारों को यह वक्तव्य देने से पहले सरकार को अपने विचारों से अवगत कराया था, उनके द्वारा क्या विशिष्ट प्रस्ताव रखे गये और प्रत्येक प्रस्ताव पर सरकार ने क्या निर्णय किये हैं ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, योजना मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). अणु-शक्ति आयोग के सभापति ने कहा है कि उचित स्थानों और आकार के अणु केन्द्रों को निरन्तर रूप से निर्माण करने के कार्यक्रम में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिये। यह उन्होंने इस संदर्भ में कहा था जब योजना आयोग ने निर्माणाधीन अणु-शक्ति केन्द्रों के चालन, उनकी आर्थिक स्थिति आदि में अध्ययन की बात कही गयी थी। चौथी योजना के प्रारूप में अणु-शक्ति के उत्पादन के लिये 120 करोड़ रुपये से अभी तक नये शक्ति केन्द्रों की स्थापना संभव नहीं हो पायी है।

फिर भी इस प्रश्न पर संसाधनों के उपलब्ध होने और अन्य बातों को ध्यान में रखते हुये योजना के समय-समय पर पुनरीक्षण के समय इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

भारत-वर्मा सीमा का सर्वेक्षण

*74. **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री गार्डिलिंगन गौड :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत और वर्मा में संयुक्त सीमा सर्वेक्षण अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में हुई बातचीत का ब्योरा क्या है ; और

(ग) सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये थे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). संयुक्त भारत-बर्मा सीमा आयोग ने पिछले क्षेत्र कार्य मौसम में किये गये सीमांकन को स्वीकार कर लिया और यह निर्णय किया गया कि पिछले क्षेत्र कार्य मौसम में किये

गये सीमा के सीमांकन के 240 मील के दक्षिणी हिस्से को अब सत्यापित करना चाहिये । आयोग ने 1969-70 के दौरान क्षेत्र कार्य मौसम में और 250 मील का सीमांकन करने का भी निर्णय किया ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा कोयले की खरीद

*75. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या **वैदेशिक-व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री दिनांक 12 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2761 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिज और धातु व्यापार निगम उन कोयला खानों से जिन्होंने मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू कर दिया है किस प्रकार कोयला प्राप्त कर रहा है जब कि टेंडर की यह शर्त नहीं है कि कोयले की खरीद केवल उन्हीं कोयला-खानों से होगी जिन्होंने कोयला उद्योग के लिए निर्धारित मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को पूरी तरह लागू कर दिया है ;

(ख) क्या इस निगम ने कोयला सप्लाई करने वाली खानों से क्रियान्विति के बारे में प्रमाण-पत्र की मांग की थी, और यदि हां, तो क्या कोयला खानों ने यह प्रमाण-पत्र दे दिया है ; और

(ग) क्या इस निगम ने ऐसी कोयला खानों से भी कोयले की खरीद की है जिन्होंने संबंधित प्रादेशिक श्रम आयुक्तों से प्रमाण-पत्र लेकर नहीं दिया ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). अक्तूबर, 1968 में खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा कोयला तथा कोक की खरीद के लिये जारी की गई निविदा-पूछताछ में यह शर्त निर्धारित नहीं की गई थी कि कोयले की खरीद केवल उन्हीं कोयला खानों से की जायेगी जिन्होंने कोयला उद्योग संबंधी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को पूरी तरह लागू कर दिया है । किन्तु दो पक्षों ने निविदा-पत्र को भरा उनके साथ बातचीत के समय अपेक्षित प्रमाण-पत्र मांगा गया था । दोनों पक्ष प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिये सहमत हो गये । एक पक्ष ने तो प्रमाण-पत्र संलग्न करके कोयले का संभरण किया, पर दूसरी कोयला खान न्यायालय की निषेधाज्ञा ले आई जिसमें खनिज तथा धातु व्यापार निगम को ऐसा प्रमाण-पत्र न मांगने के लिये कहा गया है । अतः कोयले के संभरण का कुछ भाग ऐसी कोयला खानों से प्राप्त किया गया है जिन्होंने प्रमाण-पत्र नहीं दिया है ।

Scheme for Development of Atomic Power

*76. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Atomic Power Commission has drawn up a big scheme involving Rs. 429 crores pertaining to the Atomic Power Station, atomic energy-based industries and agriculture for the benefit of 2,50,00,000 people of that area ;

(b) if so, whether the said Commission has drawn up such a scheme for other backward States also with a view to removing regional imbalances among the various States ;

(c) if not, the reasons therefor ; and

(d) if so, whether the said Commission has drawn up such a scheme for Madhya Pradesh which is a backward State in so far as the industrial and agricultural development is concerned ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (c). A working group set up by the Atomic Energy Commission has prepared a preliminary report on the feasibility of setting up Agro-Industrial Complexes around large sized nuclear power stations in India. Further detailed studies are now in progress.

(d) No, Sir.

हिमालय सीमा पर भारत की प्रतिरक्षा व्यवस्था

*77. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत में ब्रिटेन के प्रतिरक्षा सम्पर्क संगठन के भूतपूर्व अध्यक्ष ब्रिटेन के मेजर जनरल जैम्स लंट द्वारा 19 मई, 1969 के "हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड" में प्रकाशित एक लेख में हिमालय सीमा पर भारत की प्रतिरक्षा व्यवस्था के बारे में व्यक्त किये गये विचारों की ओर आकर्षित किया गया है, जिनमें उन्होंने कहा है : "यह संदेह होता है कि शायद हिमालय सीमा की सुरक्षा के लिये मूल संगठन की ही जांच की जानी चाहिये" ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) मेजर जनरल लंट ने केवल हिमालयी सीमा की रक्षा करने के लिये पर्वती डिवीजनों की उपयुक्तता का उल्लेख किया है। इन सीमाओं के पार से संकटों के गुण-स्वरूप का ध्यान करते हुये विचार किया जाता है कि मूलतः पर्वती डिवीजन हमारे उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमाओं की रक्षा करने के लिये उपयुक्त है। अपनी सुरक्षा, संक्रियात्मक आवश्यकताओं और इन विरचनाओं के कृत्य में प्राप्त हुये अनुभव का ध्यान करते हुये समय-समय पर इन डिवीजनों का पुनस्संगठन किया गया है।

(ग) किसी विरचना के संगठन की तरह पर्वती डिवीजन के संगठन का भी समय-समय पर पुनरीक्षण किया जा रहा है, जो जो भी परिवर्तन आवश्यक और शक्य समझे जाते हैं, कार्यान्वित किये जाते हैं। 1963 से लेकर किये गये विभिन्न परिवर्तनों के फलस्वरूप पर्वती डिवीजन के पास इस समय अधिकतर लड़ाका अंश हैं, अधिक सप्लाई पंक्तिएं हैं, मार करने की अधिक शक्ति है, और संशोधित संचार्यता।

श्री विलियम रोजर्स की भारत यात्रा

*78. श्री एस० जेवियर : श्री के० एम० अब्राहम :
श्री गु० च० नायक : श्री जे० के० चौधरी :
श्री जे० मुहम्मद इमाम : श्री हेम बरुआ :
श्री हेमराज :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के विदेश मंत्री श्री विलियम रोजर्स हाल ही में नई दिल्ली आये थे ;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने उनके साथ क्या बातचीत की ; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग). संयुक्त राज्य अमरीका के राज्य मंत्री श्री विलियम रोजर्स ने 23 से 24 मई तक भारत का भ्रमण किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधान मंत्री, तत्कालीन उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री से बातें की थीं। उन्होंने कार्य-वाहक राष्ट्रपति से भी भेंट की थी। द्विपक्षीय संबंधों के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर बातचीत हुई। लेकिन, इस प्रकार की गुप्त बातचीत का उद्घाटन करना प्रथागत नहीं है। हमारे विचारों में ये बातचीत हितकर सिद्ध हुई।

1964 की भारत-श्रीलंका सन्धि

*79. श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री मोहन सिंह ओबराय :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मूल के राष्ट्रीयताविहीन व्यक्तियों के बारे में 1964 के भारत-श्रीलंका सन्धि को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाइयां पेश आयी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार इस सन्धि की कार्यान्विति के लिये कोई जोरदार कार्यवाही कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) एक संयुक्त समिति जिसमें भारत के हाई कमीशन के और श्रीलंका सरकार के अधिकारी शामिल हैं, श्रीलंका में बराबर ही इसकी प्रगति पर पुनर्विचार करने के लिये मिलते रहे हैं। कोलम्बो स्थिति हमारे मिशन में एक पुनर्वास प्रकोष्ठ खोला गया है जिसमें विशेष रूप से पुनर्वास सम्बन्धी कार्य किये जाते हैं। सम्बद्ध राज्य सरकारों से भारत सरकार ने मन्त्रणा की है जिसमें आर्थिक और पुनर्वास सहयोग के रूप में पुनर्वास योजना की ओर उनका ध्यान दिलाया है।

अमरीका और रूस द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रास्त्रों का सम्भरण

*80. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**
श्री जागेश्वर यादव :
डा० कर्णी सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका के विदेश मंत्री श्री रोजर्स और रूस के प्रधान मंत्री श्री कोसीगिन की जून 1969 में पाकिस्तान की यात्रा तथा पाकिस्तान के प्रेजीडेंट जनरल यहिया खां के साथ हुई उनकी बातचीत के पश्चात् क्या सरकार ने अमरीका और रूस दोनों के द्वारा पाकिस्तान को दिये गये शस्त्रास्त्रों से उत्पन्न हुई स्थिति का भारत की सुरक्षा की दृष्टि से मूल्यांकन किया है ; और

(ख) क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र दिये जाने के सम्बन्ध में अपनी प्रतिक्रिया अमरीका और रूस की सरकारों को बताई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) हाल ही में पाकिस्तान को यू० एस० ए० द्वारा घातक साज सामान के विषय में हमें कोई ताजा जानकारी नहीं है। गत छः मास के दौरान पाकिस्तान ने सोवियत रूस से लगभग 100 टी-55 टैंक, 130 एम० एम० गनों, हैलीकोप्टरों, राडार सेटों और गोली बारूद के अतिरिक्त प्राप्त किये हैं।

(ख) जी हां। उन्हें सूचित किया गया है कि पाकिस्तान के, अपनी सशस्त्र शक्ति बढ़ाने के लिए कोई युक्तिसंगत न्याय बात नहीं है, और कि पाकिस्तान को आयुधों की सप्लाई उप-महाद्वीप में केवल तनाव बढ़ायेगी ही, और हमारे देश की रक्षा और सुरक्षा के सम्बन्ध में हमारे उत्तरदायित्वों को बढ़ायेगी ही।

'सैन्ट्रल ट्रीटी आर्गनाइजेशन का सम्मेलन'

*81. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 मई, 1969 को तेहरान में सैंट्रल ट्रीटी आर्गनाईजेशन के सदस्य देशों के मंत्री स्तर पर हुए द्वि दिवसीय सम्मेलन में काश्मीर पर चर्चा की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो चर्चा का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) और (ख). 26 और 27 मई, 1969 को तेहरान में केन्द्रीय संधि संगठन के विचार विमर्श की जो बैठक हुई थी, वह गुप्त थी। लेकिन बैठक के अन्त में जो संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई थी उसमें काश्मीर का जिक्र था।

(ग) भारत सरकार इस बात से नाखुश है कि काश्मीर जैसे विवाद जो विशुद्ध रूप से द्विपक्षीय है, उन पर निर्णय एक सम्मेलन में लिया जाय और उसमें भी जहां भारत उपस्थित न हो।

अनिवार्य निर्यात के बारे में अखिल भारतीय औषध तथा भेषज निर्माता संघ का सुझाव

*82. **श्री के० रमानी :**
श्री पी० पी० एस्थोस :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री 26 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4471 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय औषध तथा भेषज निर्माता संघ के इन सुझावों पर इस बीच विचार किया है कि उनके ऊपर लगाई गई अनिवार्य निर्यात की शर्त को पांच वर्षों के लिये स्थगित किया जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). वर्ष 1969-70 के लिये आयात नीति तैयार करते समय इस सुझाव पर विचार किया गया था। सभी उपादानों को ध्यान में रखते हुये यह विनिश्चय किया गया कि औषध उद्योग के एककों द्वारा (नये तथा लघु एककों को छोड़कर) अपने उत्पादन के 5% का निर्यात करने की अपेक्षा रखने की नीति चलती रहनी चाहिये। परन्तु मूल औषधि तैयार करने वाले एककों की कठिनाइयों का परिहार करने के लिये यह विनिश्चय किया गया कि अपने उत्पादन के 5% का निर्यात न कर पाने वाले ऐसे एककों को आयात आवंटनों में कटौती केवल आयात व्यापार नियंत्रण नीति, 1969-70 के खण्ड 1 के परिशिष्ट 10 में उल्लिखित औषधों तथा भेषजों की 18 मदों के विषय में ही लागू होनी चाहिये।

अधिकृत नियंत्रकों के अधीन चलने वाले कपड़ा मिलों की कार्यासंचालन

*83. **श्री जनार्दनन :**

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने उन बारह कपड़ा मिलों की स्थिति की जांच की है, जिनको अधिकृत नियंत्रकों के अधीन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इन मिलों के बारे में इस निगम ने क्या सुझाव दिये हैं ; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने प्राधिकृत नियंत्रकों के अधीन 10 सूती कपड़ा मिलों की जांच की है ।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार किया जा रहा है । इन सुझावों को प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा ।

सूडान में सैनिक क्रान्ति

*84. **श्री भगवान दास :**

श्री अनिरुद्धन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मई, 1969 के मध्य में सूडान में सैनिक क्रान्ति हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस सैनिक क्रान्ति का ब्योरा क्या है ;

(ग) सूडान की नई सरकार के प्रति सरकार का क्या रवैया है ; और

(घ) क्या सूडान में भारतीयों और भारतीय राजदूतावास की सम्पत्ति सुरक्षित है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सूडान में 24-25 मई, 1969 को एक नई सरकार सत्ता सम्पन्न हुई ।

(ख) कर्नल (अब मेजर जनरल) गफ्फार एल-निमेरी जिन्होंने राष्ट्रपति अजहारी द्वारा संचालित शासन समाप्त किया और संविधान सभा (जिसका चुनाव अप्रैल, 1968 में हुआ था) राज्य की सर्वोच्च परिषद् और मंत्रिमंडल को स्थगन करने की घोषणा की । नये शासन में क्रान्तिकारी परिषद् के 9 अधिकारी और सिविलियन प्रधान मंत्री बाबीकर अवादाला जो मेजर जनरल निमेरी के संचालन में प्रमुख न्यायाधीश थे और क्रान्तिकारियों का मंत्रिमंडल जिसमें 24 मंत्री शामिल हैं जो प्रधान मंत्री द्वारा संचालित है, शामिल हैं ।

(ग) हमारे कार्यनायक को अनुदेश दिया गया था कि नयी सरकार के सामने दोनों देशों के बीच सम्बन्धों को बढ़ाने के लिये हमारे विचारों को रखें ।

(घ) जी हां।

छोटा नागपुर और संथाल परगना का विकास

*85. **श्री कार्तिक उरांव : क्या प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकार से योजना आयोग द्वारा छोटानागपुर और संथाल परगना के विकास के लिये विशेष योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये कोई पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उस क्षेत्र की स्थिति का अध्ययन करने के लिये केन्द्रीय सरकार का एक समिति भेजने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (क) और (ख). भारत सरकार, राज्य योजनाओं के अन्तर्गत आनेवाली विशेष योजनाओं को राज्यों के किसी क्षेत्र में सीधे कार्यान्वित नहीं करती । परन्तु राज्य सरकार से कहा गया है कि छोटा नागपुर और संथाल परगना सहित पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए अपनी चौथी योजना में पर्याप्त प्रावधान करे । इस काम के लिए वास्तविक रूप में राज्य योजना में कितनी व्यवस्था की गई है, इस बारे में अभी ब्योरा प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

परमाणु क्षेत्र में पाकिस्तान और फ्रांस का सहयोग

*86. **श्रीरामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान रेडियो के प्रसारण के अनुसार पाकिस्तान और फ्रांस के बीच परमाणु क्षेत्र में सहयोग करने का समझौता हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). अप्रैल में फ्रांस के अणु विशेषज्ञों के एक दल ने पाकिस्तान की यात्रा की थी और अणु के क्षेत्र में दोनों देशों के पारस्परिक सहयोग के लिए पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ बातचीत की थी । हमारी जानकारी के अनुसार, अभी तक इस सहयोग ने कोई ठोस कार्य नहीं किया है ।

सिख तीर्थ यात्रियों को पाकिस्तान में ननकाना साहिब गुरुद्वारे की यात्रा करने की अनुमति

*87. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष जो सिख तीर्थ यात्री तीर्थयात्रा करने के लिए पाकिस्तान गये थे, उन्हें ननकाना साहिब गुरुद्वारा में जाने की अनुमति नहीं दी गई ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बात के लिए क्या कार्यवाही की है कि सिख तीर्थ-यात्रियों को उनके पवित्र धर्म स्थानों के दर्शन करने की अनुमति प्राप्त हो ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान में स्थित सभी गुरुद्वारे जीर्णावस्था में हैं ;

(घ) क्या गुरुद्वारों की इस घोर उपेक्षा के विरोध में सरकार ने पाकिस्तान को विरोध पत्र भेजा है ;

(ङ) यदि हां, तो कितनी बार और उनका क्या परिणाम निकला है ; और

(च) वर्ष 1968-69 में कितने सिख तीर्थयात्रियों को गुरुद्वारों के दर्शनार्थ पाकिस्तान जाने की अनुमति दी गई, और उनके साथ वहां जो दुर्व्यवहार किया गया, उसके बारे में उन्होंने क्या शिकायतें की हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). प्रत्येक वर्ष नवम्बर में ननकाना साहिब की तीर्थयात्रा पर लोग जाते हैं। मई-जून, 1969 में लाहौर में तीर्थस्थानों की यात्रा करते समय, कुछ यात्रियों ने ननकाना साहब की यात्रा पर जाना चाहा था, किन्तु पाकिस्तान सरकार ने अनुमति नहीं दी क्योंकि इस प्रकार की यात्राओं के सम्बन्ध में हुए भारत-पाक करार के अन्तर्गत यह नहीं आती।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ). पाकिस्तान सरकार को उनके इस दायित्व की हमेशा याद दिलाई जाती है कि वह इस मामले पर हुए भारत-पाक करार के अनुसार गुरुद्वारों की रक्षा, देखरेख, तथा अनुरक्षण करे। भारत से जाने वाले तीर्थ यात्री जिन गुरुद्वारों की यात्रा करते हैं, उनकी कुछ मरम्मत की गई है।

(च) 1 जनवरी, 1968 से आज तक, लगभग 6286 सिक्ख तीर्थयात्रियों ने पाकिस्तान में विभिन्न गुरुद्वारों की यात्रा की। अनेक शिकायतें नहीं आई हैं। परन्तु पिछले दल ने इस बात की शिकायत की थी कि परिवहन सम्बन्धी प्रबन्ध अपर्याप्त हैं।

आन्ध्र प्रदेश में ब्रिटेन की रायल एयर फोर्स द्वारा प्रशिक्षण अभ्यास

*88. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन की रायल एयर फोर्स के कर्मचारियों को आंध्र प्रदेश के कुछ वन क्षेत्रों में 'दुर्गम क्षेत्रों' में प्रशिक्षण अभ्यास करने की अनुमति दी गई है ;

(ख) क्या रायल एयर फोर्स के कुछ कर्मचारी बेगमपेट हवाई अड्डे पर ये अभ्यास करते हुए हाल ही में एक विमान दुर्घटना के शिकार हुए थे ; और

(ग) यदि हां, तो इन अभ्यासों का उद्देश्य क्या था और भारत में उनकी अनुमति देने के क्या कारण थे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं । इस प्रकार के प्रशिक्षण अभ्यास करने की अनुमति नहीं दी गई । परन्तु हमने दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायोग के अनुरोध पर रिजर्व एयर फोर्स के 5 अधिकारियों को आन्ध्र प्रदेश के शेषचलम पहाड़ियों में रहने वाली गोंद जाति का कुछ समाज शास्त्रीय अध्ययन करने के लिये वहां कुछ समय बिताने की अनुमति दी ।

(ख) सरकार ऐसी किसी वायुयान दुर्घटना से अवगत नहीं है जिसमें यह दल शामिल हो । किन्तु इस बात का पता चला है कि इस दल के सदस्यों में एक सदस्य को पेड़ से गिर जाने से चोट आई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रूस के प्रधान मंत्री की पाकिस्तान की यात्रा

*89. **श्री रा० की० अमीन** :　　　　**श्री न० कु० सोंधी** :
श्री अजमल खां :　　　　**श्री द० रा० परमार** :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के प्रधान मंत्री हाल में रावलपिण्डी गये थे और वह वहां पाकिस्तानी नेताओं से मिले थे ;

(ख) क्या पाकिस्तानी तथा रूसी अधिकारियों के बीच विभिन्न विषयों पर हुई बातचीत के ब्योरे के बारे में सरकार को कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार का ध्यान इन प्रेस समाचारों की ओर दिलाया गया है कि रूस के प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान को अधिक शस्त्रास्त्र सप्लाई करने का वचन दिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या पाकिस्तानी अधिकारियों को रूसी नेताओं द्वारा इस तरह का

वचन दिये जाने से पहले मास्को से सरकार को कोई पत्र प्राप्त हुआ था ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जिन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था उनके बारे में हमारे पास कुछ खबरें हैं ।

(ग) इसके ब्योरे को बताना सार्वजनिक हित में नहीं होगा ।

(घ) इस बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ङ) सोवियत संघ ने पाकिस्तान को कितने हथियार दिये हैं, इसके बारे में सरकार को सोवियत संघ से कोई सूचना नहीं मिली है ।

वैमानिकी समिति का प्रतिवेदन

*90. **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री जि० मो० विश्वास :
श्री महाराज सिंह भारती :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैमानिकी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं ; और

(ग) उन सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) एरोनाटिक्स कमेटी की सिफारिशों पर सम्मिलित एक विवरण 15 मई, 1969 को प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा लोक सभा के पटल पर रखा गया था ।

(ग) सिफारिशें अभी सरकार के विचाराधीन हैं ।

घटिया किस्म की वस्तुओं का अस्वीकृत किया जाना

401. **श्री कृ० मा० कौशिक :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1966 के बाद हमारे देश से निर्यात की गई किन्हीं वस्तुओं को घटिया कोटि की होने के कारण अस्वीकृत किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी भेजी गई वस्तुएं अस्वीकृत की गई तथा वे वस्तुएं किस प्रकार की थीं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). जी, हां। उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1966 के बाद, विभिन्न निर्यात उत्पादों से सम्बन्धित 25 परेषण (हस्तशिल्प, अखरोट, अल्युमिनियम कण्डक्टर, अचार, काक्टेल, श्रिम्पस, मुद्रण टाइप्स, शाक एवजावर्स, सेन्ना पत्ते, वाइड ह्वाइट होजरी वाइपर्ज आदि आदि), अस्वीकृत किये गये हैं। देश के निर्यात व्यापार की कुल मात्रा को देखते हुए अस्वीकृत की गई वस्तुओं की मात्रा बहुत कम है।

रूस तथा अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों से लिये गये तथा उन देशों को दिये गये ऋणों का अवमूल्यन के बाद पुनः मूल्य निर्धारण

402. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री 19 मार्च, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 578 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपर्युक्त पुनः मूल्य निर्धारण के बाद हमारी अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा ;

(ख) क्या यह सच है कि अवमूल्यन के बाद देश को आयात तथा निर्यात दोनों में ही काफी हानि उठानी पड़ी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस समय क्या स्थिति है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). जहां तक पूर्व यूरोपीय देशों के साथ भारत के व्यापार का सम्बन्ध है, यह आशा थी कि अवमूल्यन से भारत के व्यापार अधिशेष में सुधार होगा। इन देशों को भारत के निर्यातों पर इसका प्रभाव अच्छा रहा है। अवमूल्यन के पश्चात एक वर्ष में प्रारम्भिक गिरावट आने के पश्चात निर्यात बढ़ने आरम्भ हो गये। 1968-69 में वे काफी बढ़ गये। दूसरी ओर अवमूल्यन के पश्चात् के दो वर्षों में आयातों में गिरावट आई और वे अवमूल्यन के पूर्व के वर्ष से कम थे। 1968-69 में इन देशों से आयात बढ़े परन्तु प्रधानतः भारत के आयातों के वस्तु गठन में परिवर्तन और इन देशों के साथ व्यापार के विकास से सम्बन्धित अन्य बातों के कारण ही ऐसा हुआ।

महाराष्ट्र में सूती कपड़ा मिलों का बन्द होना

403. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में इस समय कितनी सूती कपड़ा मिलें बन्द पड़ी हैं ;

(ख) इनमें से नागपुर, वारधा, अकोला, अमरावती, यवतमाल तथा बुलढ़ाना जिलों में कितनी-कितनी मिलें हैं ;

(ग) मिलों के बन्द होने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या इनमें से किसी मिल को पुनः चालू करने का सरकार का विचार है ;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) नागपुर स्थित एक्सप्रेस मिल में वर्ष 1966 से 1969 तक श्रमिकों की संख्या कितनी थी ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). मई, 1969 के अन्त में महाराष्ट्र में पांच मिलें बन्द पड़ी थीं। ये मिलें अलाभकर, कार्यकरण, घाटे तथा वित्तीय कठिनाइयों के कारण बन्द हुई थीं। इन मिलों की स्थिति इस प्रकार थी।

अमरावती जिला	..	1
बम्बई शहर	..	2
भोर	..	1
औरंगाबाद	..	1

(घ) से (ङ). औरंगाबाद वाला मिल पहले ही प्राधिकृत नियन्त्रक के अधिकार में है और वह इसे पुनः चालू कराने के लिये प्रयत्न कर रहा है। बम्बई शहर की मिलों के परिसमापन सम्बन्धी मामले उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं। शेष मिलों के मामलों पर राज्य सरकार के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

(च) नागपुर की एम्प्रैस मिल्स में श्रमिकों की संख्या निम्नलिखित थी :

अवधि	**रजिस्टर में वर्ज श्रमिकों की संख्या**
जनवरी, 1966	10161
जनवरी, 1967	9676
जनवरी, 1968	9589
जनवरी, 1969	9790
अप्रैल, 1969	10829

सेना के लिये शराब की खरीद

404. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सेना के लिये प्रति वर्ष विदेशी तथा स्वदेशी उत्पादकों से खरीदी गई शराब की मात्रा, उसका मूल्य तथा उसका विवरण क्या है ;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष कितने मूल्य की स्वदेशी शराब खरीदी गई तथा शराब के सम्भरणकर्ताओं के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या इस बात की शिकायतें मिली हैं कि सेना को प्रायः घटिया किस्म की रम तथा बीअर सप्लाई की जाती है ; और

(घ) खरीदी जाने वाली शराब की किस्म निर्धारित करने के लिये किस प्रकार के परीक्षण किये जाते हैं तथा ये परीक्षण किन-किन स्थानों पर किये जाते है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सैनिकों को निशुल्क जारी करने के लिये रम, जो उसके अधिकृत है, ए० एस० सी० द्वारा केवल देशीय साधनों से स्थानीयतर खरीदी जाती है। मद्य देशीय और आयात दोनों, सी० एस० डी० (आई०) द्वारा सेवा सेविवर्ग को बेचने के लिये खरीदा जाता है।

ए० एस० सी० द्वारा निश्शुल्क वितरण के लिये रम

जहां तक निशुल्क वितरणों का सम्बन्ध है गत तीन वर्षों में खरीदी गई रम की राशि और मूल्य अनुबन्ध 'क' में दिये गये हैं।

सी० एस० डी० (आई०) के माध्यम से क्रय के लिये खरीदा गया मद्य

सी० एस० डी० (आई०) द्वारा देशीयतः खरीदे गये मद्य के बारे में क्रमों तथा मूल्य के विस्तार अनुबन्ध 'ख' के विवरण में दिये गये हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1297/69]

गत तीन वर्षों में सी० एस० डी० (आई०) द्वारा आयात मद्य, मुख्यतः विस्की का मूल्य लगभग 38 लाख रुपये है।

(ख) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष खरीदे गये देशीय मद्य का मूल्य इस प्रकार है :

1966-67	3,28,76,247.00 रुपये
1967-68	2,70,82,597.00 रुपये
1968-69	3,55,65,086.00 रुपये

तीनों वर्षों में प्रत्येक में सप्लाई करने वालों के नाम 'ग' अनुबन्ध में दिये गये हैं :

(ग) ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त हुई नहीं जान पड़ती कि सेना को घटिया किस्म की रम और बीयर सप्लाई की जाती है। चूंकि रम और बीयर तब तक स्वीकार नहीं की जाती कि जब तक विश्लेषण द्वारा उनका परीक्षण न कर लिया जाये, और उन्हें स्वीकार्य घोषित न किया जाये, घटिया किस्म की रम या बीयर स्वीकार करने का प्रश्न उठता ही नहीं।

(घ) देशीय मद्य की सभी किस्में स्वीकार से पहले विस्तृत निरीक्षण और विश्लेषण अधीन रहती हैं। परीक्षण रंग स्थूल द्रव्यों, वोटालिक तेजाबों जैसे कि एस्सेटिक एथेल एसेटेट, अमाईल के रूप में अल्कोहल, फरफ्यूरोल अल्डीहाईड्ज और कुल राख अन्त वस्तु के लिये किया जाता है। केवल वह भण्डार जो निर्धारित ब्योरों के अनुरूप होते हैं स्वीकार किये जाते हैं। विश्लेषण कम्पोजित खाद्य प्रयोगशालाओं द्वारा किये जाते हैं जो दिल्ली, लखनऊ कलकत्ता, पूना बम्बई और जम्मू में हैं।

Handloom Industry

405. **Shri Deo Rao Patil :**
Shri Yashwant Singh Kushwah :

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether a delegation headed by Dr. Sanjivayya met the Prime Minister on the 15th May, 1968 for getting protection for the handloom industry ;

(b) if so, the demands put forth by the said delegation ; and

(c) the action taken by Government to implement the decision in regard to giving protection to the handloom industry ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Choudhary Ram Sewak) : (a) delegation headed by Dr. Sanjivayya met Prime Minister on the 15th May, 1969.

(b) The demand put forth by the delegation was that the decision of the Government to ban production of coloured sarees by the powerlooms should be implemented properly and strictly.

(c) A Committee consisting of representatives of the Textile Commissioner and the Maharashtra Government has gone into the question and has submitted its report, which is under Government's examination.

एक्सपो 70

406. **श्री बाबू राव पटेल : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1970 में जापान में होने वाली एक्सपो 70 प्रदर्शनी में सरकार द्वारा कितने स्टाल बनाने और किस प्रकार की वस्तुएं प्रदर्शित करने का विचार है तथा इस पर रुपयों में और विदेशी मुद्रा में अनुमानतः कितनी राशि व्यय होगी ;

(ख) भारत द्वारा एक्सपो 70 में भाग लिये जाने के सम्बन्ध में अब तक डिजाइन तैयार करने तथा योजना बनाने पर कुल कितना व्यय किया गया है ;

(ग) प्रदर्शनी में भारतीय मण्डप आदि की देख भाल करने के लिये क्रमशः कितनी महिलाओं और पुरुषों को विमानों द्वारा अथवा अन्य साधनों से भेजा जायेगा तथा उन्हें श्रेणीवार कितना वेतन आदि दिया जायेगा ; और

(घ) एक्सपो 70 में भारत के भाग लेने से कितनी आय होने की आशा है तथा सरकार को इससे क्या लाभ होंगे ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) एक्सपो 70 में भारतीय मण्डप में भाग लेने वाले अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा पृथक-पृथक स्टाल बनाने

का प्रस्ताव नहीं है । नेशनल पेविलियन, सतत विषय वस्तु के रूप में, एक्सपो के मूल उद्देश्य के सम्बन्ध में भारतीय योगदान को प्रदर्शित करेगा जो कि मानवता के लिये प्रगति तथा सामंजस्य है । इस अवसर को आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों में भारतीय उपलब्धियों के प्रदर्शन तथा ऐसे माल और उत्पादों के प्रचार के लिये भी उपयोग में लाया जायेगा जो वह विश्व बाजारों को भेज सकता है ।

इसमें भाग लेने पर विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्रालय का 195 लाख रुपया व्यय होने का अनुमान है, जिसमें से 170 लाख रुपया विदेशी मुद्रा में तथा 25 लाख भारतीय रु० में होगा ।

(ख) अभी तक किया गया व्यय 2.28 लाख रु० है जिसमें 1.98 लाख रु० विदेशी मुद्रा में तथा 0.30 लाख रु० भारतीय रु० में है ।

(ग) मामला अभी भी विचाराधीन है ।

(घ) एक्सपो 70 एक विश्व प्रदर्शनी है न कि एक व्यापार मेला किन्तु भारत के निर्यात योग्य उत्पादों तथा पण्य वस्तुओं के प्रचार के अतिरिक्त, प्रदर्शनी के दौरान व्यवसाय तय करने के लिये इस प्रदर्शनी में भाग लेने का लाभ उठाया जायेगा । उसके परिणामों का इस समय आकलन नहीं किया जा सकता ।

भारत का आयात तथा निर्यात

407. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री अब्दुल गनी दार : **श्री न० रा० देवघरे :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 से 1968-69 तक की अवधि में प्रति वर्ष तथा वस्तुवार कितने मूल्य की वस्तुओं का भारत से अन्य देशों में निर्यात किया गया तथा अन्य देशों से भारत में कितने मूल्य की वस्तुओं का आयात किया गया ; और

(ख) आयात और निर्यात की मात्रा में अन्तर दूर करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) वस्तुवार तथा देशवार दोनों आयात तथा निर्यात के आंकड़े 'मंथली स्टेटिस्टिक्स आफ दि फारेन ट्रेड आफ इंडिया' खण्ड 1 तथा 2 में प्रकाशित किये जाते हैं और इसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ख) आयात तथा निर्यात के अन्तर को पाटने के लिये किये जाने वाले उपायों का लक्ष्य आयातों को कम करना तथा निर्यातों का संवर्धन करना है । ऐसी मदों के आयात की अनुमति

नहीं दी जाती जो आवश्यक नहीं हैं अथवा जिनका उत्पादन स्वदेश में होता है। निर्यात बढ़ाने के लिये किये गये उपायों में निम्नलिखित उपाय भी शामिल हैं :

(1) आयातित कच्चे माल तथा संघटकों की आवश्यकता की व्यवस्था करने के लिये पंजीयित निर्यातकों की आयात नीति के माध्यम से निर्यात उत्पादन के लिये सहायता।

(2) निर्यात उत्पादन के लिये कमी वाले स्वदेशी कच्चे माल का प्राथमिकता के आधार पर आवंटन।

(3) निर्यात उत्पादन के लिये अपेक्षित लोहे तथा इस्पात की अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर पूर्ति तथा उसी तरह प्लास्टिक के कच्चे माल की पूर्ति।

(4) निर्यात अभिमुख एककों के पूंजीगत माल की आवश्यकता को पूरा करने के लिये विदेशी मुद्रा का विशेष आवंटन।

(5) विदेशों में प्रचार, प्रतिनिधिमंडल तथा अध्ययन दल और व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग के रूप में संवर्धनात्मक उपाय।

(6) चुने हुए उत्पादों के निर्यात के लिये नकद सहायता।

(7) चुने हुए उत्पादों पर निर्यात शुल्क में कमी करना अथवा उन्हें समाप्त करना।

(8) अन्य देशों के साथ व्यापार के विकास के लिये व्यापार करार/व्यवस्थाएं करना।

(9) विकसित देशों को होने वाले हमारे निर्यातों में टैरिफ तथा गैर-टैरिफ बाधाओं को समाप्त करने के लिये प्रयत्न करना।

(10) निर्यात किये गये माल के सम्बन्ध में आयातित अंश पर आयात शुल्क की वापसी तथा उसके निर्माण में प्रयुक्त स्वदेशी कच्चे माल तथा पुर्जों पर उत्पादन शुल्क की छूट दी जाती है।

गोवा में नौसेना प्रतिष्ठानों के समक्ष कठिनाइयां

408. **श्री अदिचन :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा में नौसेना प्रतिष्ठानों और जहाजों को हाई-स्पीड डीजल तेल और भट्टी का तेल न मिलने के कारण हाल ही में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि गैर-सरकारी कम्पनियों ने उस क्षेत्र में काम न करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि गोवा में भारतीय तेल निगम का कोई प्रतिष्ठान नहीं है जो गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा नौसैनिक प्रतिष्ठानों और जहाजों की मांग पूरी न किये जाने की स्थिति में उनकी मांग को पूरा कर सके ; और

(ग) सरकार ने ऐसी क्या कार्यवाही की है जिससे गोवा में नौसेना की मांग नियमित रूप से पूरी की जाती रहे ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार के लिए स्थल मार्ग

409. **श्री अदिचन** : **डा० रानेन सेन** :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : **श्री रामावतार शर्मा** :
श्री अब्दुल गनी दार : **श्री जुगल मंडल** :
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा ईरान को जोड़ने वाले एक स्थल व्यापार मार्ग के बारे में तथा क्षेत्रीय सहयोग के अन्य प्रश्नों के सम्बन्ध में अफगानिस्तान की पहल पर शीघ्र ही चार देशों के एक सम्मेलन बुलाये जाने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन के कब तथा कहां होने की सम्भावना है ; और

(ग) उसमें किन-किन प्रश्नों पर विचार-विमर्श किये जाने की सम्भावना है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) इस प्रकार के सम्मेलन के सम्बन्ध में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

कटनी स्थित आयुध कारखाने द्वारा अलौह धातु का बेचा जाना

411. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटनी के आयुध कारखाने के महाप्रबन्धक ने (8 अक्टूबर, 1968 के निविदा संख्या 1602-2-पी० बी०-डिस्प द्वारा) उक्त कारखाने में पड़ी अलौह धातु की रद्दी को बेचने के लिए निविदाएं (टेंडर) मांगी थी ;

(ख) यदि हां, तो निविदा भेजने वालों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या उस निविदादाता की निविदा स्वीकार की गई थी जिसने सबसे अधिक मूल्य देने का प्रस्ताव किया था ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) (1) सर्वश्री जालान चन्द भागी लाल, उज्जयन ।

(2) सर्वश्री रमेश मेटल वर्क्स, जगाधरी ।

(3) सर्वश्री बाबूलाल गजाधर प्रसाद अग्रवाल, जबलपुर ।

(4) सर्वश्री सीताराम कुंजीलाल, जबलपुर ।

(5) सर्वश्री भारतीय समेल्टिंग तथा रिफाईनिंग कम्पनी लि०, बम्बई ।

(6) सर्वश्री गुप्ता इलेक्ट्रिक कम्पनी, कलकत्ता ।

(7) सर्वश्री भारकन (हैवी ब्रास वेयर) मैन्युफैक्चरर्ज,एसोसिएशन, मीराजपुर ।

(8) सर्वश्री मस्सदी लाल निर्मल कुमार, दिल्ली ।

(9) सर्वश्री टी० के० आर्गेनाइजेशन, लखनऊ ।

(10) सर्वश्री राधाबल्लभ सतीशचन्द्र, मोरादाबाद ।

(11) सर्वश्री ईश्वरदास एंड सन्ज, उज्जैन ।

(ग) और (घ). टेंडर में सम्मिलित चार मदों में से 3 मदों के सम्बन्ध में उच्चतम टेंडर स्वीकार किए गए थे । चौथी मद के बारे में पहले दोनों उच्चतम उल्लेख टेंडर की शर्तों और स्थितियों (साई की कुल राशि की गैर अदायगी समेत) के अनुसार न चलने के कारण अमान्य हो जाने से, तीसरी उच्चतम पेशकश जो सबसे उच्च मान्य उल्लेख थी, स्वीकार की गई थी ।

Crisis in Jute Industry

412. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri N. Shivappa :

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that a crisis has developed in Jute industry because of decline in export and that there is urgent need for modernising and diversifying the industry ; and

(b) if so, the action taken by Government for modernising the industry and diversifying the production ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) and (b). It is a fact that there has been decline in export of Indian jute manufactures to foreign countries due to competition from synthetics and Pakistan. For modernisation of jute industry, loans are being granted to jute industry by the Industrial Finance Corporation. As regards diversification, installation of broad looms for production of carpet backing continues to be licensed freely under the Industries (Development and Regulation) Act.

केरल और मैसूर में हथकरघा उद्योग

413. **श्री अ० श्रीधरन :**

श्री क० लकप्पा :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर और केरल राज्यों में 1968-69 में हथकरघा उद्योग के विकास पर कितना-कितना धन खर्च किया गया ;

(ख) इन दोनों राज्यों के लिये 1969-70 के लिये कितना-कितना धन नियत करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या सरकार का इन राज्यों के उन जुलाहों को प्रोत्साहन देने का विचार है, जिनके परिवार पूर्णतः इसी उद्योग पर निर्भर हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) केरल राज्य सरकार के अनुसार वर्ष 1968-69 में केरल राज्य में व्यय की गई राशि निम्नलिखित है :

हथकरघा उद्योग के लिये	42,95,713 रु०
केरल हथकरघा वित्त निगम में राज्य द्वारा लगाई गयी पूंजी	16,00,000 रु०

मैसूर सरकार से जानकारी अभी प्रतीक्षित है ।

(ख) राज्यों को दी जाने वाली राशि विवेक्य वर्ष में उनके द्वारा हथकरघा उद्योग पर किये जाने वाले व्यय पर निर्भर होती है । यह प्रतिवर्ष मार्च में दी जाती है । अतः वर्ष 1969-70 के लिये राशि का आकलन मार्च, 1970 में किया जायेगा ।

(ग) जी, हां ।

Tea Board

414. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the names of the members of the Tea Board ;

(b) the places where Tea is auctioned ; and

(c) the effect of auction of tea in London on the prices of tea ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) A list showing the names of the Tea Board is attached. **[Placed in Library. See No. LT-1298/69]**

(b) Calcutta, Cochin, Coonoor, Amritsar and London.

(c) Average prices of tea sold at London auctions show a declining trend from 1968. The depression in the London market is an important factor which has repercussions on other tea markets of the world.

चाय निगम की स्थापना

415. **डा० सुशीला नैयर : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय सूती कपड़ा निगम की भांति ही एक चाय निगम स्थापित करने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). इस सम्बन्ध में दिया गया सुझाव विचाराधीन है और इस पर शीघ्र ही कोई निर्णय लिये जाने की संभावना है ।

पटसन उद्योग जांच समिति

416. **श्री यशपाल सिंह :**

श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत पटसन उद्योग जांच समिति नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के निर्देशपद क्या होंगे ;

(ग) उक्त समिति में कितने सदस्य होंगे और उनके नाम क्या हैं ; और

(घ) पटसन उद्योग जांच समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन सरकार को कब तक दिये जाने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (घ). सरकार को पटसन के विपणन से सम्बन्धित कतिपय समस्याओं पर परामर्श देने हेतु श्री विभूति मिश्र की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की गई है । सरकारी संकल्प, जिसमें समिति के निर्देशपद तथा सदस्यों के नाम दिये गये हैं, की एक प्रति (अंग्रेजी) में संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1299/69]**

नेपाल में औद्योगिक उपक्रम

417. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री जुल्फिकार अली खां :
श्री अजमल खां :
श्री मीठा लाल मीना :
श्री रा० की० अमीन :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने मई, 1969 से नेपाल में कुछ नये उद्योग खोलने के बारे में एक समझौता किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अमरीका द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रास्त्रों की सप्लाई

418. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री जयसिंह :
श्री अदिचन :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :
श्री रा० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री मीठा लाल मीना :
श्री बलराज मधोक :
श्री भोगेंद्र झा :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री रवि राय :
डा० कर्णी सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान लगाई गई शास्त्रास्त्रों की सप्लाई पर रोक को सम्भवतः अमरीका पाकिस्तान से हटाने जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अमरीका के विदेश मंत्री श्री रोजर्स ने अपनी हाल की भारत यात्रा के दौरान भारतीय नेताओं को यह आश्वासन दिया है कि अमरीका पाकिस्तान पर लगी शास्त्रास्त्रों हथियारों की सप्लाई की रोक नहीं हटायेगा परन्तु जब वह पाकिस्तान यात्रा पर गये तो वे अपने इस विचार पर दृढ़ नहीं रहे ;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार अमरीकी सरकार से यह अनुरोध करने का है कि इस उप महाद्वीप में सैनिक सन्तुलन बनाये रखने के लिए वह भारत को शस्त्रास्त्र सप्लाई करे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). भारत और पाकिस्तान को हथियार देने के संबंध में संयुक्त राज्य अमरीका की वर्तमान नीति उनकी 10 अप्रैल, 1967 की घोषणा के अनुसार अनुशासित होती है। उनकी यह नीति संयुक्त राज्य अमरीका के नये प्रशासन के पुनर्विचाराधीन है। इसमें ढील देने या इसे सख्त बनाने की नीति के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। पाकिस्तान को और हथियार देने की नीति में ढील देने के विरुद्ध हमने अपना विरोध कई अवसरों पर अमरीकी अधिकारियों के सामने प्रकट किया है। हमें यह आश्वासन दिया गया है कि इस मामले में किसी भी प्रकार के निर्णय लेने के पूर्व हमारे विचारों पर विचार किया जायेगा।

(घ) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

रेल माल डिब्बे, सवारी डिब्बे तथा इंजिनों का विदेशों को निर्यात

419. **श्री मु० कु० तापड़िया :** **श्री महाराज सिंह भारती :**
श्री रा० कृ० बिड़ला : **श्री गार्डिलिंगन गौड :**
श्री श्रद्धाकर सूपकार : **श्री शशि भूषण :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को कुछ देशों से रेल के डिब्बों (वातानुकूलित तथा अन्य) तथा (डीजल और भाप से चलने वाले) इंजिनों के लिये क्रयादेश प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन सौदों से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी ; और

(ग) किन-किन देशों ने क्रयादेश दिये हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक): (क) से (ग). डीजल और भाप से चलने वाले इंजनों के लिये कोई निर्यात क्रयादेश प्राप्त नहीं हुए हैं। सवारी डिब्बों के लिये क्रयादेश नीचे दिखाए गए हैं :

देश का नाम	सवारी डिब्बों की संख्या	जहाज पर मूल्य (करोड़ रु० में)	निर्यात का वर्ष
बर्मा	33	0.78	1968-69
थाईलैण्ड	2	0.0047	1967-68

सवारी डिब्बों के निम्नलिखित संघटकों के लिये संविदाएं प्राप्त की गई हैं और उन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है :

थाईलैण्ड	सवारी डिब्बे	45 अदद
ताइवान	,,	100 अदद

पश्चिम एशिया में भारतीय राजदूतों का नई दिल्ली में सम्मेलन

420. श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्रीमती इला पाल चौधरी :
श्री एस० जेवियर :
श्री रा० की० अमीन :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री जय सिंह :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री प्र० के० देव :
श्री रा० वे० नायक :
श्री बलराज मधोक :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री दे० अमात :
श्री जुल्फिकार अली खां :
श्री मीठा लाल मीना :
श्री गु० च० नायक :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री मुहम्मद जे० इमाम :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री सी० के० चक्रपाणि :
श्री गणेश घोष :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री रवि राय :
श्री उमानाथ :
श्री राम चरण :
डा० रानेन सेन :
श्री सी० जनार्दनन :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री सीताराम केसरी :
श्री एस० आर० दामानी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री जे० के० चौधरी :
श्री रा० बरुआ :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री स० कुन्दू :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री समर गुह :
श्री शिवचरण लाल :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री प्रेम चन्द वर्मा :
श्री सत्य नारायण सिंह :
श्री के० एम० अब्राहम :
श्री के० रमानी :
श्री भगवान दास :
श्री एम० एस० ओबराय :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम एशिया के देशों में नियुक्त भारतीय राजदूतों का एक सम्मेलन दिल्ली में हाल ही में बुलाया था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था ; और

(ग) उसमें हुये विचार-विमर्श का व्यौरा क्या है और उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) यह बैठक पश्चिम एशिया की स्थिति पर और पश्चिम एशिया तथा उत्तर अफ्रीका से संबद्ध आम मामलों पर विचार-विनिमय करने के लिये बुलाई गई थी जिसमें व्यापार, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्धों का विकास भी शामिल है, जिनमें कि भारत की दिलचस्पी है।

(ग) ये बातचीत गोपनीय थी। जो बातें बताई जा सकती थीं वे एक बहुत बड़े समाचार-संवाददाता सम्मेलन में बताई गई थीं जो इस सम्मेलन के समाप्त होने पर विदेश सचिव ने बुलाया था।

प्रशासन में विशेषज्ञों तथा विशिष्ट ज्ञान प्राप्त लोगों की नियुक्ति

421. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सामान्य अधिकारियों के स्थान पर विशेषज्ञ लोगों की नियुक्ति करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रारूप योजना में मन्त्रियों/सचिवों अथवा अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के रूप में पूर्व उपलब्ध विशेषज्ञतापूर्ण अनुभव की ओर ध्यान दिया गया था ; -

(ख) क्या विशेषज्ञतापूर्ण व्यक्ति पहले से ही उनके अपने विभाग का प्रमुख नहीं है, जिसका सचिवालय में समुचित प्रभाव है और ;

(ग) क्या उस अवस्था में प्रजातन्त्र अधिक निकट होगा यदि जनता के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के बीच सामान्य ज्ञान प्राप्त अधिकारी अपने ज्ञान का प्रभाव नहीं करते और जनसाधारण के हितों की रक्षा नहीं करते ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग). प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के सन्दर्भ में, सरकार इन तथा अन्य सम्बद्ध मामलों पर विचार कर रही है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आधुनिकतम साधनों का विकास

422. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) समाजवादी ढांचे के अनुरूप चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किस प्रकार से असैनिक विमान परिवहन, यातायात की व्यवस्था, दूर संचार और प्रसारण व्यवस्था में वृद्धि की जा रही है जबकि 98 प्रतिशत व्यक्तियों द्वारा उनका प्रयोग नहीं किया जाता ;

(ख) यदि उन मदों में जिनमें क्षमता अप्रयुक्त है औद्योगिक विकास के लिए किया गया नियतन कम नहीं किया जा सकता, तो सिंचाई तथा सड़कों के लिये धन न देने के क्या कारण हैं, जिनसे जनसाधारण को लाभ पहुंचता है और जो रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करते हैं ; और

(ग) क्या योजना आयोग ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के मसौदे की विभिन्न मदों द्वारा पैदा किये गये रोजगार के अवसरों का अनुमान लगाया है और क्या यह अनुमान सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) असैनिक विमानन और दूर संचार देश की अवस्थापना के अनिवार्य अंग हैं। प्रसारण सेवायें भी संचार के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इन क्षेत्रों में देश की आर्थिक और प्रौद्योगिक विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों के लिये चौथी योजना में प्रावधान कर दिया गया है। असैनिक विमानन न केवल विकास का अनिवार्य अंग है, बल्कि विदेशी मुद्रा कमाने वाला भी है। दूर संचार सेवायें भी महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपयोग की हैं। रेडियो भी जन-सम्पर्क तथा मनोरंजन का सक्रिय माध्यम है। अतः सरकार प्रसारण सेवाओं का विस्तार करने की इच्छुक है और चौथी योजना के अन्त में क्षेत्रफल के अनुसार 76 प्रतिशत क्षेत्र और जनसंख्या के अनुसार 89 प्रतिशत जनसंख्या इसके अन्तर्गत आ जायेगी। इस समय इसके अन्तर्गत 36 प्रतिशत क्षेत्र तथा 73 प्रतिशत जनसंख्या है।

(ख) सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए जो प्रावधान किया गया है वह उन प्राथमिकता वाली योजनाओं से सम्बन्धित है जो आयात प्रतिस्थापना और / या निर्यात प्रोत्साहन के साथ-साथ औद्योगिक संरचना की गंभीर खाई पूरा करने में सहायता देगी। चौथी योजना में सड़क विकास कार्यक्रमों के लिए जो प्रावधान किया गया है वह तीसरी योजना या तीसरी योजना के बाद के तीन वर्षों के खर्चे के स्तर से काफी ज्यादा है। सिंचाई खास कर छोटी सिंचाई को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। हमारी योजना में उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास की व्यवस्था की गई है।

(ग) प्रोफेसर एम० एल० दांतवाला की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति इस समय इस प्रकार के अनुमानों की सम्भावना से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। समिति का कार्य प्रगति पर है।

हस्तशिल्प बोर्ड के विकास आयुक्त के विरुद्ध शिकायतें

423. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :**
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हस्तशिल्प बोर्ड के विकास आयुक्त के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई जांच कराई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) सरकार को अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के विकास आयुक्त के विरुद्ध दो नामरहित शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें एक शिकायत स्वयं विकास आयुक्त को सम्बोधित शामिल है ।

(ख) और (ग). चूंकि यह सरकार की सामान्य नीति है कि किसी नामरहित अथवा कल्पित नाम से दी गई शिकायतों पर कोई कार्यवाही न की जाये अतः प्रश्नाधीन शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

Assurance by U. S. Secretary of State for Supply of Arms to Pakistan

424. **Shri Ranjeet Singh :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Suraj Bhan :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri D. N. Patodia :
Shri M. L. Sondhi :
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Sharda Nand :
Shri Onkar Singh
Shri Shri Gopal Saboo :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri P. C. Adichan :
Shri A. Sreedharan :
Shri N. K. P. Salve :
Shri K. P. Singh Deo :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Valmiki Choudhary :
Shri Nihal Singh :
Shri Mahant Digvijai Nath :
Shri M. H. Gowda :
Shri Ram Charan :
Shri Himatsingka :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Bal Raj Madhok :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri J. Sunder Lal :
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri P. M. Sayeed :
Shri Chengalraya Naidu :
Shri R. R. Singh Deo :
Shri Bhogendra Jha :
Shri R. K. Amin :
Shri D. R. Parmar :
Shri N. Shivappa :
Shri G. C. Dixit :
Shri Bedabrata Barua :
Shri R. K. Birla :
Shri Deven Sen :
Shri Prem Chand Verma :
Shri Jyotirmoy Basu
Shri Hem Barua :
Shri P. P. Esthose :
Shri B. K. Modak :
Shri P. Gopalan :
Shri Umanath :
Shri Y. A. Prasad :
Shri S. Xavier :
Shri Narsimha Rao :
Shri R. V. Naik :
Shri G. C. Naik :
Shri J. Mohammed Imam :
Shri Yamuna Prasad Mandal :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the assurance given by U. S.

Secretary of State, Mr. William Rogers, to the President of Pakistan about the resumption of supply of American Arms to Pakistan; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) and (b). At his Press Conference following his talks with Pakistani leaders, the U. S. Secretary of State, Mr. Rogers stated that the policy governing arms supply to Pakistan and India was under review by the U. S. Government and that he was not in a position to make any commitment on that.

मई 1969 में राष्ट्रीय शोक के समय नई दिल्ली स्थित उत्तर कोरिया के दूतावास में झंडा न झुकाया जाना

425. **श्री रणजीत सिंह :**
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री सूरजभान :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री गु० च० नायक :
श्री जय सिंह :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डा० जाकिर हुसैन के निधन पर जब राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा था, तो उस समय उत्तर कोरिया के राजदूतावास में झंडा झुकाया नहीं गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में दूतावास से सरकार ने कोई बातचीत की थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है और झंडा न झुकने के क्या कारण थे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

London Office of Trade Representative of Mysore

426. **Shri Ranjeet Singh:**
Shri Atal Bihari Vajpayee:
Shri Ram Gopal Shalwale:
Shri Suraj Bhan:
Shri Brij Bhushan Lal:
Shri Jagannath Rao Joshi:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether a decision has been taken about the future of the London Office of the Trade Representative of Mysore;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reasons for the delay in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) As the matter requires careful consideration and involves consultations and discussions with the various concerned Ministries of the Government of India and the Government of Mysore, it is inevitably taking time.

गणतन्त्र दिवस समारोह में दिल्ली के महापौर मुख्य कार्यकारी परिषद के लिये स्थानों का दिया जाना

427. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री जय सिंह :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 2 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5080 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के महापौर और मुख्य कार्यकारी परिषद के लिये गणतन्त्र दिवस समारोह में स्थानों के दिये जाने के प्रश्न पर ब्रिटेन तथा अन्य देशों की तत्सम्बन्धी स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस बीच विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). यह प्रश्न कि आया मानसूची तालिका में दिल्ली के मेयर के स्थान में संशोधन किया जाये, अभी विचाराधीन है । अन्य कई देशों में मानसूची तालिका में मेयरों के लिए निर्धारित किये गये स्थान के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है ।

मानसूची तालिका में चीफ एक्जीक्यूटिव कौंसलर के लिये निर्धारित किये गये स्थान में संशोधन करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं है ।

मलयेशिया में भारतीय राष्ट्रजनों की सुरक्षा

428. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री जय सिंह :
श्री राम चरण :
श्री बाल्मीकी चौधरी :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री एस० जेवियर :
श्री गु० च० नायक :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री रा० वें० नायक :
श्री रामसिंह अयरवाल :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री ओंकार सिंह :
श्री शारदा नन्द :
श्री विभूति मिश्र :
श्री झा० सुन्दर लाल :
श्री मुहम्मद इमाम :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री प० मु० सईद :
श्री बलराज मधोक :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री गं० च० दीक्षित :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री एम० एस० ओबराय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मलयेशिया सरकार को कोई पत्र भेजा है जिसमें उस देश में हुए जातीय दंगों के परिणामस्वरूप भारतीय राष्ट्रजनों और भारत मूलक मलयेशियाई लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मलयेशिया की सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इन दंगों में भारतीय लोगों और भारत मूलक मलयेशियाई लोगों की कितनी हानि हुई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). जी नहीं ; और न ही इस तरह के किसी पत्र की आवश्यकता है क्योंकि कुआलालम्पुर स्थित हमारे हाई कमिश्नर इस अवधि में हमेशा ही मलयेशियाई सरकार से निकट सम्पर्क बनाये रहे हैं । हमारे हाई कमिश्नर की ताजा रिपोर्ट के अनुसार हाल ही की गड़बड़ी की लपेट में कोई भारतीय राष्ट्रिक नहीं आया था और न ही किसी पर इसका असर हुआ था । जहां तक भारतीय मूल के मलयेशियाइयों का प्रश्न है, उन्हें संरक्षण प्रदान करना मलयेशियाई सरकार की जिम्मेदारी है

और भारत सरकार के लिये ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि उन्हें यह संरक्षण नहीं दिया जा रहा है।

भारत का विदेशों के साथ औद्योगिक सहयोग

429. **श्री एस० आर० दामानी : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री 7 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8811 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, उनका व्योरा क्या है और निर्माणाधीन परियोजनाएं किस-किस चरण में हैं ;

(ख) भारतीय पार्टियां किस-किस प्रकार की सहायता देने के लिये सहमत हुई हैं ; और

(ग) इन उद्यमों से भारत को कितना लाभ हुआ है अथवा होने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) सरकार को प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8811 के उत्तर में निर्दिष्ट प्रायोजनाओं में से किसी में भी अभी तक उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ है। वे सभी बातचीत/क्रियान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(ख) इन उद्यमों में भारतीय सहायता निम्नलिखित रूपों में होगी :

(1) स्वदेशी मशीनों तथा उपकरणों का निर्यात करना ;

(2) आवश्यक तकनीकी जानकारी प्रदान करना ; और

(3) उन देशों के मिस्त्रियों को भारतीय फैक्टरियों में प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करना।

(ग) पूरी हो जाने पर ये प्रायोजनाएं रायल्टी, तकनीकी जानकारी शुल्क, लाभांश आदि के रूप में देश के लिये विदेशी मुद्रा के उपार्जन का चिरस्थायी स्रोत बन जायेंगी। भारत से आवर्ती आधार पर फालतू पुर्जों, संघटकों आदि के निर्यात की भी प्रकल्पना की गई है।

फिलिपाइन्स को जीपों का निर्यात

430. **श्री मुहम्मद शरीफ : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा ने फिलिपाइन्स को 24 जीप गाड़ियों का निर्यात किया है ;

(ख) क्या उक्त कम्पनी कुछ अन्य देशों को भी जीप गाड़ियों का निर्यात करती रही है और यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ; और

(ग) फिलिपाइन्स को निर्यात की गई इन जीप गाड़ियों का मूल्य कितना है और इस कम्पनी को इससे कितना लाभ हुआ है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). सामान्यत: विशिष्ट फर्मों के सौदों का कोई अभिलेख नहीं रखा जाता है। तथापि, ऐसा ज्ञात हुआ है कि फर्म ने फिलिपाइन्स तथा सिंगापुर को जीप गाड़ियों का निर्यात किया है।

Auto Power Station in Madhya Pradesh

431. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to set up an Automic Power Station in Madhya Pradesh ; and

(b) if so, the location thereof ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

रुपयों में भुगतान वाले देशों को निर्यात

432. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यह सिद्ध करने के लिये कि रुपये में भुगतान वाले देशों को भारत से निर्यातित वस्तुएं गन्तव्य स्थान पर पहुंच गई हैं, आयातकर्ता देशों के अधिकारियों से सीमा पार करने का प्रमाणपत्र आवश्यक है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई बार आयातकर्ता देशों के अधिकारी ऐसे प्रमाण-पत्र जाली बना देते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रथा को रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक): (क) आयातकर्ता देशों के प्राधिकारियों से सीमा पार करने के प्रमाण-पत्र को न तो आवश्यक ही समझा जाता है और न वह व्यावहारिक ही है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

Expansion of Indian Army

433. **Shri Ram Avatar Sharma :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state ;

(a) whether Government's attention has been drawn to the statement of Director, History

Section of his Ministry, which he made during the series of talks organised by the Military and Rifle Training Association, Ahmedabad that the ratio between the Armed Forces and per-thousand people of India, Pakistan and China is 11, 17 and 19 respectively and that India could build a strong army of 6 crores out of a population of 52 crores;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) whether Government propose to expand the Indian Army on the above basis?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). No, Sir. The Speaker was only trying to emphasize that India's man-power was more than adequate for her security. There was no suggestion that there was need to augment the present strength of the armed forces.

इथोपिया में भारतीय कर्मचारी

434. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इथोपिया में इस समय काम कर रहे भारतीय राष्ट्रजनों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इथोपिया में काम कर रहे भारतीयों के विरुद्ध घृणा फैलाई जा रही है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भविष्य में इथोपिया में भारतीय राष्ट्रजनों की नियुक्ति न होने देने के लिये कार्यवाही करने का है ; और

(घ) क्या इथोपिया में इस समय काम करने वाले सभी भारतीयों को वापस स्वदेश बुलाने के लिये सरकार का विचार शीघ्र कार्यवाही करने का है ।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) हमारी सूचना के अनुसार, इथोपिया की शैक्षिक संस्थाओं में पढ़ाने वाले अभी लगभग 850 भारतीय शिक्षक हैं । इसके अतिरिक्त इथोपिया सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्त कुछ भारतीय विशेषज्ञ हैं और साथ ही कुछ ऐसे गैर-सरकारी व्यक्ति हैं जो व्यापार में लगे हैं, जिनकी ठीक संख्या मालूम नहीं ।

(ख) सरकार इस बात से अवगत नहीं है कि इथोपिया में काम कर रहे भारतीयों के विरुद्ध घृणा फैलाई जा रही है । परन्तु इथोपिया में हाल में जो विद्यार्थी आन्दोलन हुआ, उसके दौरान कुछ छुटपुट संस्थाओं में काम कर रहे भारतीयों के विरुद्ध विरोधी विचार प्रकट किये गये ।

(ग) और (घ). इथोपिया और भारत के मित्रतापूर्ण तथा सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार इस प्रकार का कोई कदम उठाना नहीं चाहती है ।

काश्मीर और फरक्का बांध के बारें में रूस का प्रस्ताव

435. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**　　　**श्री रामावतार शास्त्री**
श्री बलराज मधोक :　　　**श्री समर गुह :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1969 में श्री कोसीगिन की पाकिस्तान यात्रा तथा पाकिस्तान के प्रेसीडेंट के साथ हुई उनकी बातचीत के बाद पाकिस्तान के साथ काश्मीर और फरक्का बांध परियोजना के बारे में बातचीत के लिये सरकार को रूस सरकार से कोई नया प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कच्चे पटसन के समर्थन-मूल्य

436. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**　　　**श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्ता :　　　**श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
श्री बे० कृ० दासचौधरी :　　　**श्री रामावतार शास्त्री :**

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1969-70 के लिये भी कच्चे पटसन के समर्थन-मूल्य जारी रखने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष यह समर्थन मूल्य क्या निर्धारित किया जायेगा और क्या इसको लागू करने वाले प्राधिकार के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है ;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में पटसन की रक्षित भण्डार एसोसियेशन और आई० जे० एम० ए० के विचार जान लिये हैं ;

(घ) क्या सरकार को पता है कि किसानों को प्राप्त होने वाला वास्तविक मूल्य घोषित मूल्य से बहुत कम है ; और

(ङ) यदि हां, तो किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक):(क) जी हां ।

(ख) वर्ष 1969-70 के मौसम के लिये कलकत्ता में आसाम बाटम किस्म के लिये वही न्यूनतम मूल्य अर्थात 107.17 रुपये प्रति क्विंटल (40 रु० प्रति मन) निर्धारित किया

Section of his Ministry, which he made during the series of talks organised by the Military and Rifle Training Association, Ahmedabad that the ratio between the Armed Forces and per-thousand people of India, Pakistan and China is 11, 17 and 19 respectively and that India could build a strong army of 6 crores out of a population of 52 crores;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) whether Government propose to expand the Indian Army on the above basis?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). No, Sir. The Speaker was only trying to emphasize that India's man-power was more than adequate for her security. There was no suggestion that there was need to augment the present strength of the armed forces.

इथोपिया में भारतीय कर्मचारी

434. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इथोपिया में इस समय काम कर रहे भारतीय राष्ट्रजनों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इथोपिया में काम कर रहे भारतीयों के विरुद्ध घृणा फैलाई जा रही है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भविष्य में इथोपिया में भारतीय राष्ट्रजनों की नियुक्ति न होने देने के लिये कार्यवाही करने का है ; और

(घ) क्या इथोपिया में इस समय काम करने वाले सभी भारतीयों को वापस स्वदेश बुलाने के लिये सरकार का विचार शीघ्र कार्यवाही करने का है ।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) हमारी सूचना के अनुसार, इथोपिया की शैक्षिक संस्थाओं में पढ़ाने वाले अभी लगभग 850 भारतीय शिक्षक हैं । इसके अतिरिक्त इथोपिया सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्त कुछ भारतीय विशेषज्ञ हैं और साथ ही कुछ ऐसे गैर-सरकारी व्यक्ति हैं जो व्यापार में लगे हैं, जिनकी ठीक संख्या मालूम नहीं ।

(ख) सरकार इस बात से अवगत नहीं है कि इथोपिया में काम कर रहे भारतीयों के विरुद्ध घृणा फैलाई जा रही है । परन्तु इथोपिया में हाल में जो विद्यार्थी आन्दोलन हुआ, उसके दौरान कुछ छुटपुट संस्थाओं में काम कर रहे भारतीयों के विरुद्ध विरोधी विचार प्रकट किये गये ।

(ग) और (घ). इथोपिया और भारत के मित्रतापूर्ण तथा सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार इस प्रकार का कोई कदम उठाना नहीं चाहती है ।

काश्मीर और फरक्का बांध के बारे में रूस का प्रस्ताव

435. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**　　　　**श्री रामावतार शास्त्री**
श्री बलराज मधोक :　　　　**श्री समर गुहृ :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1969 में श्री कोसीगिन की पाकिस्तान यात्रा तथा पाकिस्तान के प्रेसीडेंट के साथ हुई उनकी बातचीत के बाद पाकिस्तान के साथ काश्मीर और फरक्का बांध परियोजना के बारे में बातचीत के लिये सरकार को रूस सरकार से कोई नया प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कच्चे पटसन के समर्थन-मूल्य

436. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**　　　　**श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्ता :　　　　**श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
श्री बे० कृ० दासचौधरी :　　　　**श्री रामावतार शास्त्री :**

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1969-70 के लिये भी कच्चे पटसन के समर्थन-मूल्य जारी रखने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष यह समर्थन मूल्य क्या निर्धारित किया जायेगा और क्या इसको लागू करने वाले प्राधिकार के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है ;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में पटसन की रक्षित भण्डार एसोसियेशन और आई० जे० एम० ए० के विचार जान लिये हैं ;

(घ) क्या सरकार को पता है कि किसानों को प्राप्त होने वाला वास्तविक मूल्य घोषित मूल्य से बहुत कम है ; और

(ङ) यदि हां, तो किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक):(क) जी हां ।

(ख) वर्ष 1969-70 के मौसम के लिये कलकत्ता में आसाम बाटम किस्म के लिये वही न्यूनतम मूल्य अर्थात 107.17 रुपये प्रति क्विंटल (40 रु० प्रति मन) निर्धारित किया

गया है जो 1968-69 में लागू था । मूल्य समर्थन देने का कार्य राज्य व्यापार निगम को सौंपा जायेगा ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) और (ङ). न्यूनतम समर्थन मूल्य को 107.17 रुपये पर बनाये रखना सुनिश्चित कराने के लिये समर्थन के स्तर पर मूल्यों को स्थिर रखने का उत्तरदायित्व राज्य व्यापार निगम को सौंपने का विनिश्चय किया गया है । राज्य व्यापार निगम सहकारी समितियों, व्यापार तथा अन्य माध्यमों से मूल बाजारों में खरीदारी करने की व्यवस्था करेगा । इसके अतिरिक्त पटसन आयुक्त पटसन की आवक तथा मिलों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मिलों द्वारा कच्चा पटसन खरीदने के लिये मासिक कोटे नियत करेगा ।

भारत और पाकिस्तान के भू-अभिलेख तथा सर्वेक्षण विभागों का सम्मेलन

437. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री रा० की अमीन :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री द० रा० परमार :
श्री धी० ना० देव :
श्री मीठालाल मीना :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री समर गुह :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान तथा आसाम और पश्चिम बंगाल के भू-अभिलेख तथा सर्वेक्षण विभागों के निदेशकों का सम्मेलन हाल ही में हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक सम्मेलन में क्या-क्या निर्णय किये गये ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल और पूर्व पाकिस्तान के भू-अभिलेख निदेशकों की बैठक 19 और 20 जून, 1969 को कलकत्ता में और असम तथा पूर्व पाकिस्तान के भू-अभिलेख निदेशकों की बैठक गोहाटी में 2 से 4 जुलाई, 1969 तक हुई । इनकी कार्रवाई की मुख्य बातें इस प्रकार हैं ।

(क) **पश्चिम बंगाल-पूर्व पाकिस्तान**

(1) पूर्व पाकिस्तान के भू-अभिलेख निदेशक ने कहा कि प्रधान मंत्रियों के 1958 के समझौते के अनुसार बेरूबाड़ी संघ सं० 12 को सीमांकित करने का काम किया जाना चाहिए । पश्चिम बंगाल के भू-अभिलेख निदेशक ने इस कार्य को करने में अपनी असमर्थता प्रकट की क्योंकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दायर अर्जी पर अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है ।

(2) इस बात पर सहमति हुई थी कि राजशाही-माल्दा क्षेत्रों में 'टी' आकार के स्तम्भ लगाने का काम तेजी से किया जाना चाहिए ।

(3) भू-अभिलेख निदेशक मुर्शिदाबाद-राजशाही क्षेत्रों में, अगले क्षेत्र कार्य मौसम में अच्छी तरह निरीक्षण करने के बाद, गंगा पर (क्षेत्र कार्य मौसम में बांस द्वारा सीमांकन करने के मौजूदा प्रबन्ध की बजाय) तार के खम्भे गाड़ने के प्रश्न पर विचार करने पर सहमत हुए ।

(4) पश्चिम बंगाल के भू-अभिलेख निदेशक ने जोर देते हुये यह कहा कि महानन्द-बोरंग-काटांतोआ भाग का सीमांकन भी 1959 के शेख-स्वर्णसिंह समझौता के अनुसार चिलाहाटी क्षेत्र कार्य के साथ ही किया जाना चाहिए ।

(5) अगले मौसम में क्षेत्र कार्य का कार्यक्रम ढाका की बैठक में तैयार किया जायगा जो 6 और 7 अक्तूबर, 1969 को होगी ।

(ख) **असम-पूर्व पाकिस्तान**

भू-अभिलेख निदेशकों ने असम-पूर्व पाकिस्तान सीमा के एक छोटे-से टुकड़े को छोड़कर, जो कि लाठी टीला-डूमा-बाड़ी ग्राम-समूह में और उमापति गांव के सामने, उन क्षेत्रों में क्षेत्र कार्य पूरा कर लिया है जो उन्हें सौंपे गये थे । 2 से 4 जुलाई, 1969 तक जो बैठक हुई थी, उसमें भू-अभिलेख निदेशकों ने मूल खण्ड-मानचित्रों की जांच करने और उन्हें तैयार करने के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया । उन लोगों में वर्ष 1969-70 के क्षेत्र कार्य प्रोग्राम पर भी सहमति हुई जिसमें लापता स्तम्भों को पुनः गाड़ना और कुछ क्षेत्रों में 'टी' आकार के स्तम्भों का निर्माण भी शामिल है ।

पाकिस्तान द्वारा भारतीय सम्पत्ति की बिक्री

438. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री ओंकार सिंह :
श्री शारदानन्द :
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री राम चरण :
डा० रानेन सेन :
श्री जनार्दनन :
श्री न० कु० साल्वे :
श्री जि० मो० बिस्वास :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री जागेश्वर यादव :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री गु० च० नायक :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री दे० अमात :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री झा० सुन्दरलाल :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री बलराज मधोक :
श्री जे० के० चौधरी :
श्री रा० बरुआ :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री प्रेमचन्द वर्मा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री समर गुह

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने अब खुले रूप से यह स्वीकार कर लिया है कि भारत

पाकिस्तान संघर्ष के दौरान जप्त की गई भारतीय सम्पत्ति को उसने बेच दिया है ;

(ख) यदि हां, तो बेची गई सम्पत्ति का ब्योरा क्या है ;

(ग) इसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान को कितनी राशि प्राप्त हुई है ; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां, इस संघर्ष के सिलसिले में जप्त की गई कुछ भारतीय सम्पत्ति की बिक्री को स्वीकार किया है ।

(ख) और (ग). भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से उनके सम्बन्ध में विवरण मांगा है ।

(घ) भारत सरकार ने उनकी बिक्री के विरुद्ध विरोध प्रकट किया है ।

विद्रोही नागा नेता फिजो के लिये निशाने-पाकिस्तान की उपाधि

439. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री रा० वे० नायक :
श्री दे० अमात :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री जय सिंह देव :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री जे० के० चौधरी :
श्री बलराज मधोक :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्रीमती इला पाल चौधरी :
श्री रा० की० अमीन :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री शिव चन्द्र झा :
श्री ब० रा० परमार :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने विद्रोही नागा नेता फिजो को जो इस समय लन्दन में रहते हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी असैनिक उपाधि निशाने पाकिस्तान देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). सरकार ने पाकिस्तान के अखबारों में इस आशय की खबरें देखी हैं कि फिजो को जो कि एक ब्रिटिश नागरिक हैं, "अन्तर्राष्ट्रीय समझ-बूझ और स्वतंत्रता के लिये" की गई तथाकथित सेवाओं के लिए "निशाने-ए-पाकिस्तान" से पुरस्कृत किया जाना चाहिए। चूंकि फिजो अब ब्रिटेन के नागरिक हैं इसलिए पाकिस्तान द्वारा उन्हें कोई पुरस्कार देना अनिवार्यतः ब्रिटेन और पाकिस्तान के बीच का मामला है । लेकिन भारतीय कानून की नजरों में फिजो एक भगोड़ा है जिसके खिलाफ

अपने एक मित्र की हत्या के मामले में भागीदार होने के लिये गिरफ्तारी का वारंट है। अगर फिजो जैसे पूर्ववृत्त के व्यक्ति को इस सम्मान के योग्य समझा गया तो यह वाकई बड़े आश्चर्य की बात होगी।

पूर्वी सीमाओं पर राडार संचार-व्यवस्था

440. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री रा० की० अमीन :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री द० रा० परमार :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री मीठालाल मीना :
श्री विभूति मिश्र

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समूची पूर्वी सीमा को चेतावनी देने हेतु राडार संचार व्यवस्था द्वारा मिलाने के बारे में 14 मई, 1969 को "इण्डियन एक्सप्रेस" तथा साप्ताहिक पत्रिका "मार्च आफ दि नेशन" में प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) गत सात वर्षों में इस बारे में कोई प्रगति करने में भारत सरकार के असफल रहने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी हां, सरकार ने इण्डियन एक्सप्रेस में वह समाचार देखा है।

(ख) और (ग). उत्तरी और पूर्वी सीमाओं में वायुसेना के रक्षा राडार स्थानों के बीच एक आधुनिक संचार प्रणाली स्थापित करने के लिये एक प्रस्ताव कुछ समय से सरकार के विचाराधीन रहा है। प्रायोजना की भारी लागत को सामने रखते हुए यू० एस० ए० और अन्य देशों से सप्लाई के सभी सम्भाव्य साधनों पर विचार करना पड़ता है। साज-सामान और संघटकों के देशीय निर्माण की सम्भाव्यता का निरीक्षण भी करना पड़ता है। इन प्रक्रियायों ने कुछ समय लिया है। साज-सामान के चयन के लिए अन्तिम निर्णय चालू वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित है।

गर्म मसालों के निर्यात सम्बन्धी अध्ययन

441. **श्री जनार्दनन :**
श्रीइन्द्रजीत गुप्ता :
श्री वासुदेव नायर
श्री अदिचन :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बाजार अनुसंधान निगम ने गर्म मसालों के निर्यात को बढ़ाने से सम्बन्धित समस्यायों का हाल ही में अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ग) गर्म मसालों के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां ।

(ख) सर्वेक्षण रिपोर्ट ने मसालों के निर्यात के लिए अत्यधिक सम्भाव्यताओं का पता लगाया है । विपणन संगठन को सुधारनें के लिये आवश्यक अवस्थापना तथा संगठनात्मक ढांचे की स्थापना के लिए भी सिफारिशें की गई हैं । विशेष क्षेत्रों में अनुसन्धान के कार्यों में तीव्रता लाने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है ।

(ग) मसालों के सम्बन्ध में खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय के अपर सचिव की अध्यक्षता में सरकार निकायों तथा सम्बन्धित मंत्रालयों के प्रतिनिधियों का एक कार्यकारी दल गठित किया गया है जो अधिकाधिक उत्पादन और निर्यात तथा मसालों के विपणन हेतु क्रियात्मक व्यवस्था को गहराई से जांच करेगा और निर्यात के लक्ष्यों की पूर्ति के लिये उपाय सुझायेगा ।

छोटा नागपुर और संथाल परगना में विस्फोटक स्थिति

442. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को छोटा नागपुर और संथाल परगना के पिछड़े क्षेत्रों में व्याप्त विस्फोटक स्थिति की जानकारी है जो सूखा, आदिम जातियों के लोगों की ऋण ग्रस्तता, स्थानीय लोगों तथा आदिम जातियों के लोगों को विभिन्न सरकारी उपक्रमों और राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में नौकरी पाने के अधिकार की उपेक्षा की जाने के कारण हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार वहां एक संसदीय समिति भेजने की वांछनीयता का विचार करेगी, जो उस क्षेत्र में अब व्याप्त स्थितियों के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, परमाणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) राज्य सरकार से सूचना की इन्तजारी की जा रही है ।

(ख) अभी, प्रश्न नहीं उठता ।

छोटा नागपुर और संथाल परगना का विकास

443. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या छोटा नागपुर और संथाल परगना की इस स्थिति से वह अवगत हैं कि वहां प्रादेशिक शोषण किया जा रहा है और उस क्षेत्र से होने वाली आय के अनुपात में वहां के विकास करने के काम में बरती गई उपेक्षा के कारण उत्पन्न हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनका विचार इस क्षेत्र के सर्वतोमुखी विकास के लिये विशेष कृपा करके एक निश्चित राशि नियत करने का है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (**श्रीमती इन्दिरा गांधी**) : (क) और (ख). राज्य सरकार से सूचना की इन्तजारी की जा रही है। बहरहाल, राज्य की चौथी योजना में इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रावधानों का विकास शामिल होने की सम्भावना है।

पाकिस्तान द्वारा जप्त की गई भारतीय सम्पत्ति

444. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ताशकन्द घोषणा के बाद चार महीनों के भीतर पाकिस्तान ने 110 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की भारतीय सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया था ;

(ख) क्या 'ओरयन्टल बिल्डिंग्स' नामक भारतीय सम्पत्ति, जिसका मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक था एक मुस्लिम लीगी समाचार-पत्र 'कोहिस्तान' को 6 लाख रुपये में बेच दी गई थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पश्चिमी पाकिस्तान शत्रु सम्पत्ति प्रबन्ध बोर्ड ने 80 से अधिक भारतीय फर्मों को उनकी सारी आस्तियों सहित अपने कब्जे में ले लिया है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि लायलपुर काटन मिल्स, ओकारा फ्लोर एण्ड जनरल मिल्स, सतलुज काटन मिल्स, ओकारा एसोसिएटेड होटल्स, इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन और एयर इंडिया इण्टरनेशनल को, जो सभी भारतीय फर्में हैं, पाकिस्तान सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो विरोध-पत्र भेजने के अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह**) : (क) 1965 के संघर्ष के दौरान और उसके बाद, जिन सम्पत्तियों और आस्तियों पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, उनका मूल्य, शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक, भारत, के यहां पंजीकृत दावों के आधार पर संग्रहीत, 31 जनवरी, 1969 तक, 109.00 करोड़ रुपया है।

(ख) सरकार ने समाचार-पत्रों में इस आशय की खबरें देखी हैं।

(ग) और (घ). जी हां।

(ङ) भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से इस बात का बार-बार अनुरोध किया है कि वह ताशकन्द घोषणा के अनुच्छेद VIII की शर्तों के अनुसार, 1965 के संघर्ष के दौरान, दोनों पक्षों द्वारा कब्जा की गई सम्पत्तियों और आस्तियों को लौटाने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करें। पाकिस्तान सरकार ने इसका सही ढंग से उत्तर नहीं दिया है। परन्तु भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान द्वारा कब्जा की गई भारतीय सम्पत्तियों के सम्बन्ध में, जिनमें इन

सम्पत्तियों की किसी प्रकार की क्षति या नुकसान के लिए, पूर्ण क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार शामिल है वह अपने सारे अधिकार सुरक्षित रखती है। सरकार ने यह भी बतलाया है कि वह इस अधिकार को मान्यता नहीं देगी कि पाकिस्तान या कोई तीसरा पक्ष यह दावा करे कि भारतीय सम्पत्तियों के गैर-कानूनी निपटान द्वारा उसने इसे प्राप्त किया है।

प्रतिरक्षा सलाहकार बोर्ड

445. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिन-प्रति-दिन उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रतिरक्षा समस्याओं पर सरकार को परामर्श देने के लिए एक प्रतिरक्षा सलाहकार बोर्ड है, जिसमें वायु सेना, स्थल सेना तथा नौसेना के सेवा निवृत्त अधिकारी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और इसके प्रत्येक सदस्य को क्या शुल्क या मानदेय दिया जाता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो देश के हित की दृष्टि से सेवा निवृत्त अधिकारियों के अनुभव का सरकार द्वारा लाभ न उठाये जाने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जभी आवश्यक समझा जाता है विशेष समस्याओं से निपटने के लिए सेवा से विमुक्त अफसरों का अनुभव सरकार द्वारा प्राप्त किया जाता है।

भारतीय चलचित्र निर्यात निगम

446. **श्री सेझियान** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय चलचित्र निर्यात निगम को सरकारी क्षेत्र में अन्य संस्थान का एक सहायक संस्थान बनाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) चालू वर्ष में इस निगम का कार्य करने का लक्ष्य क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). भारतीय चलचित्र निर्यात निगम की स्थापना भारतीय चलचित्रों के निर्यात-संवर्धन के लिए वर्ष, 1963 में 10 लाख रु० की अधिकृत पूंजी से हुई। राज्य व्यापार निगम ने इस निगम के गठन में भाग लिया क्योंकि देश के निर्यातों का विस्तार करने में अन्य संगठनों की सहायता करना भी राज्य व्यापार निगम का एक लक्ष्य है। निगम के कार्यचालन की समीक्षा से

प्रकट हुआ कि धनाभाव के कारण भारतीय 'चलचित्र निर्यात निगम' के कार्यकलापों में बाधा पड़ी, अतः वर्ष 1967 के आरम्भ में इसकी पूंजी 10 लाख रु० से बढ़ाकर 25 लाख रु० कर देने का विनिश्चय किया गया। राज्य व्यापार निगम ने इसके और भी शेयर ले लिये और राज्य व्यापार निगम के पास अब भारतीय चलचित्र निर्यात निगम की 51 प्रतिशत से अधिक शेयर पूंजी होने के कारण भा० च० नि० नि० 4-4-1967 को राज्य व्यापार निगम का अनुषंगी हो गया। सरकार ने भारतीय चलचित्र निर्यात निगम को राज्य व्यापार निगम के अनुषंगी के रूप में मान्यता दे दी है।

(ग) निगम ने चालू वर्ष के लिये 50 लाख रुपये मूल्य के भारतीय चलचित्रों के निर्यात का लक्ष्य रखा है।

रूस तथा पश्चिम एशियाई देशों के साथ व्यापार का स्थल मार्ग

447. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री सीताराम केसरी :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री जनार्दनन :
डा० रानेन सेन :
श्री जागेश्वर यादव :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री मीठालाल मीना :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री गुणानन्द ठाकुर :
श्री जे० के० चौधरी :
श्री स० कुन्दू :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के व्यापार तथा वाणिज्य के लिए सोवियत रूस और पश्चिमी एशिया के देशों को जाने वाला स्थल मार्ग खोलने की व्यवहार्यता का पूर्णरूपेण मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले में आगे बढ़ने का है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). पारगमन व्यापार सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस तरह के खुश्क रास्ता देने की संभाव्यता पाकिस्तान सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है।

(ग) जी हां।

वैदेशिक-कार्य मंत्री की नेपाल यात्रा

448. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री बलराज मधोक : **श्री रवि राय :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा : **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : **श्री गुणानन्द ठाकुर :**
श्री जय सिंह : **श्री शिवचन्द्र झा :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : **श्री द्वा० ना० तिवारी :**
श्री हिम्मतसिंहका : **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री रा० रा० सिंह देव : **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**
श्री रामावतार शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह जून, 1969 में नेपाल गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो वहां किस विषय पर बातचीत हुई तथा उसका क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस यात्रा के अन्त में जो संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई थी उसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-1300/69]**

भारत नेपाल संयुक्त सीमा आयोग

449. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री जुगल मंडल :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : **श्री शशि भूषण :**
श्री विभूति मिश्र : **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री सु० कु० तापड़िया : **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री रा० कृ० बिड़ला : **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**
श्री वेणी शंकर शर्मा : **श्री भोगेन्द्र झा :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के विदेश मंत्री की नेपाल यात्रा के परिणामस्वरूप भारत तथा नेपाल की सरकारें भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद को हल करने के लिये एक संयुक्त सीमा आयोग स्थापित करने के लिये सहमत हो गई है ;

(ख) भारत और नेपाल के बीच कुल कितनी भूमि के बारे में विवाद है ; और

(ग) क्या सुस्ता का प्रश्न इस आयोग के निर्देश पदों में शामिल किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत नेपाल सीमा पर जहां इन नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण सीमा स्तम्भ आदि बह गये थे सीमानदी का स्थान पुनर्निर्धारित करने के लिये एक संयुक्त सर्वेक्षण दल की स्थापना करने के सम्बन्ध में दोनों सरकार विचार कर रही हैं।

(ख) भारत और नेपाल के बीच यों तो कोई विवादग्रस्त भूमि नहीं है। भारत नेपाल सीमा अपनी संपूर्ण लम्बाई के साथ सुनिश्चित है।

(ग) जी हां। जब प्रस्तावित संयुक्त सर्वेक्षण दल का गठन हो जाएगा तो गण्डक नदी पर की सीमा के पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में विचार किया जाएगा।

अमेरिका के विदेश मंत्री का भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता का सुझाव

450. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्री एस० जेवियर**
श्री सीताराम केसरी : श्री मीठालाल मीना :
श्री रा० कृ० सिंह : श्री प० मु० सईद :
श्री शिव कुमार शास्त्री : श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री : श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री शिव चरण लाल : श्री प्रेम चंद वर्मा :
श्री रामावतार शर्मा : श्री नंद कुमार सोमानी :
श्री रा० की० अमीन : श्री य० अ० प्रसाद :
श्री वि० नरसिम्हा राव : श्री देवेन सेन :
श्री प्र० न० सोलंकी : श्री हेम बरुआ :
श्री एस० पी० राममूर्ति : श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री गार्डिलिंगन गौड :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के विदेश मंत्री ने एशिया के अपने दौरे के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे वाद-विवादों को सुलझाने के लिये परस्पर बातचीत करने के लिए दोनों देशों से अनुरोध किया है ;

(ख) क्या भारत और पाकिस्तान ने बातचीत आरम्भ करने के लिए कोई ठोस योजना बनाई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में कितनी प्रगति हुई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) भारत ने पाकिस्तान के सामने कुछ प्रस्ताव रखे हैं, किन्तु पाकिस्तान की ओर से कोई स्पष्ट उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पाकिस्तान की जेलों में भारतीय लोग

451. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान में नजरबंद भारतीय नागरिकों के क्या नाम हैं और वे कितने समय से वहां नजरबंद हैं ; और

(ख) उनको शीघ्र रिहा कराने के लिए सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) पाकिस्तान में जो भारतीय राष्ट्रिक नजरबंद हैं उनके बारे में पाकिस्तान सरकार सूचना नहीं देती । भारत सरकार ने इस बारे में पाकिस्तान सरकार से बार-बार कहा है लेकिन अभी तक कोई उत्तर नहीं आया है ।

(ख) सरकार को जिस किसी भारतीय राष्ट्रिक के बारे में यह पता चलता है कि वह पाकिस्तान में नजरबंद है, उसे जल्दी से जल्दी छुड़वाने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है ।

गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन

452. **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री ओंकार सिंह :
श्री श्रद्धानन्द :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री प० मु० सईद :
श्री क० लकप्पा :
श्री बलराज मधोक :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री बेघर बेहेरा :
श्री ज्ञा० सुन्दरलाल :
श्री श्रीनिवास मिश्र :
श्री रा० बरुआ :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री दे० अमात :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री प्र० के० देव :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री गु० च० नायक :
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री जुगल मंडल :
श्री बालमीकि चौधरी :
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री रविराय :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री एम० एस० ओवराय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सीताराम केसरी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने गुटनिरपेक्ष देशों की परामर्शदात्री बैठक बुलाने के लिए किये गये परामर्श में भाग लिया था ;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं, जिनको गुटनिरपेक्ष देशों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए औपचारिक निमंत्रण भेजा जायेगा ; और

(ग) इस सम्मेलन की कार्यसूची क्या है और भारत अन्य देशों के समक्ष कौन-सा प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) मेजबान देश यूगोस्लाविया ने, उन गुटनिरपेक्ष राज्यों को निमंत्रण भेजा, जिन्होंने 6 अक्तूबर, 1964 को काहिरा में हुए पिछले सम्मेलन में भाग लिया था ;

(ग) कार्यसूची इस प्रकार थी :

(1) आज के विश्व में गुटनिरपेक्ष नीति का महत्व, विशेश रूप से शान्ति, स्वतंत्रता और विकास की समस्याओं के सन्दर्भ में।

(2) विभिन्न क्षेत्रों में गुटनिरपेक्ष देशों द्वारा और अधिक परामर्श, सहयोग और सम्मिलित कार्य बढ़ाने की सम्भावनाओं पर विचार।

चूंकि यह परामर्शात्मक बैठक थी अतः कोई प्रस्ताव नहीं पेश किये गये।

आयुध कारखानों में सुपरवाइजरों-चार्जमैनों का स्थायीकरण

454. **श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :
डा० सुशीला नैयर :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री आयुध कारखानों में सुपरवाइजरों-चार्जमैनों के बारे में 7 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8694 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच इकट्ठी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1301/69]

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्द महासागर में चीनी नागरिक

455. **श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :
डा० सुशीला नैयर :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 मई, 1969 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि चीन हिन्द महासागर में स्थान चाहता है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती हुई गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). भारत सरकार का यह मत है कि हिन्द महासागर शान्ति क्षेत्र बना रहे और किसी राष्ट्र के आधिपत्य से मुक्त रहे । परन्तु प्रादेशिक जल-क्षेत्र से परे महा समुद्रों में विदेशी कार्यकलापों पर भारत सरकार का कोई अधिकार नहीं है । परन्तु सरकार इस स्थिति पर नजदीक से निगाह रख रही है ।

जम्मू तथा काश्मीर, राजस्थान और कच्छ में बसाये गये भूतपूर्व सैनिक

456. **श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :
श्री रणजीत सिंह :
डा० सुशीला नैयर :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री सूरज भान :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 23 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7315 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर, राजस्थान और कच्छ में बसाये गये भूतपूर्व सैनिकों के बारे में आपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). सूचना अभी सम्बन्धित राज्य सरकारों से इकट्ठी की जा रही है ।

वियतनाम की समस्या पर अमरीकी विदेश मंत्री के साथ बातचीत

457. **श्री बलराज मधोक :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री क० लकप्पा :
श्री स० कुन्दू :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री बाल्मीकि चौधरी :
श्री राम चरण :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री प्र० के० देव :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री झा सुन्दर लाल :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री प० मु० सईद :
श्री बेघर बेहरा :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री ई० के० नायनार :
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री सी० के० बसु :
श्री सी० के० चक्रपाणि :
श्री उमानाथ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के राष्ट्रपति ने हाल ही में शांति प्रयास के रूप में वियतनाम अमरीकी सैनिकों को वापिस बुलाने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) क्या अमरीका के विदेशी मंत्री की भारत यात्रा के दौरान उनके साथ वियतनाम समस्या के प्रति अमरीकी दृष्टिकोण के प्रश्न पर बातचीत की गई थी ;

(ग) यदि हां तो इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और अमरीकी विदेश मंत्री के साथ हुई बातचीत का क्या परिणाम निकला ; और

(घ) क्या सरकार वियतनाम में शांति स्थापित करने के लिये अपनी ओर से कोई प्रयास कर रही है ?

वैदेशिक मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने भारत की सरकार को सूचित किया है कि वे दक्षिण वियतनाम से कुछ सैनिक हटा रहे हैं।

(ख) जी हां।

(ग) इस प्रकार की बातचीत गोपनीय प्रकृति की होती है और इसे बताने की परम्परा नहीं है।

(घ) सरकार, राजनयिक सूत्रों के जरिए से और अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण एवं अधीक्षण आयोग के माध्यम से भारत जिसका सदस्य प्रधान है, सम्बद्ध पक्षों से सम्पर्क बनाए हुए है।

Chinese Atrocities on Tibetans

458. **Shri Kanwar Lal Gupta:** **Shri Onkar Singh:**
Shri Sharda Nand: **Shri Ram Singh Ayarwal:**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the steps taken by Government to check the inhuman atrocities being perpetrated by the Chinese people on the people of Tibet ;

(b) whether this matter would be brought before the International Court; and

(c) Whether Government propose to give proper assistance to the Dalai Lama after recognising him as Head of the Tibetan Government and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) The Government of India have never concealed their distress at the sufferings of the Tibetan people. We have drawn the attention of U.N.O. on various occasions in the past. We had also supported a resolution in the General Assembly of the United Nations deploring the loss of personal rights and freedom in Tibet.

(b) No, Sir.

(c) India's policy vis-a-vis the Dalai Lama and Tibet has been made clear in Parliament on several occasions, and it does not appear to require any change in the present circumstances.

Production of Military Hardware

459. **Shri Kanwar Lal Gupta:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are lagging far behind the target of production of military hardware in the country ;

(b) whether it is also a fact that the country had to import more arm from abroad as a result thereof and more foreign exchange had to be spent thereon ; and

(c) the steps being taken by Government to ensure achievement of targets in this field ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra): (a) No, Sir. There have however been some shortfalls in the target of production in respect of certain difficult or sophisticated items, but the trend of production has been one of progressive increase.

(b) Imports has been necessary in a few cases where indigenous production did not come up to the expected level but there has been no steep increase in the total foreign exchange expended over the last few years, despite the fact that prices are generally rising. Some import are in any case absolutely unavoidable.

(c) There is a constant review of the progress of production at the highest level by the Production Organisation jointly with the users and the reasons for shortfalls, as and when they occur, are examined and remedial action taken. Continuous efforts are also being made to step up production through expansion and modernisation of capacity, progressive use of modern methods of production and management. Organisational changes are also introduced, where necessary with a view to releasing maximum initiative at the factory level and enrsuring reforms in procedure thereby minimising delays, etc.

रोडेशिया में श्री इयान स्मिथ सरकार

460. **श्री अदिचन :**

श्रीरामावतार शास्त्री :

श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है श्री इयान स्मिथ के नेतृत्व में बनी अल्प-संख्यक श्वेत सरकार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न संस्थाओं द्वारा अनेक प्रस्ताव पारित किये जाने पर भी स्मिथ सरकार उस देश के बहु-संख्यक अगौर लोगों की इच्छा के विरुद्ध अपना दमन चक्र कड़ा करती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से अथवा अन्य किसी ढंग से रोडेशिया में बहु-संख्यक सरकार स्थापित कराने में सहायता देने के लिये और क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्यान में यह मामला है। 24 जून, 1969 को सुरक्षा परिषद् के सामने यह विषय आया था। कामनवेल्थ सैन्क्शन्स कमेटी ने भी 27 जून, 1969 को लन्दन में एक आपात बैठक में इस मामले पर विचार किया, जबकि इन आदेशों को और भी प्रभावकारी बनाने के सभी तरीकों और उपायों की परीक्षा करने और मुख्य समिति को इनके बारे में रिपोर्ट देने के लिये एक कार्यकारिणी दल की नियुक्ति की गई, जिसमें भारत, यू० के०, कनाडा, कीनिया, जाम्बिया, जमाइका और पाकिस्तान सम्मिलित थे। इस कार्यकारिणी दल से यह भी कहा गया कि वह ऐसे अतिरिक्त आदेशों की सम्भावना का अध्ययन करे, जिनमें आदेश नीति की सर्वव्यापक प्रभावकारिता की वृद्धि करने की क्षमता हो।

(ग) सरकार का यह सुझाव है कि वह गैर-कानूनी जातिवाद सरकार की शक्ति को कम करने के उद्देश्य से, आदेशों को और भी प्रभावकारी बनाने के तरीके और उपाय सोच निकालने के लिये, संयुक्त राष्ट्र संघ और यूनाइटेड किंगडम की सरकार पर दबाव डालती रहे।

शक्तिमान ट्रक

461. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1967-68 में शक्तिमान ट्रकों का कम संख्या में निर्माण हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) प्राप्य क्षमताओं पर आधारित, वर्ष के आरम्भ में नियत किया गया लक्ष्य 1100 था। इसके विरुद्ध वर्ष के दौरान उत्पादित किये गये ट्रकों की संख्या 780 थी।

(ख) उत्पादन में कमी के मुख्य कारण थे :

(1) वर्ष के आरम्भ में लक्ष्य नियत करते समय ऐसी आशा की गई थी कि पिस्टनों की सप्लाई, जिसमें हड़ताल के कारण विलम्ब हो रहा था 1967 के मध्य में पुनः शुरू हो जायगी। तदापि, यह प्रत्याशा वर्ष में काफी देर तक कार्यान्वित न हो पाई।

(2) आयात माईक्रो फिल्टरों के प्राप्ति में विलम्ब हो गया था।

(3) बाजार से रबड़ माऊंटिंग्स की सप्लाई में विलम्ब हो गया था।

(4) इंजन और आयल पम्प में कुछ नुक्स दिखाई दे जाने के कारण उत्पादन रुक गया था।

Preparations by China for Attack on India

462. **Shri Narin Swarup Sharma:**
Shri Om Prakash Tyagi:
Shri J. Sundar Lal:
Shri Ram Swarup Vidyarthi:
Shri Har Dayal Devgun:
Shri Jai Singh:
Shri Yajna Datt Sharma:
Shri Abdul Ghani Dar:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that there is a possibility of China attacking India again;

(b) whether Government also apprehend that China can make use of atomic weapons and bombs in the course of her attack on India;

(c) if so, the manner in which Government propose to defend the country in the event of attack by China;

(d) whether Government propose to make any change in her atomic policy in view of the changing policies of U.S.A. and U.S.S.R.; and

(e) if so, the nature thereof and if not, the reasons therefor?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (e). Government are alive to threats to our borders, and also to possible forms which such threats may assume.

Government's policy on the question of development of nuclear weapons has been explained to the House from time to time. They believe that the defence of our borders can be best ensured by adequate military preparedness based upon conventional weapons. In their view, the possession of nuclear weapons is no substitute for such military preparedness. Our assessment as well as our plans are naturally kept under constant review, the paramount consideration being given to the need for safeguarding national defence and security.

International Islamic Conference in Malaysia

463. **Shri Narain Swarup Sharma:** **Shri Ram Swarup Vidyarthi:** **Shri Om Prakash Tyagi:** **Shri Bal Raj Madhok:** **Shri J. Sunder Lal:**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1708 on the 14th May, 1969 and states:

(a) the names of persons who represented India in the Islamic Conference and the criterion for their selection;

(b) the total amount spent by Government on the Indian representatives who attended the International Islamic Conference held in Malaysia;

(c) whether the question of Kashmir was discussed at the Conferenc and if so, the stand taken by the Indian delegation; and

(d) the major decision taken by the Conference?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) The names of the persons are:

(i) Shri Syed Ali Zaheer, M.L.A.

(ii) Shri M. N. Naghnoor, M.P.

(iii) Shri Moinul Haque Chowdhury, M.L.A.

(iv) Prof. Ahmad Jamal Yusuf, Member.

(v) Maulana Abdul Irfan, Member.

The following considerations were kept in view in selecting the delegates:

(i) The persons selected must be eminent public men.

(ii) At least one delegate must be well versed in ecomic affairs.

(iii) At least one delegate should be an authority on Islamic religion.

(b) The total estimated expenditure would be Rs. 19,300 out of which Rs. 18,052.24 has already been spent.

(c) No, Sir; the question of the stand of the Indian delegation therefore does not arise.

(d) Please see part (d) of Lok Sabha Starred Question No. 1706 answered on 14th May, 1969.

अखबारी कागज का आयात

464. **श्री सीताराम केसरी :**
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस, अमेरिका, कनाडा और अन्य देशों से अखबारी कागज के आयात के लिये बातचीत पूर्ण हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई समझौता हो गया है ;

(ग) किन-किन देशों से अखबारी कागज का आयात किया जायेगा ; और

(घ) अखबारी कागज की कितनी मात्रा का आयात किया जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) सोवियत संघ, सं० रा० अमरीका, कनाडा, स्वीडन तथा फिनलैण्ड।

(च) 1,20,200 मैट्रिक टन।

रेयन ग्रेड पल्प तथा लम्बे रेशे के निर्माण के लिये संयंत्र तथा मशीनों का निर्यात

465. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने रेयन ग्रेड पल्प और लम्बे रेशे के निर्माण के लिये संयंत्र तथा मशीनें निर्यात करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो ये मशीनें किन-किन देशों को निर्यात की जायेंगी;

(ग) क्या इस क्षेत्र में भारत आत्म-निर्भर है ; और

(घ) इससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) संयंत्र तथा मशीनों, जिसमें रेयन ग्रेड लम्बे रेशे के निर्माण के लिये मशीनें भी शामिल हैं, का निर्यात निर्बाध है।

(ख) रेयन ग्रेड लुगदी लम्बे रेशे के निर्माण के लिए मशीनों का अभी तक निर्यात नहीं किया गया है।

(ग) इस मशीन की आवश्यकताओं को स्वदेशी स्रोतों से पूरा किया जाता है और आयात की अनुमति नहीं दी जाती।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Increase in Saleries of Soldiers

466. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government feel that in view of the present high cost of living, it is necessary to increase the salaries of soldiers in the Army ;

(b) if so, whether Government would increase their pay ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (c). Compensation for high cost of living is Provided to members of the Armed Forces as in the case of all other Government employees in the shape of dearness allowance. Increases in the rates of dearness allowance have been sanctioned from time to time with reference to the 12-monthly average of the All India Working Class Consumer Price Index as recommended in the Gajendragadkar Commission Report.

The pay scales of members of the Armed Forces are broadly linked with those recommended by the last Pay Commission for the corresponding Civil Services. A review of the pay scales of the members of the Armed Forces can be undertaken only as a part of an overall review convering all Government employees.

मैसूर और केरल में हस्तशिल्प उद्योग

467. **श्री क० लकप्पा :**

श्री ए० श्रीधरन :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर और केरल राज्यों में हस्तशिल्प उद्योग के विकास के कोई प्रस्ताव विचाराधीन हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या मैसूर और केरल राज्य सरकारों ने चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में अपने अपने राज्यों में हस्तशिल्प उद्योग के विकास के लिये कोई योजना भेजी है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार कथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) कोई नयी योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है । परन्तु कई पहले से चल रही योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं ।

(ख) एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है (अनुबन्ध-1) जिसमें ऐसी योजनाओं के ब्योरे दिये गये हैं । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1302/69]

(ग) जी हां । चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिये राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गयी योजनाओं के ब्योरे अनुबन्ध-2 में (अंग्रेजी में) दिये गये हैं ।[**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1302/69]

Tyre Deal Scandal

468. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that certain military officers had been awarded various punishments in connection with he tyre deal scandal in his Ministry some years back ;

(b) if so, their names and the nature of punishment awarded to each of them ;

(c) whether it is also a fact that no explanation was asked for from many of the officers awarded punishment ; and

(d) if so, the reasons for which punishments were awarded without giving any opportunity to the Officers concerned to explain their position ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (d). The Question apparently refers to Major S. N. Singh who was the Officer Commanding, Central Ordinance Depot, Malad, at the time of Purchase of the imported tyres during 1963. Major Singh retired from service with effect from 17th March, 1967. As the service of Major S. N. Singh was not cosidered satisfactory, the pension sanctioned to him was Rs. 367 per month. Major Singh has however filed a writ petition in the Bambay High Court praying that the pension of Rs. 550 be sanctioned to him and the matter is subjudice. There is no other Army Officer involved in the matter of purchase of the tyres in question.

गन एण्ड शैल फैक्टरी, काशीपुर

469. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 अप्रैल, 1969 को गोली चलाये जाने के कारण मारे गए गन एण्ड शैल फैक्टरी, काशीपुर के कर्मचारियों के परिवारों के सदस्यों को पूरा प्रतिकर दे दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक परिवार को कितनी राशि दी गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ग). 8 अप्रैल, 1969 को काशीपुर की गन तथा शैल फैक्टरी की घटना में जिन 5 कार्मिकों का निधन हुआ था उनमें से हर एक के कुटुम्ब के सम्बन्ध में अनुग्रहपूर्वक अदायगी के लिए 5,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। यह राशि अदा कर दी गई है। यह प्रश्न कि आया वर्कमेन मुआवजा अधिनियम के अन्तर्गत कोई मुआवजा देय है, निरीक्षणाधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर में धातुमिश्रित इस्पात कारखाना

470. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर में एक विशेष धातुमिश्रित इस्पात कारखाना स्थापित करने के लिए अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है और इसमें कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति

471. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं की जा रही है यद्यपि उन्होंने अपना "ट्रेड-टेस्ट" पास कर लिया है तथा पदोन्नति किए जा रहे कर्मचारियों से वह वरिष्ठ हैं तथा उनकी सेवा का रिकार्ड अधिक अच्छा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे कार्य-कुशलता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो पदोन्नति पर इस प्रतिबन्ध को हटाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। पदोन्नति के लिए अर्ह सभी कर्मचारियों पर उनकी नियमों के अनुसार विचार करना होता है, और पदोन्नति के लिए उपयुक्तता का निर्णय उनके आचरण और सेवा के रिकार्ड समेत सभी तथ्यों को सामने रख के करना होता है।

रूस द्वारा पाकिस्तान को हथियारों तथा विमान की सप्लाई

472. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री राम चरण :
श्री बलराज मधोक :
श्री वे० कृ० दासचौधरी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस और भारत के प्रधान मंत्रियों के बीच मई, 1969 में हुई बातचीत के बाद पाकिस्तान को हथियारों और विमानों की सप्लाई के बारे में रूस के दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो रूस द्वारा पाकिस्तान को हथियारों और विमानों की सप्लाई की नवीनतम संभावनायें क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वी यूरोप के देशों को निर्यात

473. **श्री हिम्मतसिंहका :** **श्री रा० की० अमीन :**
श्री द० रा० परमार : **श्री क० मि० मधुकर :**
श्री एन० शिवप्पा : **श्री रवि राय :**
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी यूरोप के देशों के साथ कम होते जा रहे व्यापार तथा आगामी कुछ वर्षों में अनेक वस्तुओं के मूल्य कम होने के बारे में समाचार-पत्रों में व्यक्त की गई आशंका से सरकार सहमत है ;

(ख) यदि हां, तो इन देशों को निर्यात तथा विभिन्न वस्तुओं के यूनिट मूल्य में कमी की संभावनायें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने स्थिति का सामना करने के लिये निर्यात नीति का प्रारूप तैयार कर लिया है और यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

Trade Commissioners Abroad

475. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have appointed Trade Commissioners in foreign countries to boost our foreign trade ;

(b) whether it is also a fact that our exports have increased because of the efforts of these commissioners ; and

(c) if so, the country-wise details regarding such appointments and the quantum of increase in our exports during the years from 1966 to 1969 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) and (b). Our Commercial Representatives abroad known either as Trade Commissioners or Commercial Secretaries or Attaches have been in position in various stations abroad eversince independence. There are, at present, 51 Commercial Representatives abroad. Their principal task is to assist the Government in formulating economic and

trade policies with a view to promotion and expansion of trade. It is impossible to quantify the result of the efforts made by our Commercial Representatives.

(c) Statement indicating the designations of our Commercial Representatives abroad and the value of our exports in the years 1965-66 to 1968-69 to these countries is attached herewith. **[Placed in Library. See No. LT-1303/69]**

Officers beloning to Ministries Posted to Indian Missions Abroad

476. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2694 on the 12th March, 1969 and state :

(a) whether the requisite information has since been collected ;

(b) if so, details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes Sir.

(b) Details are given in the enclosed statement.

(c) Does not arise. **[Placed in Library. See No. LT-1304/69].**

Violation of Indian Industrial Regulation

477. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7353 on the 23rd April, 1969 and state :

(a) whether the information regarding the violation of Industrial regulations and making them compulsory has since been compiled ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) and (b). During the financial years 1966-67, 67-68, 68-69 and 69-70, 96 cases involving 429 persons/firms were registered under the Industries (Development and Regulations) Act, 1951. Out of these, prosecution has been lannched in 75 cases against 377 persons/firms, 4 cases against 10 persons/firms were dropped for want of proof and 17 cases involving 42 persons/firms are still under investigation of the 75 cases involving 377 persons/sent up for trial 62 cases involving 250 persons/firms were decided in Courts. 248 persons/firms were convicted and 2 persons/firms were acquitted.

Adequate provision has been made in the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, where under section 24, any violation of the Act is punishable with imprisonment which may extend to Six months or with fine which may extend to Rs. 5,000/- or with both.

(c) Does not arise.

आप्रवासियों पर ब्रिटेन द्वारा लगाए गये प्रतिबन्ध

478. **श्री सु० कु० तापड़िया :** **श्री जय सिंह :**
श्री हरदयाल देवगुण : **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**
श्री यज्ञ दत्त शर्मा : **श्री एम० एस० ओबराय :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश सरकार ने आप्रवास सम्बन्धी नियमों को और कड़ा करके आप्रवासियों पर प्रतिबन्ध लगाये हैं जिससे पहले से ही ब्रिटेन में रह रहे व्यक्तियों के आश्रितों पर प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो नई योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या इसके कारण ब्रिटेन में भारतीयों को कठिनाई हो रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जो भी राष्ट्रमण्डल नागरिक ब्रिटेन में वहां के किसी निवासी पर आश्रित होकर बसना चाहता है, उसके पास, अपना देश छोड़ने से पूर्व, विदेश के ब्रिटिश सरकार प्रतिनिधि का प्रवेश-प्रमाण-पत्र होना चाहिए। ये जरूरतें इन लोगों को पड़ेंगी :

(1) पत्नियों और 16 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को, जिन्हें प्रवेश करने के वैधानिक अधिकार प्राप्त हैं ; और

(2) आश्रित बड़े बच्चों तथा मां-बाप को भी जिन्हें प्रवेश करने के वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं।

अगर आश्रित के रूप में बसने के लिए प्रवेश-प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाता है तो इस मामले में, अपील करने के अधिकार की व्यवस्था भी की गई है। परन्तु उन राष्ट्रमण्डल नागरिकों को प्रवेश-प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी जो अस्थायी रूप से ब्रिटेन जा रहे हों, उदाहरण के लिए, दर्शक, जिनमें व्यापारी दर्शक, विद्यार्थी आदि शामिल हैं।

(ग) ब्रिटिश सरकार के अनुसार नई कार्यविधि अपनाई जा रही है, जिससे राष्ट्रमण्डल नागरिकों के आश्रितों को, ब्रिटेन में प्रवेश करने के बन्दरगाहों पर असुविधा और कठिनाई न हो। हम इस बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये नियम सचमुच में उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने, जैसा कि उनका कहना है, उन्हें लागू किया है, उसके पूर्व हमें कुछ समय तक इनके कार्य संचालन को देखना है।

नागाओं से वार्ता

479. श्री हेम बरुआ : श्री शारदा नन्द :
श्री हेम राज : श्री प० मु० सईद :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : श्री सीता राम केसरी :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्री बे० कृ० बासचौधरी :
श्री स० मो० बनर्जी : श्री मीठा लाल मीना :
श्री मणिभाई जे० पटेल : श्री एस० पी० राममूर्ति :
श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री अजमल खां :
श्री वेणी शंकर शर्मा : श्री रा० की० अमीन :
श्री ओंकार सिंह : श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री राम सिंह अयरवाल : श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूमिगत नागाओं (उदार) के नेता श्री सुखाय ने नागा समस्या का शान्तिपूर्ण हल करने के लिये, छिपे नागाओं से फिर से वार्ता करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या स्वेच्छा से लन्दन निर्वासित श्री फिजो को इस वार्ता में शामिल करने का प्रस्ताव है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). सरकार ने छिपे नागाओं के तथाकथित क्रान्तिकारी दल के नेताओं से दो पत्र प्राप्त किए हैं जिनमें उन्होंने भारत सरकार के सामने पुनः बातचीत आरम्भ करने का प्रस्ताव रखा है । उन्हें यह सलाह दी गई है कि वे नागालैण्ड के राज्यपाल तथा नागालैण्ड सरकार के सामने अपने सुझाव रखें । इस सम्बन्ध में, 7 मई, 1969 को, लोकसभा के तारांकित प्रश्न संख्या 1560 के दिए गए उत्तर की ओर माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह कहा गया था कि 1960 में नागा समस्या का समाधान हो चुका था, और जबकि भारत के सभी नागरिकों को, जिनमें नागा भी शामिल हैं, नागालैण्ड के सुधार के लिए, नागालैण्ड के राज्यपाल और नागालैण्ड सरकार के सामने सुझाव रखने की स्वतंत्रता है, भारत सरकार किसी भी दल से बातचीत करने की बात नहीं सोच रही है ।

(ग) जी नहीं । श्री फिजो एक ब्रिटिश राष्ट्रिक हैं और हम नहीं चाहते कि कोई हमारे आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप करे ।

मद्रास में परमाणु-शक्ति संयंत्र

480. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास के परमाणु शक्ति संयंत्र के निर्माण में संतोषजनक प्रगति हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यह किस तिथि को पूरा होगा ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह संयंत्र भारतीय तकनीकी जानकारी से बनाया जा रहा है तथा सरकार पर इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है कि इस शक्ति संयंत्र को किन उद्देश्यों के लिये उपयोग में लाया जायेगा ; और

(घ) क्या सरकार परमाणु हथियारों के बारे में जानकारी का विकास करने के प्रश्न पर भी विचार करेगी ताकि भविष्य में यह हमारी अपनी इच्छा पर हो कि हम बम बनायें चाहे न बनायें ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री योजना मंत्री, तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) 1973 के अन्त तक ।

(ग) जी हां ।

(घ) सरकार की अणुनीति सभा में समय-समय पर व्यक्त की गई है ।

कोरी फिल्मों के कोटे का आवंटन

481. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री ए० श्रीधरन :
श्री क० लकप्पा :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री** कोरी फिल्मों के कोटे के आवंटन के बारे में 30 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8202 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन चलचित्र निर्माताओं के बारे में इस बीच जांच पूरी कर ली है जिन्होंने अपनी कच्ची फिल्मों का कोटा अन्य निर्माताओं को बेच दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). जी नहीं । जानकारी शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्तरी क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में सड़कों का निर्माण

482. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी क्षेत्र में सीमावर्ती सड़कें बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में इस बारे में सरकार के सम्मुख क्या प्रस्ताव है तथा कितना लक्ष्य पूरा किया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) मार्च, 1960 में उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण तेज करने के लिये सरकार ने सीमा सड़क विकास बोर्ड स्थापित किया था। निर्माण की जाने वाली सड़कों, और किन एजेंसियों को प्रायोजनाएं सौंपी जाएं इन बातों समेत बोर्ड को अपने कार्यक्रम का फैसला करने का पूरा अधिकार है। चूंकि कठिन क्षेत्रों में पी० डब्ल्यू० डी० इन परियोजनाओं को हस्तगत करने की स्थिति में न थी उन्हें हस्तगत करने के लिये जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के नाम से बोर्ड द्वारा एक एक विभागीय निर्माण एजेंसी का निर्माण किया गया था। आवश्यक मशीनें और साज-सामान खरीदा गया था, और इस उद्देश्य से कि निर्माण किसी कारण रुके नहीं नियमों और प्रक्रिया को सुगम बनाया गया था।

(ख) अन्त मई 1969 तक 8 से 20 फुट चौड़ाई की विभिन्न नई सड़कों की लगभग 5200 किलो मीटर लम्बाई का तल निर्माण किया गया है। निर्धारित किया गया है कि लगभग 3700 किलो मीटर सड़कों का सुधार किया गया है। लगभग 6600 किलो मीटर नई निर्मित सुधार की गई सड़कों का रख-रखाव किया जा रहा है।

(ग) रक्षा की आवश्यकताओं और क्षेत्रों के विकास को सामने रखते हुये सड़कों की प्राथमिकताएं और लक्ष्यों का बोर्ड द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है। बोर्ड का कार्यक्रम पंचवर्षीय योजना से अलग है।

सन्धियों के बारे में वियाना सम्मेलन

483. **श्री रा० बरुआ :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सन्धियों के कानून के बारे में मई, 1969 में वियाना सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में क्या प्रस्ताव पेश किये गये थे ;

(ग) उन प्रस्तावों के प्रति भारतीय प्रतिनिधियों की क्या प्रतिक्रिया हुई ; और

(घ) उस सम्मेलन में क्या निर्णय लिये गये ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां । संधि कानून के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ पूर्णधिकारी सम्मेलन का द्वितीय सम्मेलन, 9 अप्रैल से 23 मई, 1969 तक वियाना में हुआ ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने संधि कानून के सम्बन्ध में अनुच्छेदों का जो मसौदा तैयार किया, वही सम्मेलन में विचारार्थ आधारभूत प्रस्ताव था। इस मसौदे पर अनेक संशोधनों का सुझाव रखा गया और इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि राज्यों ने अन्य प्रस्ताव रखे ।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग के अनुच्छेदों के मसौदे भारतीय प्रतिनिधिमण्डल को सामान्य रूप से स्वीकार थे । भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने इन अनुच्छेदों और अन्य प्रस्तावों के बारे में, उनके तत्सम्बंधी गुणों के अनुसार विचार किया ।

(घ) संधि-कानून के सम्बन्ध में अभिसमय तैयार किया गया, जिसमें एक प्रस्तावना, 85 अनुच्छेद और एक अनुबन्ध थे और इस सम्मेलन ने 23 मई, 1969 को इसे ग्रहण किया । यह अभिसमय व्यापक रूप से संधि कानून के संहिताकरण और प्रगतिशील विकास का प्रतिनिधित्व करता है । यह अनुसमर्थन या अधिमिलन के पैंतीसवें प्रलेख के दाखिल होने की तारीख के तीस दिन बाद लागू हो जायेगा ।

Prospects for India's Trade in East Countries

484. **Shri N. K. P. Salve** : Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the steps taken by Government in regard to the views expressed by a trade delegation of businessmen which visited the East European countries during 1968 and the views expressed by the Indian Ambassadors in West Asian countries in May last about those Indian goods which have export potential and are in great demand in these countries ;

(b) the number of Trade Centres set up by Government in East Europeon and West Asian countries in view of the fact that ready made cotton and silken clothes, products of handloom and cottage industries are in great demand in these countries ;

(c) whether the persons who are capable of bringing a new vigour and life in the departments of trade representatives of our foreign missions in those countries have been put there ; and

(d) the steps taken by the State Trading Corporation for tapping these foreign markets ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) The delegation identified the products with export potential

in these countries and made several recomendations for more organised export promotion effort by the members of the Engineering Export Promotion Council. Pursuant to the delegation's suggestion for providing a more detailed break-down of exportable engineering goods in our bilateral Trade Agreements, necessary action has been taken by Government to implement this suggestion taking into account the interest of the bilateral trading partner in specific products.

The recommendations made at the Ambassadors conference were of a general nature about fostering trade relations with the countries of the West Asian and North Africa Region. The existing trade agreement/arrangements with those countries are being re-examined in the light of the suggestions made with a view to further strenthening our export efforts to these countries.

(b) Besides the Offices of the Indian Commercial Representatives maintained in East European and West Asian countries, the Government is maintaining one Show Room in Bahrein.

(c) Constant endeavour is made to ensure that the trade posts are manned by persons of ability and vigour.

(d) The State Trading Corporation are taking the following steps for tapping these markets effectively :—

(1) Foreign Offices have been established in Moscow, East Berlin, Budapest, Prague and Beirut. These Offices are being reorganised to function as service bases for the Corporation's own trading as well as for private firms.

(2) Besides buying and selling, STC is laying emphasis on product design, promotion, development, and distribution backed by marketing-research, quality-control and after-sale service.

(3) The Corporation takes full advantage of Trade Fairs and Exhibitions held in vorious countries for publicising Indian goods.

ईरान में उद्योगों की स्थापना

485. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :
श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री मीठालाल मीना :
श्री प्र० के० देव :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री रा० की० अमीन :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री शशि भूषण :
श्री हेमराज :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सहायता से ईरान में उद्योग स्थापित करने के कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं ;

(ख) भारत के गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र में क्रमशः कितने उद्योग स्थापित किये जायेंगे ;

(ग) क्या सरकार इन प्रस्तावों पर विचार करते समय भारत के प्रति ईरान के रवैये को ध्यान में रखेगी ;

(घ) क्या ईरान के साथ व्यापार संतुलन ठीक करने के लिये दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के बारे में हाल में बातचीत भी हुई थी ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). आर्थिक, व्यापार सम्बन्धी तथा तकनीकी सहयोग के लिये भारत-ईरान संयुक्त आयोग की जून 1969 में तेहरान में हुई प्रथम बैठक में बहुत से ऐसे उद्योगों को निश्चित किया गया जिनके विषय में ईरान में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिये भारत-ईरान सहयोग की संभावना है। अमोनियम के उत्पादन के लिये, जिसके अधिकांश का प्रयोग भारत में उर्वरकों के उत्पादन के लिए किया जायेगा, ईरान में संयुक्त उद्यम की स्थापना करने हेतु तकनीकी-आर्थिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए, इसने नेशनल पैट्रो-केमिकल कम्पनी आफ ईरान तथा फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया को भी नामित किया। इसी प्रकार ईरान के औद्योगिक विकास तथा नवीकरण संगठन और भारतीय रेलवे बोर्ड दोनों मिलकर ईरान में रेल डिब्बों के निर्माण हेतु एक संयंत्र स्थापित करने के लिए, परस्पर सहयोग की संभावनाओं की खोज करेंगे। आयोग ने यह नोट किया कि निजी क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों की स्थापना के लिये, ईरान तथा भारत के उद्योग-पतियों के बीच कई प्रस्ताव वार्ताओं की विभिन्न अवस्थाओं में हैं और आयोग इस बात पर सहमत था कि इन वार्ताओं की शीघ्र पूर्ति के लिये दोनों सरकारों द्वारा उपयुक्त सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिये। ईरान के निजी क्षेत्र में भारत-ईरानी संयुक्त उद्यम के लिये कोई औपचारिक प्रस्ताव न तो निलम्बित हैं न विचाराधीन ही हैं। फिर भी जब ऐसे प्रस्ताव प्राप्त होंगे, तो सभी संबंधित तथ्यों को ध्यान में रख कर सरकार उन पर विचार करेगी।

(घ) और (ङ). उपर्युक्त बैठक में पारस्परिक व्यापार के विस्तार के प्रश्न पर भी चर्चा हुई थी। वाणिज्यिक सहयोग के उपाय के रूप में भारत तो ईरान से अमोनिया गन्धक तथा गन्धक का तेजाब खरीदना सुकर बनायेगा और इसी प्रकार ईरान भारत से इस्पात उत्पादों जिनमें धातु-पिंड भी शामिल हैं, कतिपय पदार्थों, अन्य मध्यवर्ती द्रव्यों, रेलवे तथा अन्य उप-करणों, फालतू पुर्जों आदि की खरीद को सुकर बनायेगा। ईरान को भारत के निर्यात 1964-65 में 7.64 करोड़ रुपये के थे जो 1968-69 में बढ़कर 21.46 करोड़ रुपये के हो गये। इन विनिश्चयों के परिणामस्वरूप भारतीय-ईरानी व्यापार का परिणाम और भी बढ़ने की आशा है।

Production of Cheaper Fuel From Atomic Power

486. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that U.S.A. is selling the fuel of U235 by manufacturing it still through the gas system, but Britain, Holland and Germany have completed the centrifugal system with mutual agreement and are going to set up a plant in Holland where cheaper fuel will be produced ; and

(b) if so, the action being taken by Government to introduce the said System in India ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Uranium enriched by the diffusion process is supplied by the U.S.A. However, no country is producing enriched fuel commercially at a cheaper rate, using the centifuge process.

(b) The Government has under examination the technical and economic aspects of the different processes.

भारतीयों को विदेशी पुरस्कार पारितोषिक

487. **श्री शारदानन्द :** **श्री राम सिंह अयरवाल :**
श्री ओंकार सिंह : **श्री कंवर लाल गुप्त :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों के नाम तथा पते क्या हैं जिन्हें गत तीन वर्षों में विदेशों से पुरस्कार पारितोषिक प्राप्त हुए ;

(ख) पुरस्कार का नाम क्या है ; उसकी धनराशि या कीमत कितनी है और वह किस देश से प्राप्त हुआ ;

(ग) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि कुछ मामलों में उक्त धनराशि का प्रयोग राजनीतिक प्रयोजनों के लिये किया गया है जिससे देश की आन्तरिक्र राजनीति पर प्रभाव पड़ता है ; और

(घ) यदि हां, तो इसको रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है ।

Uranium Corporation of India's Production Unit at Jaduguda (Bihar)

488. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a mine and a production unit of uranium being run by the Uranium Corporation of India Ltd., in Jaduguda near Jamshedpur ;

(b) if so, the amount of capital invested by Government in each of them ;

(c) the total number of labourers and workers employed in them ;

(d) the details of service conditions of these employees;

(e) the minimum and maximum of pay fixed by Government for them ; and

(f) the details of other facilities being given to them ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). The Uranium Corporation of India Ltd., a public sector undertaking under the control of the Department of Atomic Energy, operates a Uranium mine and mill at Jaduguda near Jamshedpur in Bihar. As on the 31st March, 1969, the Government of India's investment in the Corporation amounted to Rs. 745 lakhs as share capital and Rs. 366.50 lakhs as long-term loan.

(c) On the 1st July, 1969, the Corporation employed 1445 monthly rated workers and 509 daily rated workers.

(d) A statement is laid on the table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-1305/69].**

(e) The minimum total emoluments of a monthly rated worker are Rs. 151 per month and the maximum Rs. 605 per month. The minimum total wages of a regular daily rated workers are Rs. 3.05 per day and the maximum Rs. 7.51 per day.

(f) Other facilities provided to the employees of the Corporation include residential accommodation, a club, a community centre, a school with Hindi and English medium of instruction, a 28-bedded hospital with free medical facilities, cooperative stores, a marketing centre, a subsidised canteen, a **creche** for the children of female employees and subsidised bus transport.

Orissa Chief Minister's Visit to U.S.A.

489 **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chief Minister of Orrisa visited U.S.A. for two months accompanied by his son on the invitation of the U.S. Government ;

(b) whether it is also a fact that the entire expenditure of the visit of the Chief Minister and his son, who accompanied him, was borne by the U.S. Government and they continued to get Daily Allowances also ;

(c) whether Government had sent any communication to the U.S. Government against the payment of Daily Allowance to the Chief Minister ;

(d) if so, the details thereof ; and

(e) the steps proposed to be taken by Government to check the recurrence of such incidents in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) and (b) . The Chief Minister of Orissa and his son were invited to the U.S.A. for one month on a grant from the U.S. Department of State. While forwarding the invitation to the Ministry of External Affairs, the U.S. Embassy had indicated in their Note that the terms of invitation including domestic transportation within the United States and an appropriate per diem to cover their board and lodging.

(c) to (e), While clearing the visit, the Ministry of External Affairs in their Note to the U. S. Embassy pointed out that it was not customary for a Government to offer Daily Allowance to a foreign dignitary that it invites, though it is open to the inviting Government to offer local hospitality if it so chooses.

The Ministry of External Affairs brought the above fact to the notice of the Chief Minister of Orissa.

Deportation of Indians From Burma

490. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the total number of Indians living in Burma;

(b) whether it is a fact that the Govenment of Burma have imposed stringent conditions on the Indians living there;

(c) if so, the details, thereof;

(d) whether it is also a fact that on the charge of defying the above conditions, 18 Indians, including a woman, were deported from there; and

(e) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) 75,000 holding Passports and Foreigners Registration Certificates.

(b) and (c). No, Sir. All foreigners in Burma are governed by a uniform set of regulations.

(d) 18 Indians including some women were deported for failure to pay foreigners fees and thus violating the immigration regulations.

(e) The operation of the Immigration Laws is an internal affair of the Government of Burma. However, our Embassy assists in giving travel documents to Indians under orders of deportation for the violation of the immigration laws, and has also taken up cases in general with the Government of Burma to alleviate hardship.

Memorandum of Indian Peasants in Burma to P. M.

491. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that when the Prime Minister of India visited Burma on the 27th March, 1969, the Indian peasants of 22 villages submitted a memorandum or an application to her;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government have taken any action thereon; and

(d) if so, the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) No, Sir.

(b) to (d). Do not arise. However, the Government of India has been making every effort, through diplomatic channels, to alleviate the problems faced by Indian nationals and persons of Indian origin living in Burma. The Indian Community's grievances were raised with the Burmese Government during the Prime Minister's visit to Burma, and the Burmese Government have assured us that they would endeavour their utmost to settle these outstanding matters sympathetically and expeditiously.

महाराष्ट्र को स्टैनलेस स्टील का आवंटन

492. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 और 1966-67 में महाराष्ट्र सरकार को कितनी मात्रा में आयातित स्टेनलेस स्टील का आंवटन किया गया ;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने उसका वितरण कर दिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) वर्ष 1965-66 तथा 1966-67 में महाराष्ट्र सरकार को निम्नलिखित परिमाण में आयातित अविकारी इस्पात की चादरों का आंवटन किया गया :—

वर्ष	परिमाण (मे० टन०)
1965-66	178.334
1966-67	—

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अन्य देशों के द्वारा चीन को भारतीय माल का निर्यात

493. **डा० सुशीला नैयर :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत से निर्यात किया गया माल कुछ देशों के माध्यम से चीन पहुंच रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में जांच की है तथा इस प्रकार की तस्करी तथा व्यापार में विस्थापन से बचने के लिये कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) उसका ब्योरा क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं । सरकार को अन्य देशों के माध्यम से भारतीय माल के चीन को पुनर्निर्यात किये जाने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

नेपाल से स्टैनलेस स्टील और हाथ से बुने कपड़ों के आयात पर रोक

494. **श्री विभूति मिश्र :**　　**श्री राम चरण :**
श्री प० मु० सईद :　　**श्री य० अ० प्रसाद :**
श्री वि० नरसिम्हा राव :　　**श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :　　**श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री पी० विश्वम्भरन :　　**श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेपाल से स्टैनलेस स्टील तथा हाथ से बुने कपड़े के आयात पर प्रतिबन्ध लगाए हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि नेपाल से स्टैनलेस स्टील और हाथ से बुने कपड़ों का आयात नियमित व्यापार साधनों से नहीं होता ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार नेपाल से होने वाली चोरबाजारी को किस तरीके से रोकने का है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) काठमांडू में नवम्बर, 1968 को हुई व्यापार वार्ता के परिणामस्वरूप नेपाल सरकार भारत को संश्लिष्ट वस्त्रों तथा स्टैनलेस स्टील के उत्पादों के अपने निर्यातों को 1967-68 के स्तर पर सीमित करने के लिये सहमत हो गई थी । इसके अनुसरण में 19 मई, 1969 को एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया, जिसमें यह अधिसूचित किया गया कि नेपाल से इन उत्पादों के आयात की अनुमति नवम्बर, 1968 में भारत सरकार तथा नेपाल की महामहिम सरकार के बीच तय हुए निर्यात विनियमन प्रबन्धों के अनुसार ही दी जायेगी ।

(ख) और (ग). विनियमन प्रबन्ध के लागू होने के बाद से संश्लिष्ट वस्त्रों तथा स्टैनलेस स्टील के उत्पादों के अनधिकृत प्रवेश का कोई मामला सरकार के समक्ष नहीं आया है । फिर भी, भारत-नेपाल सीमा पर निगरानी कड़ी कर दी गई है और निवारक प्रबन्धों को कड़ा बनाने के लिए अनेक उपाय किये गये हैं जिनमें अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग की वहां नियुक्ति, निवारक संगठनों के मध्य अच्छा समन्वय और सीमा-शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1969 के उपबन्धों का उपयोग शामिल है ।

Strengthening of Nuclear Position By China

495. **Shri Bibhuti Misra:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that China is strengthening her nuclear positon in addition to arms and ammunitions as compared to India;

(b) if so, whether Government of India are formulating any plan to meet the threat of China; and

(c) if so, the broad outlines of the plan?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) to (c). Government's assessment of Chinese nuclear strength has been conveyed to the House on a number of occasions, the last being on 19th February, 1969 in answer to Unstarred Question No. 231. Government's Policy on the development of nuclear weapons has also been explained to the House from time to time. Government beleave that the possession of a few nuclear weapons is no substitute for adequate military preparedness based upon conventional weapons. Our Defence Plans have been drawn up accordingly. Our assessments as well as our plans are naturally kept under constant review, the paramount consideration being given to the need for safeguarding national Defence and security.

चम्पारन की भूमि पर नेपाल का कब्जा

496. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के चम्पारन जिला में नरसाही जंगल की भूमि पर नेपाल सरकार ने कब्जा कर रखा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) यद्यपि नेपाली राष्ट्रिक नरसाही जंगल में न्यायतः रहते हैं, फिर भी इस भूमि पर भारत का अधिकार है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

ननकाना साहिब को 'बैटिकन' के समान धर्म स्थान का दर्जा देना

497. **श्री रा० कृ० सिंह :**
श्री ए० श्रीधरन :
डा० सुशीला नैयर :
श्री क० लकप्पा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने यह मांग की है कि पश्चिम पाकिस्तान में स्थित ननकाना साहिब को 'बैटिकन' के समान धर्म स्थान का दर्जा दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में पाकिस्तान सरकार से क्या कहा गया है; और

(ग) इस पर पाकिस्तान सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । सरकार यह उचित नहीं समझती कि वह पाकिस्तान सरकार के साथ इस प्रश्न को उठाये ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

चौथी योजना में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में धन लगाने सम्बन्धी प्रतिरूप

498. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में धन लगाने का अनुपात 6:4 था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के धन लगाने सम्बन्धी प्रतिरूप में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के मध्य यह अनुपात बदल कर 12:10 कर दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो गैर-सरकारी क्षेत्रों की तुलना में सरकारी क्षेत्रों में धन लगाने के अनुपात को कम करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र को अधिकाधिक महत्व देने के पक्ष में नीति में कोई परिवर्तन हुआ है, और यदि हां, तो इस परिवर्तन का क्या औचित्य है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख). सरकारी तथा निजी विनियोजन के अनुसार, यदि समस्त रूप से विचार किया जाय तो तीसरी तथा चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के सापेक्ष अनुपात प्रश्न में बताये गये हैं। परन्तु संगठित उद्योग में तीसरी तथा चौथी योजना के दौरान सरकारी तथा निजी विनियोजन का अनुपात 6:4 है ।

(ग) निजी क्षेत्र के लिये, चौथी योजना में जिस उच्चतर स्तर विनियोजन की परिकल्पना की गई है उससे कृषि, लघु व मध्यम उद्योग, सड़क परिवहन और निजी आवास के लिए अनुमानित विनियोजन अधिक है ।

(घ) जी, नहीं ।

संघ राज्य क्षेत्रों के लिये धन का नियतन

499. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित कुल 24398 करोड़ रुपये के परिव्यय में से, सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिये केवल 398 करोड़ रुपये का ही नियतन किया

गया है तथा इसमें से केवल दिल्ली को 156 करोड़ रुपये मिले हैं ;

(ख) संघ राज्य क्षेत्रों को धन के आवंटन का निश्चय करने के लिये क्या नीति अपनाई गई है तथा धनराशि प्रदान करने के लिए किन-किन बातों पर विचार किया गया ;

(ग) धन नियतन के बारे में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए बनाई गई नीतियों में क्या भेद है ;

(घ) क्या राज्यों की अपेक्षा संघ राज्य क्षेत्रों को धन आवंटित करने के मामले में सरकार को अधिक स्वविवेक हासिल है ; और

(ङ) यदि हां, तो संघ राज्य क्षेत्रों को भी जनता के प्रति अपना उत्तरदायित्व पूरा करने का वैसा ही अवसर क्यों नहीं दिया जाता ?

प्रधान मंत्री, वित्तमंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) सरकारी क्षेत्र में, चौथी योजना के 14398 करोड़ रुपये के परिव्यय में से समस्त संघ शासित क्षेत्रों तथा दिल्ली के लिये क्रमश: 398 करोड़ रुपये और 156 करोड़ रुपये के परिव्यय आवंटित किये गये हैं ।

(ख) और (ग). साधनों की बंदिश होने के कारण, राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों से कहा गया था कि वे पूर्व चौथी योजना में परिकल्पित परिव्ययों को ध्यान में रखें । साधनों की सीमाओं के अन्तर्गत संघ शासित प्रदेशों की चौथी योजना के लिये परिव्ययों का निश्चय करते समय, पहले प्राप्त विकास के स्तरों और उनकी तात्कालिक आवश्यकताओं आदि जैसे घटकों को ध्यान में रखा गया था । राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के आवंटनों की नीति में कोई अन्तर नहीं है, सिवाय इसके कि राज्य योजना परिव्ययों के लिये केन्द्रीय सहायता तथा राज्य साधनों से वित्तीय-व्यवस्था की जाती है जबकि संघ शासित प्रदेशों के मामले में अधिकांशत: केन्द्र द्वारा वित्तीय-व्यवस्था की जाती है ।

(घ) और (ङ). यद्यपि, संघ शासित प्रदेशों के विचारों को ध्यान में रखते हुए, संघ शासित प्रदेशों की योजना परिव्ययों के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा सारी वित्तीय-व्यवस्था की जाती है, फिर भी उपलब्ध समस्त साधनों को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न संघ शासित प्रदेशों के संतुलित विकास के लिये व्यवस्था करने में इसे स्वयम् निर्णय लेना होता है ।

मजगांव डाक लिमिटेड

500. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को लेकर मजगांव डाक लिमिटेड की स्थापना की गई थी, वे प्राप्त हो गये हैं अथवा नहीं ;

(ख) क्या निर्माण का स्तर अन्तर्राष्ट्रीय नमूनों के अनुरूप है तथा इसकी उत्पादन-लागत

विदेशी कम्पनियों की तुलना में अधिक है या कम है ;

(ग) वर्ष 1965 से कौन सी नई मदों का उत्पादन किया जा रहा है जो इससे पहले निर्यात की जाती थी और पिछले वर्ष प्रत्येक मद के उत्पादन के आंकड़े क्या हैं ;

(घ) क्या पिछले वर्ष के दौरान कम्पनी के सर्वोच्च कार्यकारी पदों में कोई परिवर्तन किया गया है, और यदि हां, तो क्या है ;

(ङ) अध्यक्ष, प्रबन्ध-निदेशक तथा सचिव के क्या नाम हैं तथा वे कब से उन पदों पर नियुक्त हैं ; और

(च) पिछले तीन वर्षों की तुलना में 1968-69 के लाभ तथा हानि, विक्रय, लक्ष्य तथा स्टाक आदि के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (च). एक विवरण संलग्न है :

विवरण

(क) भारत सरकार ने अप्रैल, 1960 में मजगांव डाक लिमिटेड को जहाजों की मरम्मत की क्षमता बढ़ाकर नौसेना के जहाजों की मरम्मत और युद्धपोतों के निर्माण के लिए लिया था। इन उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है।

(ख) मजगांव डाक लिमिटेड के उत्पादन का स्तर अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों की तुलना में काफी अच्छा है। जहां तक जहाजों के निर्माण का सम्बन्ध है, देश के महंगे इस्पात और अभी भी आयात की जाने वाली वस्तुओं और भारत में बनने वाली वस्तुओं के ऊंचे मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, उनके मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों की तुलना में ठीक हैं। इस सम्बन्ध में एक ब्योरेवार तुलना सम्भव नहीं, क्योंकि प्रत्येक जहाज पर आने वाली लागत में अन्तर होता है। इस यार्ड के मरम्मत कार्य का स्तर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का है। जैसा कि इस बात से सिद्ध होता है। यहां पर विदेशी जहाजों की मरम्मत से प्रति वर्ष 1.5 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आय होती है।

(ग) 1965 से यहां पर भारत में पहली बार जिन मदों का निर्माण हो रहा है उनमें युद्ध-पोत, यात्री एवं माल ढोने वाले जहाज, तेलवाहक जहाज, मछली पकड़ने वाले जहाज, गोदी क्रेन आदि हैं। यार्ड में 1968-69 के दौरान 5.41 करोड़ रुपये के जहाज बनाये गये, इससे देश में ही इस कार्य को करने के बड़े प्रयास का संकेत मिलता है।

विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्रालय में सलाहकार समितियां

501. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि उनके मन्त्रालय के अधीन गठित विभिन्न मण्डलों,

समितियों तथा अन्य परामर्शदात्री निकायों में अनेक बड़े-बड़े पूंजीपति तथा उनके प्रतिनिधि सदस्य हैं ;

(ख) क्या इन निकायों में पूंजीपतियों का अत्यधिक प्रतिनिधित्व होने के कारण, ऐसी नीति अपनाई जाती है कि उससे देश का हित साधन नहीं होता ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच करके इन निकायों का इस ढंग से पुनर्गठन करेगी ताकि उद्योग और व्यापार का उचित ढंग से विकास हो तथा केवल कुछ बड़े पूंजीपतियों के ही हित साधन न हों ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) सलाहकार समितियों, बोर्डों आदि का सरकार को विभिन्न नीतियों पर परामर्श देने के लिए गठन किया जाता है। सामान्यतः ऐसे परामर्शदाता निकायों में सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्य होते हैं। जिस प्रयोजन के लिये प्रत्येक ऐसे निकाय का गठन किया जाता है उसके अनुसार उसमें संसद् सदस्यों, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक संगठनों के सदस्यों, वस्तु बोर्डों, निर्यात संवर्धन परिषदों, सरकारी उपक्रमों तथा अन्य सम्बद्ध हितों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। जहां आवश्यक हो श्रम जैसे विशेष हितों तथा विख्यात व्यक्तियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ऐसे परामर्शदाता निकायों के गैर-सरकारी सदस्यों को उनके अनुभव तथा उस क्षेत्र विशेष में उनके स्थान को ध्यान में रखकर चुना जाता है और ऐसे निकाओं का समय-समय पर पुनर्गठन किया जाता है।

(ख) जी नहीं। किसी भी परामर्शदाता निकाय में उद्योगपतियों का अत्यधिक प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके अलावा सरकार द्वारा नीति सदा अपने ही विचारों तथा 'सार्वजनिक हित' के अनुकूल निर्धारित की जाती है चूंकि ऐसे निकायों का कार्यभाग मुख्यतः परामर्श सम्बन्धी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अमरीकी पत्रों में राष्ट्रपति के निधन के समाचार

502. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी समाचार-पत्रों ने भारत के राष्ट्रपति के निधन के समाचार को सामान्य ढंग से प्रकाशित किया तथा कुछ समाचार-पत्रों ने तो इस घटना की पूरी तरह उपेक्षा की।

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान दिनांक 20 मई, 1969 के इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) इस लेख का स्वरूप आत्मनिष्ठ है, अतः यह लेखक के निजी मत का प्रतिनिधित्व करता है।

परमाणु-शक्ति कार्यक्रम

503. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में परमाणु-शक्ति कार्यक्रम का विकास कैसा रहा है ;

(ख) परमाणु-शक्ति कार्यक्रम के बारे में सरकार की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) से (ग) . देश में अणु-शक्ति के विकास के बारे में जानकारी अणु-शक्ति विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन में दी हुई है और प्रतिवेदन की प्रतियां पहले ही सदस्यों को बांट दी गई हैं। और इसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

अणु नीति के बारे में समय-समय पर सरकार द्वारा वक्तव्य दिये गये हैं।

अन्तरिक्ष अनुसन्धान

504. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या अन्तरिक्ष की खोज तथा अनुसन्धान का प्रभाव तथा उपयोग देश की कृषि, ऋतु सम्बन्धी भविष्यवाणी तथा संचार व्यवस्था के क्षेत्र में भी कोई प्रभाव अथवा प्रयोग होता है ;

(ख) यदि हां, तो उससे सम्बन्धित प्रमुख बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) उपगृहों से मौसम सम्बन्धी जानकारी तथा चित्रों और बादलों के चित्रों के अध्ययन से ऋतु तथा तूफान आदि के बारे में भविष्यवाणी करने में सुधार किया जा सकता है। कृषि की समय पर वर्षा सम्बन्धी भविष्यवाणी करने से और खराब फसलों का उपगृहों से पता चलाने से सहायता की जा सकती है। दूर स्थित स्थानों तक दूर संचार, उच्च दर्जे के भाषणों के पारेषण आदि में समकालिक उपगृहों द्वारा सहायता की जाती है। समकालिक उपग्रहों से टेलीवीजन द्वारा दूरस्थ समुदायों तक संचार संभव है।

दूसरे राकेट प्रक्षेपण केन्द्र की स्थापना

505. **श्री बाल्मीकि चौधरी :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री पी० पी० एस्थोस : **श्री उमानाथ :**
श्री नम्बियार : **श्री क० मि० मधुकर :**

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या दक्षिण भारत में एक दूसरा राकेट प्रक्षेपण केन्द्र स्थापित करने का विचार है, और यदि हां, तो उसका स्थान कौन सा है ;

(ख) इस परियोजना का व्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में विस्तृत वित्तीय तथा तकनीकी समस्यायें क्या हैं ; और

(ग) प्रस्तावित केन्द्र को स्थापित करने का क्या उद्देश्य है तथा इस पर किस प्रकार का अनुसन्धान कार्य किया जायेगा ।

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां । आंध्र प्रदेश के नैलूर जिले में श्री हारीकोटा द्वीप में दूसरा राकेट प्रक्षेपण केन्द्र स्थापित किया जायेगा ।

(ख) और (ग) . आरम्भ में इसे देश में तैयार राकेटों की उड़ान के परीक्षण के प्रयोग में लाया जायेगा । बाद में इस स्टेशन को उपगृह छोड़ने के केन्द्र के रूप में प्रयोग में लाया जायेगा । व्यौरेवार अनुमान तैयार किये जा रहे हैं ।

Foreigners in Atomic Energy Commission

506. **Shri Sradhakar Supakar :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the number of foreign experts and engineers at present working in the Atomic Energy Establishment and the different atomic power projects in India ; and

(b) the percentage of components of foreign equipments used in our atomic power plants ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The required information is given below :

Unit	Remarks
Atomic Energy Establishment, Trombay, Bombay (now called Bhabha Atomic Research Centre).	No foreign expert or engineer is at present working in the Bhabha Atomic Research Centre.
Tarapur Atomic Power Project	No foreigner is working with the Project except one representative of the Consultants. The Prime Contractors for the Station namely the International General Electric Company (India) Private Limited (IGE) have engaged a number of foreigners some of whom will continue to work for them till the completion of the Project. The number of foreigners working for IGE is at present 34. None of the foreigners is an employee of the Project.
Rajasthan Atomic Power Project	About 30 foreign experts and engineers are at present working in India on behalf of the Consultant, foreign suppliers and manufacturers of equipment for the Project. None of them is in the employee of the Project.
Madras Atomic Power Project	No foreign expert or engineer is at present working in the Madras Atomic Power Project.

(b) For the Tarapur Atomic Power Project, out of the total cost of Rs. 65.7 crores, the prime contractors namely IGE have imported equipment and materials estimated at around Rs. 24.30 crores. This forms 37% of the capital cost of the Project. The following is estimated to be the percentage of imported components to be used in the Projects mentioned below :

Rajasthan Atomic Power Project—First Unit	..	65%
Rajasthan Atomic Power Project—Second Unit	..	45%
Madras Atomic Power Project—First Unit	..	22%

तारापुर परमाणु शक्ति संयंत्र में दरारें

507. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री एस० आर० दामानी :
श्री समर गुह :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री स० अ० अगडी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 मई, 1969 के ब्लिट्ज में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि तारापुर परमाणु शक्ति संयंत्र में एक दरार पैदा हो गई है ;

(ख) क्या तब से इस दोष के बारे में विस्तृत जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) गत वर्ष जो दरारें नोटिस में आई थीं उनकी पूरी जांच की गई थी और सुधारात्मक कार्यवाही की गई थी । उस समय से इस प्रकार की कोई त्रुटि ध्यान में नहीं आयी है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पाकिस्तान के साथ बातचीत

508. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री वी० नरसिम्हा राव :
श्री रा० बरुआ :
श्री सीताराम केसरी :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री हेम बरुआ :
श्री चिंतामणि पाणिग्रही :
श्री ओंकार सिंह :
श्री शारदानन्द :
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री अदिचन :
श्री बेनी शंकर शर्मा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री रा० कृ० बिड़ला :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री अब्दुल गनी दार :
डा० रानेन सेन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और पाकिस्तान ने दोनों देशों के मध्य मित्रतापूर्ण

सम्बन्धों को कम से कम दिसम्बर, 1965 से पहले की स्थिति तक लाने के लिये फिर से परस्पर बातचीत आरम्भ करना अस्वीकार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि भारत ने पाकिस्तान को कई बार यह सूचित किया है कि भारत उस स्थिति से जहां वार्ता पिछले शापन में छूट गई थी आगे बातचीत करने को तैयार है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में पाकिस्तान की क्या प्रतिकिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री श्री (सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). भारत ने पूर्व भर्त्ती तथा वर्तमान सरकार के सामने विभिन्न प्रस्ताव रखे हैं, किन्तु पाकिस्तान की ओर से कोई स्पष्ट उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

Rocket Launching Station at Shri Harikota Island

509. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Ramavtar Shastri :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Bhogendra Jha :
Shri Indrajit Gupta :
Shri J. M. Biswas :
Shri P. L. Barupal :
Shri Ram Avar Sharma :
Shri Shiv Charan Lal :

Will the **Prime** Minister be pleased to state :

(a) whether it is a fact that at the time when the work in Mill Rocket Station at Shri Hrikota Island near Madras was started, the Chairman of the Atomic Power Commission had assured that India would be able to launch the first artificial satellite in space after three years ;

(b) the expenditure incurred so far in setting up of the station and that likely to be incurred in the future ; and

(c) whether it is also a fact that by the time India is able to launch this Satellite in space, the world would have made much headway in science ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) India hopes to attempt lanching the first artificial satellite in the next few years.

(b) So far, a sum of Rs. 21 lakhs have been sanctioned for land acquisition and initial contingent of staff required for carrying out preliminary civil works. Detailed estimates for setting up the station are under preparation.

(c) Yes, Sir.

Meeting of Prime Minister with Khan Abdul Ghaffar Khan

510. **Shri Shiv Kumar Shastri:**
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Raghuvir Singh Shastri:
Shri Ramavtar Sharma:
Shri Shiv Charan Lal:
Shri Arjun Singh Bhadoria:
Shri Abdul Ghani Dar:
Shri Sarjoo Pandey:
Shri Yashpal Singh:
Shri Sradhakar Supakar:
Shri Rabi Ray:
Shri P. C. Adichan:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether she had paid a visit to Afghanistan recently ;

(b) if so, whether she had met the Frontier Gāndhi, Khan Abdul Ghaffar Khan, there ;

(c) whether she had invited him to visit India ; and

(d) if so, the reaction of Khan Abdul Ghaffar Khan to her invitation ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Yes, Sir. The P. M. renewed the invitation.

(d) Badshah Khan has accepted the invitation.

Inquiry into Firing in Cossipore Gun and Shell Factory

511. **Shri Shiv Kumar Shastri:**
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Shiv Charan Lal:
Shri Ram Avtar Sharma:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether any departmental inquiry into the incident of firing that took place recently in Cossipore Ordnance Factory has been conducted ;

(b) if so, the outcome thereof ; and

(c) whether it is a fact that certain political parties also had a hand in this incident ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) A Court of Inquiry ordered by the General Officer Commanding, Bengal Area has been held. The Inquiry ordered by the Director General, Ordnance Factories immediately after the incident, was suspended on the appoinment of the One Man Commission of Inquiry.

(b) The proceedings of the Court of Inquiry with the opinion of the General Officer Commanding, Bengal Area are awaited.

(c) A Commission of Inquiry has been appointed to go into the facts and circumstances relating to the incident. It will be premature to come to any conclusion regarding the participation of political parties pending recipt of its report.

हथकरघा वस्तुओं का निर्यात

512. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :**

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **वैदेशिक-व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1968 के दौरान हथकरघा वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ;

(ग) भारतीय हथकरघा वस्तुओं के प्रमुख खरीददार देशों के क्या नाम हैं ;

(घ) किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया गया है ;

(ङ) उन देशों को हथकरघा वस्तुओं का और अधिक निर्यात करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ; और

(च) हथकरघा वस्तुओं के लिये विदेशों में अधिकाधिक मंडियों पर अधिकार करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वैदेशिक-व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) पंचांग वर्ष 1968 में भारतीय हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात में 1967 के निर्यातों की तुलना में 28 प्रतिशत वृद्धि हुई।

(ग) निम्नलिखित देश भारतीय हस्तशिल्प वस्तुओं के प्रमुख खरीदार हैं :—

सं० रा० अमरीका, ब्रिटेन, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, प० जर्मनी, फ्रांस, हांगकांग, कनाडा, मलयेशिया, अदन, सऊदी अरब, आस्ट्रेलिया, कुवैत, नीदरलैंड, जापान तथा लेबनान।

(घ) भारत से निर्यात प्रमुख हस्तशिल्प वस्तुएं निम्नलिखित हैं :—

(1) मूल्यवान, साधारण तथा संश्लिष्ट रत्न ;

(2) मूल्यवान धातु (प्लैटिनम आदि) के आभूषण ;

(3) नकली आभूषण ;

(4) सोने के आभूषण ;

(5) ऊनी गलीचे, कम्बल तथा मोटे ऊनी वस्त्र, जिनमें नमदे भी शामिल हैं ;

(6) धातु के कलात्मक बर्तन ;

(7) हाथ के छपे वस्त्र ;

(8) लकड़ी की बनी वस्तुएं ;

(9) हाथी दांत के उत्पाद

(10) कलाकृतियों के रूप में शाल तथा डुपट्टे, आदि ;

(11) जरी का माल।

(ङ) हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यातों को बढ़ाने के लिये भारत सरकार ने अनेक उपाय किये हैं। उनमें से अधिक महत्वपूर्ण नीचे दिये गये हैं :

(1) आयात नीति के अन्तर्गत पंजीकृत निर्यातकों को आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस प्रदान करने के लिये व्यवस्था की गई है।

(2) हथकरघा वस्तुओं के लिये नवीन निर्यात अभिमुख डिजाइनों को विकसित करने तथा युवा शिल्पियों को प्रशिक्षण देने के लिये अखिल भारतीय हस्त-शिल्प बोर्ड ने देश में अनेक स्थानों पर डिजाइन केन्द्र स्थापित किये हैं ;

(3) हस्तशिल्प निर्यातकों के पंजीकरण के लिये एक योजना चालू की गयी है ;

(4) हस्तशिल्प के प्रचार तथा संवर्धन के लिये भारत तथा विदेश में अनेक प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया है ;

(5) विदेशों में आयोजित व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना ;

(6) विदेशों में प्रदर्शन कक्ष तथा दुकानों का खोला जाना ;

(7) भारतीय निर्यातकों तथा विदेशी आयातकों की व्यापार सम्बन्धी पूछताछों का निपटान तथा उन्हें आवश्यक जानकारी देना ;

(8) भारतीय निर्यातकों को निर्यात ऋण प्राप्त करने में सहायता देना।

(च) ऊपर (ङ) के उत्तर में निर्दिष्ट उपायों के अतिरिक्त भारतीय हस्तशिल्प के लिये और अधिक बाजारों पर अधिकार करने के लिये निम्नलिखित उपाय करने का भी विचार है :—

(1) पूर्व यूरोपीय देशों में हस्तशिल्प के लिये बाजार सर्वेक्षण करना ;

(2) हस्तशिल्पों पर रंगीन वृत्तचित्रों का निर्माण ;

(3) विदेशों में अध्ययन-सह-बिक्री दल भेजना ;

(4) कास्ट्यूम आभूषणों में प्रशिक्षण के लिये शिल्पियों का भेजना ;

(5) व्यापार संपर्क स्थापित करने में सहायता हेतु निकट भविष्य में अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड द्वारा हस्तशिल्प के निर्यातकों तथा आयातकों की एक निर्देशिका (डायरेक्टरी) प्रकाशित करना।

तमिलनाडु में एन० सी० सी० के आदेशात्मक शब्दों का हिन्दी में होना

513. **श्री हेमराज :** **श्री बेधर बेहेरा :**
श्री मुहम्मद शरीफ : **श्री क० लकप्पा :**
श्री रामावतार शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु सरकार एन० सी० सी० के आदेशात्मक शब्द को हिन्दी में न रखने की हठ कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उस राज्य सरकार के लिये इस नियम में छूट देने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). मामला अभी तामिलनाडु सरकार के साथ लिखा-पढ़ी अधीन है ।

China's Ultimatum to India in Nathu La Sector

514. **Shri Ram Charan :**

Shri Kanwar Lal Gupta :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chinese forces had given a 24-hour ultimatum to the Indian forces at Nathu La Pass ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Chinese troops across Nathu La used their loudspeakers on 23rd April, 1969 to say that Indian secutity forces should vacate the area by the mid-day of 24th April, 1969, failing which they would open fire. This statement was repeated on the following day. Our troops through their loudspeakers advised the Chinese not to resort to any rash action and continued to maintain their vigil.

(b) The Government of India protested to the Chinese authorities against the provocative statements made by Chinese troops and conveyed Government's serious concern in the matter.

यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति को संदेश

515. **श्री राम चरण** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1960 में मार्शल टीटो को विशेष संदेश देने के लिये सरकार द्वारा श्री टी० एन० कौल को भेजा गया था; और

(ख) यदि हां, तो संदेश क्या था ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). यूगोस्लाविया सरकार ने विदेश सचिव श्री टी० एन० कौल को, मई 1969 में उस देश की यात्रा करने का निमंत्रण दिया । उस अवसर पर प्रधान मंत्री ने राष्ट्रपति टीटो को एक निजी पत्र लिखा ।

सिकन्दराबाद स्थित ए० ओ० सी० रिकार्ड आफिस में काम करने वाले अनुसूचित जातियों-अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी

516. **श्री राम चरण** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 16 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6565 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिकन्दराबाद स्थित ए० ओ० सी० रिकार्ड आफिस में अपर

डिवीजन क्लर्कों के संवर्ग में अनुसूचित जातियों-अनुसूचित आदिम जातियों का प्रतिनिधित्व जितना होना चाहिये उतना नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों-अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिनिधित्व को पूरा करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री श्री स्वर्ण सिंह : (क) यद्यपि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित वर्गों के एल० डी० सी० के तौर पर भर्ती के उद्देश्यों के लिए सुरक्षण विद्यमान् है, अपर डिवीजन क्लर्कों के काडर में रिक्त स्थान एल० डी० सीज० को वरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा पूरे किए जाते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत के निर्यात संवर्धन के लिये वौलरथ परियोजना

517. **श्री रवि राय :**

श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **वैदेशिक-व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वौलरथ परियोजना की अवधि को जिसे अक्तूबर, 1969 में समाप्त होना है तीन वर्ष के लिये और बढ़ाने के बारे में पश्चिम जर्मन सरकार को कहा है; और

(ख) यदि हां तो योजना के आधारभूत उद्देश्य क्या हैं और यह पश्चिम जर्मनी तथा अन्य पश्चिम यूरोपीय देशों को भारतीय निर्यात को कैसे बढ़ायेगी ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) इस परियोजना का मूलभूत उद्देश्य, प० जर्मनी तथा अन्य प० यूरोपीय बाजारों में इंजीनियरी उत्पादों के भेजने में भारतीय निर्यातकों को जो कठिनाइयां आई हैं, उनको दूर करना है और इसकी प्राप्ति के लिए ये उपाय करने का विचार है :—(1) जर्मन विशेषज्ञों के एक दल द्वारा भारत स्थित अनेक कारखानों में जाकर भारत में प्राप्त माल की जर्मनी के आयातकों की आवश्यकताओं के आधार पर परख करना तथा प० जर्मनी में बाजार संभाव्यता वाले उत्पादों का सावधानीपूर्वक चयन करना; (2) निर्यात विपणन के विभिन्न पहलुओं के विषय में प० जर्मनी में भारतीय विपणन प्रबन्धकों के एक समूह का प्रशिक्षण; और (3) प० जर्मनी में भारत की औद्योगिक प्रतिष्ठा का प्रचार करना ।

परियोजना दल ने 27 इन्जीनियरी उत्पादों का चयन किया है जिनकी दर जर्मनी तथा अन्य प० यूरोपीय देशों को निर्यात करने की पर्याप्त संभाव्यता है ।

विधि मंत्रालय के सचिव तथा विधि मंत्रालय में उपमंत्री के बीच विवाद

518. **श्री रवि राय : श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री रा० बरुआ : श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री चेंगलराया नायडू : श्री यशपाल सिंह :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विधि मंत्री ने विधि मंत्रालय में उपमंत्री तथा मंत्रालय सचिव के बीच झगड़े तथा इस मामले से सम्बन्धित अन्य सम्बद्ध सामग्री उनके पास भेज दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस मामले की पूरी जांच स्वयं की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). विधि मंत्री और उप विधि मंत्री, दोनों ने ही इस विषय पर सदन में बयान दे दिये हैं। मैं अब माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगी कि वे इस मामले को समाप्त हुआ समझें।

राष्ट्रमण्डल को छोड़ना

519. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :**
श्री बलराज मधोक :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश सरकार अब भारत तथा अन्य राष्ट्रमण्डलीय देशों से द्विपक्षीय सम्बन्ध बनाने के बारे में अधिक ध्यान दे रही है और इस प्रकार राष्ट्रमण्डल का अस्तित्व समाप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार पहले ही राष्ट्रमण्डल छोड़ने के बारे में विचार कर रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). राष्ट्रमण्डल की सदस्यता ने, सदस्य राज्यों के बीच, जिनमें यू० के० और भारत भी शामिल हैं, द्विपक्षीय सम्बन्धों को किसी भी प्रकार से न तो प्रतिस्थापित ही किया, न उनका अधिक्रमण किया। अतः यथावत् स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन करना उचित नहीं है।

कोसीपुर गन एण्ड शैल फैक्टरी में गोलीकाण्ड की जांच

520. **श्री वे० कृ० दासचौधरी :**
श्री रणजीत सिंह :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री बृजभूषण लाल :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री सूरज भान :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सैनिक अधिकारियों ने कलकत्ता सब-एरिया कमांडर को हिदायतें दी थीं कि उन तीन प्रतिरक्षा कर्मचारियों को जिनके विरुद्ध सियालदह मजिस्ट्रेट ने कोसीपुर गन एण्ड शैल फैक्टरी में 8 अप्रैल के गोलीकाण्ड के सम्बन्ध में गिरफ्तारी वारंट जारी किये थे असैनिक अधिकारियों को न सौंपा जाये ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). कानूनी राय पर चलते हुये कानून के अनुसार पुलिस न्यायाधीश के न्यायालय की कार्यवाही के विरुद्ध स्थानीय सैनिक अधिकरण ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्टे आदेश के लिये प्रार्थना की थी। मामला न्याय अधीन है।

बम्बई के इण्डिया युनाइटिड मिल्स को सरकार द्वारा ऋण

521. **श्री मधु लिमये :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बम्बई के इण्डिया यूनाइटिड मिल्स को 112.00 लाख रुपये का ऋण दिया है ;

(ख) क्या ऋण तथा ब्याज को लौटाने की अवधि को बढ़ा दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो पुनः अदायगी की मूल शर्तें क्या थीं और उन शर्तों में बाद में क्या परिवर्तन किये गये थे ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) भारत सरकार ने इंडिया यूनाइटिड मिल्स, बम्बई को कुल 175 लाख रु० का ऋण दिया है।

(ख) और (ग). ऋण की पुनः अदायगी की अवधि ऋण दिये जाने की क्रमवार तारीखों से दो वर्ष के स्थान पर पांच वर्ष कर दी गई है। ब्याज के भुगतान की अवधि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ब्याज की दर 6 प्रतिशत से बढ़ा कर 6-$\frac{1}{2}$ प्रतिशत कर दी गई है।

Sadhu Bela Ashram in Sind-Pakistan

522. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Pakistani Police has entered into and spoiled an ancient Hindu pilgrimage, Sadhu Bela Ashram, located on an Island between Sukhur and Indus River and they have looted it ;

(b) whether it is also a fact that this action of the Pakistani Police is violative of the terms of and conditions agreed to at the time of partition and the Nehru-Liaqat Pact ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b). The Government have seen press reports about the desecration of Sadhu Bela Shrine in West Pakistan Agreements regarding the protection, maintenance and preservation of religious shrines.

(c) The matter has been taken up with the Pakistan Government. Their reply is still awaited.

राष्ट्रवादी चीन सरकार को मान्यता प्रदान करना

523. **श्री गं० च० दीक्षित :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत द्वारा राष्ट्रवादी चीन सरकार को फारमोसा की सरकार के रूप में मान्यता प्रदान किये जाने की सम्भावना है ; और

(ख) एशिया तथा सुदूर पूर्व सम्बन्धी आर्थिक आयोग की सिंगापुर में हाल में हुई बैठक में रूस के दृष्टिकोण से भी यह बात देखी गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) सोवियत रूस की नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन होने की हमें कोई सूचना नहीं मिली है।

Special Provision for Backward Areas in Fourth Plan

524. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the **Prime Minister** be pleased to state ;

(a) the special provision made in the Fourth Five Year Plan for the development of backward districts of Sawai Madhopur and Jalore ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indiara Gandhi) : (a) and (b). The State Governments

have been asked to make suitable provision in their Fourth Five Year Plan for the development of backward areas after identifying their problems. The Government of Rajasthan have not prepared any special programme as such for these two districts; they consider almost all districts to be backward in some respects. The State Government have decided to assess the relative backwardness of each district in the several sectors of development and take this into account while drawing up the details of the Fourth Plan.

Development of Backward Areas During Fourth Plan

525. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) the special schemes included in the Fourth Five Year Plan for the development of backward areas and districts;

(b) the total population of such backward areas and districts;

(c) the number and names of such backward areas in Rajasthan; and

(d) the details of the development schemes for these areas?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (d). The State Governments have been requested to identify backward areas and to make suitable provision within the Plans for their development. Information as regards the areas identified as backward for this purpose as well as special schemes proposed by them have not been made available in their Plans.

विदेशों में भारतीय दूतावासों में मितव्ययिता

526. **श्री अदिचन :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 में विदेशों में भारतीय दूतावासों में मितव्ययिता के तरीके अपनाने के परिणामस्वरूप कितनी बचत हुई है ;

(ख) मितव्ययिता के जो तरीके अपनाये गये थे उनका ब्योरा क्या है ; और

(ग) वर्ष 1969-70 में मितव्ययिता के और कौन-कौन से तरीके अपनाये जाने का विचार है उससे खर्च में कुल कितनी कमी होने की सम्भावना है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 33.54 लाख रुपये।

(ख) और (ग). सदन की मेज पर एक विवरण रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1306/69]

पटसन तथा पटसन उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की स्थिति का मूल्यांकन

527. **श्री अदिचन :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से पटसन और पटसन उत्पादों

के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए कोई सर्वेक्षण करने की प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त एजेंसी ने सर्वेक्षण आरम्भ कर दिया है ;

(ग) सर्वेक्षण की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) इसके कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ने निर्यात सम्वर्धन के क्षेत्र में तकनीकी सहायता के अपने कार्यक्रम के एक भाग के रूप में पटसन के माल के वस्तु सर्वेक्षण का कार्य अपने हाथ में लिया है। उन्होंने वह सर्वेक्षण एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज, हैदराबाद को सौंपा है।

(ख) सर्वेक्षण जुलाई, 1968 में आरम्भ हुआ।

(ग) सर्वेक्षण में पटसन के माल के उत्पादन तथा विविधीकरण तथा विदेशी बाजारों में उसके क्रय-विक्रय में शामिल सभी कारकों के आलोचनात्मक विश्लेषण की व्यवस्था है।

(घ) प्रतिवेदन के तीन चार महीनों की अवधि में आने की आशा है।

कन्नानूर, केरल में डी० एस० सी० सेंटर को दूध की सप्लाई

528. **श्री सी० के० चक्रपाणि** : **श्री प० गोपालन** :
श्री ई० के० नायनार : **श्री अ० कु० गोपालन** :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1969-70 के लिये कन्नानूर, केरल में डी० एस० सी० सेंटर को दूध सप्लाई करने का ठेका किसी गैर-सरकारी फर्म को दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कन्नानूर कोआपरेटिव मिल्क सप्लाई यूनियन लिमिटेड ने आफिसर कमांडिंग को सूचित किया है कि वे वर्ष 1969-70 के लिये दूध की आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी पेशकश ठुकराये जाने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) ठेका कम से कम टेंडर देने वाले को दिया गया था।

पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई

529. **श्री अब्दुल गनी दार :**
श्री जे० एच० पटेल :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस, ब्रिटेन, अमरीका तथा अन्य देश पाकिस्तान को बराबर सैनिक हथियार सप्लाई कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने उन देशों से विरोध प्रकट किया था और प्रत्येक मामले में उसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) क्या इन देशों से भारत को कोई हथियार प्राप्त हो रहे हैं अथवा प्राप्त हुये थे ; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में पाकिस्तान और भारत को सप्लाई किये गये हथियारों का परस्पर अनुपात क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) यू० के० और यू० एस० ए० से पाकिस्तान को घातक आयुधों की सप्लाइयों के सम्बन्ध में हमें कोई ताजी जानकारी नहीं है, परन्तु फरवरी और मई, 1969 के बीच पाकिस्तान ने सोवियत संघ से टी०-55 टैंकों और आरटिलरी तोपों समेत विभिन्न सैनिक साज-सामान प्राप्त किये हैं ।

(ख) सरकार ने सम्बन्धित देशों को सूचित किया है कि पाकिस्तान के अपनी सशस्त्र शक्ति बढ़ाने के लिए कोई युक्तिसंगत न्याय बात नहीं है, और पाकिस्तान को दी गई सैनिक सामग्री की सप्लाइयां भारत के साथ उसके सम्बन्धों के साधारणीकरण के सम्बन्ध में उसके रुख को और कड़ा कर देंगी, और उपमहाद्वीप में तनाव को बढ़ायेंगी ही ।

(ग) और (घ). सूचना प्रकट करना लोक हित में नहीं है ।

सिलघाट (आसाम) में पटसन की मिल

530. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम राज्य के सिलघाट में एक नई पटसन की मिल खोलने की अनुमति दे दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या नई प्रस्तावित मिल के उत्पादन से समूचे पटसन उद्योग की बेकार क्षमता की समस्या और जटिल हो जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या नई मिल में बढ़िया किस्म के हैसियन तथा बोरे बनेंगे अथवा कुछ नई वस्तुएं बनेंगी ;

(घ) नई मिल पर कितनी लागत लगेगी ; और

(ङ) पटसन की वस्तुओं की बिक्री के कथित "संकट" को देखते हुये यह कैसे सुनिश्चित किया जायेगा कि उसके उत्पादों की बिक्री निर्बाध हो सके ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). आसाम की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आसाम में एक नई सहकारी पटसन मिल खोलने के लिए वर्ष 1960 में ही अनुमति दे दी गई थी। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन लाइसेंस वर्ष 1962 में दिया गया। मिल में शीघ्र ही उत्पादन शुरू हो जाने की सम्भावना है। आसाम में मिल खोलने की अनुमति देने का विनिश्चय करते समय उद्योग की उपलब्ध क्षमता को ध्यान में रखा गया था।

(ग) मिल को 150 करघों के लिये लाइसेंस दिया गया है और वह केवल मानक हेसियन तथा बोरों का उत्पादन करेगी।

(घ) प्रायोजना की कुल अनुमानित लागत 168.58 लाख रुपये है।

(ङ) आसाम सहकारी पटसन मिल द्वारा पटसन के सामान के सम्भावित उत्पादन के उल्लेखनीय भाग के उस राज्य में ही खप जाने की सम्भावना है।

विदेशों में भारतीय राजनयिकों के निवास-स्थानों की मरम्मत

531. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में भारतीय राजनयिकों के निवास-स्थानों की मरम्मत और नवीकरण पर बहुत अधिक व्यय किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में मास्को, लन्दन, वाशिंगटन, पेरिस और कैनबरा में भारतीय राजदूतों के निवास-स्थानों पर इस कार्य पर प्रतिवर्ष कितनी राशि खर्च की गई ; और

(ग) व्यय को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) विदेशों में राजनयकों के मकान या तो सरकारी हैं या पट्टे पर हैं। जो सरकारी मकान हैं, उन पर मिशन उस मकान की असली पूंजीगत लागत का 2.15% तक प्रतिवर्ष मरम्मत और नवीकरण पर खर्च कर सकते हैं। पट्टे के मकानों में मरम्मत और नवीकरण की जिम्मेदारी ज्यादातर मकान मालिकों की है। लेकिन जहां कहीं स्थानीय नियमों के अनुसार सरकार की यह जिम्मेदारी होती है, वहां मिशन प्रमुख पट्टे की इमारत के वार्षिक किराये के 25% का प्राधिकार दे सकता है।

(ख) मास्को, लन्दन, वाशिंगटन, पेरिस तथा कैनबेरा-स्थित भारतीय दूतों के मकानों की मरम्मत और नवीकरण पर पिछले तीन वर्ष में नीचे लिखे अनुसार खर्च किया गया है।

1. मास्को में भारत के राजदूत का मकान :

1966-67	6,800.00 रु०
1967-68	1,033.33 रु०
1968-69	13,616.66 रु०

2. लन्दन में भारत के हाई कमिश्नर का मकान :

1966-67	11,196.00 रु०
1967-68	67,590.00 रु०
1968-69	14,094.00 रु०

3. वाशिंगटन में भारत के राजदूत का मकान :

1966-67	14,460.00 रु०
1967-68	20,887.50 रु०
1968-69	27,322.50 रु०

4. पेरिस में भारत के राजदूत का मकान :

1966-67	8,457.73 रु०
1967-68	22,627.82 रु०
1968-69	11,694.55 रु०

5. कैनबेरा में भारत के हाई कमिश्नर का मकान :

1966-67	4,838.40 रु०
1967-68	35,993.92 रु०
1968-69	7,770.00 रु०

(ग) ऊपर जो आंकड़े दिये गये हैं उनसे यह देखा जा सकता है कि सम्बद्ध भारतीय दूतों के मकानों पर बहुत ज्यादा अथवा अनियमित खर्च नहीं किया गया है। सरकारी इमारत की उचित देखभाल का ख्याल रखते हुये इस दिशा में खर्च कम से कम करने के लिये मिशन हर कदम उठाते हैं। जहां पट्टे के मकानों का प्रश्न है, छोटी-मोटी/बड़ी मरम्मत करवाने के लिये मकान मालिक को राजी करने की पूरी-पूरी कोशिश की जाती है। इस प्रकार सरकार पर मरम्मत का खर्च कम से कम रखा जाता है।

सीमेंट का निर्यात

532. **श्री रा० कृ० बिड़ला : श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री भारत सिंह चौहान : श्री शारदानन्द :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1968 से मार्च, 1969 तक विभिन्न देशों को सीमेंट का कुल कितना निर्यात किया गया ;

(ख) प्रत्येक देश को सीमेंट किस मूल्य पर निर्यात किया गया ;

(ग) उक्त वर्ष का निर्यात लक्ष्य क्या था और वह कहां तक पूरा हुआ है ;

(घ) क्या सीमेंट के निर्यात में हानि हुई है और यदि हां, तो प्रति टन कितनी हानि हुइ है तथा हानि को किस प्रकार पूरा किया गया है ;

(ङ) वर्ष 1969-70 के दौरान इसको निर्यात करने का कितना लक्ष्य रखा गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाएगी ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

(ग) कोई निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था ।

(घ) जी हां । सीमेंट के निर्यात में लगभग 33 रु० प्रति मे० टन औसत हानि हुई, जो निम्नलिखित रूप में पूरी की गई :

1. भारत सरकार की विपणन विकास निधि से 25 रु० तक ;
2. भारतीय सीमेंट निगम द्वारा रखे गये सीमेंट विनियमन लेखे से 6 रु० तक ; और
3. शेष राशि सीमेंट का निर्यात करने वाली फैक्टरियों से ।

(ङ) वर्ष 1969-70 में सीमेंट के निर्यात के लिए कोई निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है ।

विवरण

टनों में मात्रा—हजार रुपये में मूल्य—प्रति टन रुपये में यूनिट मूल्य

क्रम-संख्या	देश का नाम	1968-69		यूनिट मूल्य
		मात्रा	मूल्य	
1.	श्री लंका	98155	9227	94.00
2.	कुवैत	25875	3260	126.00
3.	मुस्कत	1290	158	122.52
4.	नेपाल	60244	7263	120.55
5.	सऊदी अरब	18260	2546	136.73
6.	अन्य	1101	156	141.62
	कुल ..	205285	22610	

शहद का निर्यात

533. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शहद का निर्यात किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष कितनी मात्रा का निर्यात किया गया है और किन-किन देशों को निर्यात किया गया है ;

(ग) उक्त अवधि में इससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है ; और

(घ) शहद का निर्यात बढ़ाने के लिये मधुमक्खी पालन उद्योग को क्या प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग).

			मात्रा कि० ग्रा० में		मूल्य रु० में	
देशों के नाम	1966-67		1967-68		1968-69	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
मलयेशिया	..	..	45	270	..	..
नीदर लैंड ऐंटिलेज	..	..	13	73	158	1466

(घ) शहद के उत्पादन पर सहायता दी जाती है यद्यपि यह प्रत्यक्ष रूप से निर्यात प्रयत्न के साथ सम्बन्धित नहीं है ।

भारतीय नौसेना के जहाजों में टक्कर

534. **श्रीमती इला पाल चौधरी :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बाल्मीकि चौधरी :
श्री स० अ० अगडी :
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2 जून, 1969 को अरब सागर में रात्रि अभ्यास करते समय भारतीय नौसेना के "मैसूर" और "राणा" जहाजों की टक्कर हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो टक्कर होने के क्या कारण थे और दोनों जहाजों को कितना नुकसान पहुंचा तथा इन दोनों जहाजों की मरम्मत पर कितनी राशि खर्च होगी और मरम्मत करने में कितना समय लगेगा;

(ग) क्या यह भी सच है कि न केवल दोनों जहाजों को क्षति पहुंची है बल्कि अनेक नौसैनिक कर्मचारियों की मृत्यु भी हुई अनेक घायल हुए हैं तथा कुछ कर्मचारी लापता भी हैं;

(घ) लापता कर्मचारियों का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) : दुर्घटना के लिए एक कोर्ट आफ इन्क्वायरी पहले से आदिष्ट कर दी गई है, और इस समय जांच कर रही है। पोतों को केवल मामूली क्षतियां पहुंची हैं। अपनी रूटीन मरम्मत में आई० एन० एस० मैसूर की इस बीच मरम्मत कर ली गई है; और रूटीन मरम्मत के अंश के तौर पर आई० एन० एस० राना की मरम्मत की जा रही है। दोनों पोतों की मरम्मत पर आई लागत मरम्मत सम्पूर्ण हो जाने पर ही पता चल पाएगी। टकराव के संघर्ष के कारण तीन नाविक आई० एन० एस० राना से समुद्र में गिर गए थे। लापता नाविकों के लिए अन्तरिक्ष से तलाश की गई थी, परन्तु व्यर्थ। शंका है नाविक डूब गए हैं। और कोई हताहत नहीं हुआ। कोर्ट आफ इन्क्वायरी द्वारा दुर्घटना का ठीक-ठीक कारण निर्धारित कर लेने के पश्चात् इस प्रकार की दुर्घटनाओं की रोक-थाम के लिए उपयुक्त उपाय किए जाएंगे।

Increase in Pensions of Reserve Defence Personnel

535. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) when Government effected an increase in the pension of Jawans and Officers of Reserve Force after 1962 and the amount of the increase in each case ;

(b) whether the amount of increase made in their pensions has been paid to them and if so, when ; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) to (c). Reservist Soldiers, Sailors and Airmen are entitled to a Reservist pension, while no such pension is admissible in the case of officers. Officers are placed on the Reserve after retirement with a pension or gratuity.

With effect from 1st April, 1968, the pension of Reservist Soldiers, Sailors and Airmen which previously ranged from Rs. 10/- to Rs. 12/- p.m. was increased to a uniform rate of Rs. 15/- p.m. (An **ad hoc** increase of Rs. 5/- p.m. is also admissible in addition). Orders sanctioning the revised rates of pension for Reservist Soldiers were issued on 16th April, 1968 and for Reservist Sailors and Airmen on 7th August, 1968. The procedure for claiming Reservist pension is that the Record Offices concerned submit claims on behalf of the Soldiers, Sailors and Airmen to the Controller of Defence Accounts (Pensions), who is the Pension sanctioning authority. All claims received by him have been admitted. Government has not received any complaint of non-payment of increased rates of Pension.

Eligibility for admission to Indian Military Academy Examination

536. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 584 on the 21st August, 1968 and state:

(a) whether it is a fact that a 10th Class passed student is eligible for Indian Military Academy Examination, but a student, who has passed the Higher Secondary Examination or two year Diploma Course, is not eligible;

(b) whether it is also a fact that a student studying in Jamia Milia Institution in a course equivalent to the Polytechnic Course is also eligible for Indian Military Academy examination;

(c) if the reply to part (b) above be in the affirmative, the reasons for not allowing one who has passed second year of Polytechnic Course to sit in the Indian Military Academy Examination; and

(d) whether Government are considering the question of eligibility of those students, who have passed second year of Polytechnic Course, for Indian Military Academy Examination and if not, the reasons therefor?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) and (b). A list of qualifications for candidates appearing for the Indian Military Academy Examination is attached. **[Placed in Library. See No. LT-1307/69]**

(c) and (d). The question of allowing students who have passed the 2nd year of Polytechnic Course to sit for the Indian Military Academy Examination has been considered and it has been decided that, since a committee has been appointed to review the syllabus of the National Defence Academy, which may have a bearing on the ages of admission and qualifications of candidates for admission to the Nationol Defence Academy and Indian Military Academy respectively further additions to the list of qualifications for admission to the National Defence Academy should not be made at this stage.

Contracts Placed on M/S. Dhanda Engineers (P) Ltd., Faridabad

537. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the periods in which Messrs Dhanda Engineers (P) Ltd., Faridabad were given three contracts of the value of Rs. 3.5 lakhs, Rs. 24.92 lakhs and Rs. 26.25 lakhs respectively and the name of article for the manufacture of which these contracts were given; and

(b) the periods fixed by the firm for the supply of goods while taking the contract and the delays made by the above firm in the supply of these goods?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra): (a) and (b). The first contract was placed in June, 1966 for supply of 100 Nos. Tripod Mounting by November 1966. The supply was completed in March, 1968.

The second contract was placed in May, 1967 for the supply of 712 Nos. Tripod Mounting by August, 1968. 645 Nos. have been completed so far and the balance is expected to be supplied during August, 1969.

The third order was Placed in October, 1968 for supply of 250 Nos. Mount Sight by March, 1970. Supplies have not commenced so far.

Export of Rail Wagons, Coaches and Engines

538. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state:

(a) the names of countries which placed orders for the supply of diesel engines, steams engines, passenger coaches and wagons manufactured in India during the year 1968-69 together with the details of the orders placed;

(b) the number of these engines, coaches and wagons manufactured in India, which were exported by Government to each country during the above period; and

(c) the amount of foreign exchange earned thereby?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak): (a) to (c). There has been no export of diesel or steam locomotives. However stationary diesel engines, coaches and wagons have been exported details of which are furnished in the attached statement. The destinations of exports shown in the statement indicate the source of orders. **[Placed in Library. See No. LT-1308/69]**

Export of Fish and Cod Liver Oil

539. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state:

(a) the names of countries to which fish and cod liver oils were exported in 1968-69;

(b) the quantity of each item; the value thereof in rupees and the amount of foreign exchange earned thereby; and

(c) the names of countries to which these items will be exported during 1969-70, the estimated value thereof and the amount of foreign exchange likely to be earned therefrom?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak): (a) and (b). Cod Liver Oil is not exported as the same is not Produced in India. However a quantity of 158431 Kg. of Fish Body Oil valued at Rs. 2,48,446 was exported to Bahrein Island, Iran, Iraq, Kuwait, Muscat and Qatar during 1968-69.

(c) Export will continue to the Middle East Countries and are likely to be of the same order.

Vietnam Liberation Front Office in India

540. **Shri Hukam Chand Kachwai:**

Dr. Ranen Sen:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a delegation on behalf of India Peace Council approached Government in April, 1969 and requested that permission should be granted to open an office of Liberation Front of Vietnam in India; and

(b) if so, the action taken by Government thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) Yes, Sir.

(b) Before the matter could be considered fully, the situation has changed in South Vietnam.

Export of Leather and Leather Goods

541. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the names of the countries to which leather and leather goods were exported during 1968-69 and the total value thereof;

(b) the names of the countries to which these goods will be exported during the year 1969-70 and the total amount of foreign exchange likely to be earned therefrom; and

(c) the steps Government propose to take to popularise Indian leather and leather goods in foreign countries?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak): (a) During the year 1968-69 leather and leather goods were mainly exported to Aden, Hongkong, Somalia, U.K., U.S.A., Australia, Canada, Denmark, France, Italy, Japan, Spain, U.S.S.R., Czechoslovakia, German Federal Republic, German Democratic Republic, Hungary, Poland, Sweden, Belgium, Yugoslavia, Netherlands, New-Zealand, U.A.R., Singapore, Malaysia, Nepal, Saudi Arabia, Bahrain Island, Bulgaria, Rumania, Austria, Norway, Switzerland, Finland, Kuwait, Kenya, Lybia, Uganda and others. Exports of leather and leather goods (excluding raw hides and skins) during 1968-69 amounted to Rs. 80.14 crores.

(b) In addition to countries mentioned above to which leather and leather goods have been exported during the year 1968-69, efforts will be made to seek new markets all over the world for export of leather and leather goods. It is, however, difficult to say at this stage the names of the new countries as exploratory work is done through out the year to locate and gain new markets. It is estimated that the total value of exports of leather and leather goods (excluding raw hides and skins) during 1969-70 will be of the order of about Rs. 85.00 crores.

(c) Apart from others, the following steps are proposed to be taken to popularise Indian leather and leather goods in the foreign markets :

(i) Sales Teams will be sent out under the auspices of the Leather Export Promotion Council, Madras and the Export Promotion Council for Finished Leather and Leather Manufactures, Kanpur, to foreign countries to study the prospects for export of leather and leather goods as well as to book orders for sale on the spot.

(ii) Market survey/studies in respect of selected products will be conducted in the foreign countries during the current financial year.

(iii) Leather Export Promotion Council, Madras and Export Promotion Council for Finished Leather and Leather Manufactures, Kanpur will participate in the specialised fairs and exhibitions to be held during 1969-70 in the different parts of the world and leather and leather goods will be displayed in these fairs and exhibitions.

(iv) The Export Promotion Councils will also be conducting foreign publicity by issuing advertisements in foreign specialised journals etc.

जिब्रालटर में भारतीयों को मताधिकार का प्रयोग करने से मनाही

542. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिब्रालटर में बसे भारत मूलक लोगों को उस 'एक सिटी' में मताधिकार का प्रयोग करने से इन्कार कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस अधिकार से वंचित किये जाने के बारे में ब्रिटिश सरकार के प्रति विरोध प्रकट करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) ब्रिटिश सरकार द्वारा मतदान की पात्रता के सम्बन्ध में बनाए गए नियमों के अनुसार उनकी शर्तों को पूरा करने वाले भारत मूल के सभी व्यक्तियों को मतदान करने दिया गया था ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ में जिब्रालटर के मामले पर भारत द्वारा मतदान में भाग न लेना

543. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई ऐसे संकल्प प्रस्तुत किये गये हैं जिन पर मतदान होते समय भारत ने भाग न लिया हो;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(ग) उन संकल्पों का पाठ क्या है जिन पर मतदान के समय भारत ने भाग नहीं लिया; और

(घ) क्या भारत सरकार जिब्रालटर पर ब्रिटिश सरकार द्वारा कब्जा किये जाने के अधिकार का समर्थन करती है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (घ). जी हां । भारत ने महासभा के प्रस्ताव 2353 (बाइस) और 2429 (तेईस) पर मतदान में भाग नहीं लिया था । यूनाइटेड किंगडम और स्पेन के बीच के इस विवाद में भारत किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता । सरकार का मत यह है कि दोनों पक्षों को आपस में सीधी बातचीत करके और इस प्रदेश के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए, परस्पर स्वीकार्य समझौता करने की कोशिश करनी चाहिए ।

प्रस्ताव 2353 (बाईस) और 2429 (तेईस) की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 1309/69]**

सिल्क एन्ड आर्ट सिल्क मिल्स एसोसिएशन लिमिटेड, बम्बई

544. **श्री जार्ज फरनेंडीज :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिल्क उद्योग के लिये अपेक्षित कच्चे माल के आयात तथा तैयार माल के निर्यात के बारे में सिल्क मिल्स एसोसिएशन लिमिटेड, बम्बई के अध्यक्ष से कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (घ). रेशम तथा नकली रेशम मिल संघ ने, जो बुनाई उद्योग का प्रतिनिधि है, सरकार के समक्ष एक योजना रखी थी जिसमें उद्योग द्वारा अपेक्षित कच्चे माल के आयात और तैयार माल के निर्यात का सम्बन्ध जोड़ा गया था। इस योजना में यह सुझाव था कि किसी प्रकार के धागे के रूप में निर्यातों के 50 प्रतिशत तक हकदारी दी जाए, इसमें से 10 प्रतिशत रंगों, रासायनिक पदार्थों और फालतू पुर्जों के लिये हो और 40 प्रति अंश कताई क्षेत्र द्वारा अपेक्षित कच्चे माल के आयात के लिये सरकार को समर्पित कर दिया जाए। ऐसी योजना की स्वीकृति का अर्थ भूतपूर्व निर्यात संबंर्धन योजना को, जिसे अवमूल्यन के पश्चात समाप्त कर दिया गया था, पुनर्जीवित करना होता। पुरानी निर्यात संवर्धन योजना को पुनर्जीवित करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है परन्तु इस समय विभिन्न निर्यात संवर्धन उपाय लागू हैं जिनकी निरन्तर समीक्षा की जाती है और निर्यातों को अधिकतम बढ़ाने के लिये सरकार उद्योग तथा व्यापार से, जिनमें रेशम तथा नकली रेशम निर्माता संघ भी शामिल हैं, प्राप्त सुझावों पर विचार करेगी।

दक्षिण वियतनाम का नेशनल लिब्रेशन फ्रंट

545. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री नम्बियार :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री जनार्दनन :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री बालमीकि चौधरी :
डा० रानेन सेन :
श्री हिम्मतसिंहका
श्री प्र० के० देव :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री शिव चन्द्र झा :
श्री एस० एम० ओबराय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दक्षिण वियतनाम के "नेशनल लिब्रेशन फ्रन्ट" को वियतनाम की जनता

का सच्चा प्रतिनिधि समझती है;

(ख) यदि हां, तो नेशनल लिब्रेशन फ्रन्ट को राजनयिक मान्यता देने के लिये सरकार यदि कोई कार्यवाही कर रही है तो वह क्या है जैसा कि कुछ अन्य देशों ने किया है;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो क्या सरकार के पास यह सिद्ध करने के लिये तथ्य है कि नेशनल लिब्रेशन फ्रन्ट दक्षिण वियतनाम की जनता का सच्चा प्रतिनिधि नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो वे तथ्य क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (घ) : वियतनाम के बारे में भारत सरकार की नीति ऐसे कदम उठाना है कि जिससे इस बात का सुनिश्चय हो जाए। वियतनाम का प्रश्न शांतिपूर्ण ढंग से सुलझ जाएगा और वियतनाम के लोगों को इस बात की छूट मिल जाए कि वे अपने भाग्य का निर्णय खुद, बिना किसी बाहरी प्रमाण के करें।

पेरिस में जो बातचीत चल रही है उसमें भाग लेने वाले पक्षों में नेशनल लिब्रेशन फ्रंट भी है। इस तरह उनकी स्थिति प्रमाणित है। बहरहाल सरकार इस समग्र नीति के संदर्भ में स्थिति का अध्ययन कर रही है और जब कोई निर्णय ले लिया जाएगा तो सबको बता दिया जाएगा।

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के प्रयोग के लिये विदेशी मदिरा तथा अन्य वस्तुओं का आयात

546. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री 7 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8716 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1968 और 1969 में वस्तु-वार तथा मूल्य-वार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के प्रयोग के लिये कुल कितने मूल्य की शुल्क-मुक्त विदेशी मदिरा तथा अन्य वस्तुओं का आयात किया गया था ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : जारी किये गये आयात लाइसेंसों के संबंध में सूचना "वीकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिस, इम्पोर्ट लाइसेंसिस एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसिस प्रकाशित की जाती है। वर्ष 1968 तथा 1969 के दौरान पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के लिये मदिरा आदि के आयात के लिये निम्नलिखित मूल्य के लाइसेंस जारी किये गये थे :—

	वस्तु	मूल्य रुपये में
1968	मदिरा	2, 531
1969	—	—

दिल्ली छावनी के लिए झुग्गी-झोंपड़ी योजना

547. **श्री बलराज मधोक** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली छावनी में झुग्गियों तथा झोंपड़ियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए झुग्गी-झोंपड़ी योजना में झुग्गियों को सम्मिलित करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रति रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) लगभग 825 ।

(ख) झुग्गी झोंपड़ी योजना को छावनी क्षेत्र में लागू करने का इस समय सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ग) भूमि और वित्त की कमी इस योजना को छावनी क्षेत्र में लागू न करने का मुख्य कारण है ।

Continuation of Old Rules in Army

548. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the reasons for continuing the uniform and rules and regulations of the British period in the Indian Army in order to bring a new revolution and awakening in it, while in the armies of U.S.S.R. and U.S.A. the uniform of the soldier and officer is the same, only the badges are different ;

(b) whether Government propose to bring about such uniformity in the Indian Army; and

(c) if so, the details thereof?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (c). The rules relating to the uniform of Indian Army personnel and the other rules and regulations are varied, from time to time, so as to suit Indian conditions, without necessarily attempting a comparison with either the British army or the armies of USSR or USA.

छावनी बोर्ड

549. **श्री शशि भूषण** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात का विचार कर रही है कि छावनी बोर्ड, जिसमें लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, की अध्यक्षता निर्वाचित सदस्यों में से किसी सदस्य द्वारा की जानी चाहिए;

(ख) क्या यह सच है कि छावनी बोर्डों के पास करोड़ों रुपये के मूल्य की भूमि है जो सेना के लिये बिल्कुल उपयोगी नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो क्या भूतपूर्व सैनिकों को फिर से बसाने के उद्देश्य से और बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए सहकारिता के आधार पर मकान अथवा दुकानें बनाने के लिए भूमि नियत करने का सरकार का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) छावनी अधिनियम के संशोधन के लिए दिए गए सुझावों में से एक यह है कि अध्यक्ष को निर्वाचित किया जाए। अन्य प्रस्तावों समेत इस सुझाव पर, छावनी अधिनियम में व्यापक संशोधन करते समय विचार किया जाएगा।

(ख) छावनियों के नोटिफाइड असैनिक क्षेत्रों में सरकारी भूमियों का प्रबन्ध सरकार के हक में छावनी बोर्डों को सौंपा गया है। इनमें से कई भूमियां सेना के लिए लाभकर होना शक्य है।

(ग) नोटिफाइड असैनिक क्षेत्रों में रिक्त भूमियां प्राय: छावनी और रक्षा आवश्यकताएं जुटाने के लिए आवश्यक होती हैं। तदपि, ऐसी भूमियों की ग्रांट के लिए भूतपूर्व सैनिकों और अन्यों की प्रार्थनाओं का मेरिट के अनुसार निरीक्षण किया जाता है।

सहकारिता के आधार पर निर्माण कार्य के लिए भूतपूर्व सैनिकों की सहायता

550. **श्री शशि भूषण** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारिता के आधार पर निर्माण-कार्य के लिये भूतपूर्व सैनिकों को सहायता देने के बारे में भारत के स्टेट बैंक के साथ कोई विचार-विमर्श किया गया है अथवा करने का विचार है ; और

(ख) क्या सरकार छावनी बोर्डों के नियंत्रणाधीन भूमि में से कुछ भूमि भूतपूर्व सैनिकों को बेचने तथा उसमें से कुछ भूमि उन्हें आवंटित करने के पक्ष में है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। छावनियों के नोटीफाइड क्षेत्र में रिक्त भूमि प्राय: छावनी और रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक होती है। तदपि, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य से ऐसी भूमियों की ग्रांट के लिए प्रार्थनाओं पर मेरिट अनुसार निरीक्षण किया जाता है।

Former Chief of Army Staff's Interview with the Press

551. **Shri Shashi Bhushan :**
Shri N. K. Somani :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the statement made by the former Chief of Army Staff, General P.P. Kumaramangalam, in which he had given a special message to the Army that they should shed conservation ;

(b) if so, whether the statement relates to the Infantry regiment which was formed by the British on the bases of caste, province and religion and which still continues ;

(c) the reaction of Government thereto ; and

(d) the steps taken by Government to bring about improvement therein ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) Yes, Sir.

(b) to (d). The policy of Government has already been clearly indicated in the reply given to Starred Question No. 85, answered on the floor of the House on 13th November, 1968.

Prime Minister's Visit to Afghanistan

552 **Shri Raghuvir Singh Shastri**:
Shri Hem Barua:
Shri Sarjoo Pandey:
Shri R. R. Singh Deo:
Shri Beni Shanker Sharma:
Shri Shiva Chandra Jha:
Shri Y. A. Prasad:
Shri Ramchandra Veerappa:
Shri D. C. Shrma:
Shri P. C. Adichan:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Prime Minister paid a visit to Afghanistan in June, 1969;

(b) if so, the subjects discussed with the leaders of Afghanistan ; and

(c) the results thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The discussions were confidential. In view of our friendly relations with Afghanistan, wide ranging duscussions took place on bilateral relations and inter-national developments. These discussions, we believe will further strengthen friendship and understanding between our two countries.

जापान को सिलाई की मशीनों के पुर्जों का निर्यात

553. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान सिलाई की मशीनों के पुर्जे भारत से आयात करेगा ;

(ख) यदि हां, तो इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होगी ;

(ग) क्या कोई अन्य देश भी भारत से इस प्रकार के पुर्जे आयात करते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). जापान ने केवल हाल ही में भारत से सिलाई की मशीनों के पूर्जों के मंगवाने में दिलचस्पी

जाहिर की है। अप्रैल तथा मई, 1969 के दौरान उस देश को 58,950 रु० लागत के पुर्जों का निर्यात किया गया।

(ग) और (घ). एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1310/69]

मेंढक की टांगों का निर्यात

554. **श्री स० अ० अगडी :**

श्री अदिचन :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून और अगस्त 1969 में तैयार की गई मेंढक की टांगों के निर्यात पर प्रतिबंध है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) पत्तन-वार मेंढक की टांगों (साधित) का कितना तथा किन-किन देशों को निर्यात किया गया और वर्षवार 1966-67 से 1968-69 तक कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ; और

(घ) क्या समुद्र-जन्य पदार्थ निर्यात संवर्धन परिषद इसका सीधे निर्यात कर रही है अथवा राज्य व्यापार निगम के माध्यम से निर्यात किया जा रहा है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी रामसेवक) : (क) और (ख). जी हां। 15 जून से 15 अगस्त की अवधि में, जो मेंढकों के लिये सामान्यतः प्रजनन का मौसम है, साधित की गई मेंढक की टांगों के निर्यात पर प्रतिबंध है ताकि मेंढकों के प्रजनन को सुकर बनाया जा सके और अपने स्रोतों को कम होने से रोका जा सके।

(ग) एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1311/69]

(घ) इसके निर्यात गैर-सरकारी फर्मों द्वारा किये जाते हैं, और समुद्री उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद् कोचीन अथवा राज्य व्यापार निगम के माध्यम से नहीं।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को दिये गये भारतीय वायु सेना के विमान चालक

555. **श्री धी० ना० देव :**　　**श्री प्र० के० देव :**

श्री रा० रा० सिंह देव :　　**श्री एन० शिवप्पा :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय वायु सेना के विमान चालक इंडियन एयरलाइन्स

कारपोरेशन को देने का निर्णय किया है जिससे कारपोरेशन के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल आदि करने की स्थिति में उनकी सेवाएं चालू रह सकें ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे भारतीय वायु सेना के कार्य पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखा गया है ; और

(ग) यदि ये प्रस्ताव तैयार हो चुके हैं तो उनका व्योरा क्या है और इस प्रकार के प्रस्ताव के प्रति इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों की क्या प्रतिक्रिया होने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

नाइजीरिया में भारत-नाइजीरिया के सहयोग से सेफ्टी ब्लेड बनाने के कारखाने की स्थापना

556. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निकट भविष्य में नाइजीरिया की एक फर्म के सहयोग से कलकत्ता की एक फर्म लागोस में सेफ्टी-रेजर ब्लेड बनाने का एक कारखाना स्थापित करेगी ;

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना कब स्थापित किया जायेगा ;

(ग) क्या भारत की तकनीकी और मशीनी सहायता से नाइजीरिया में साइकिल बनाने का जो कारखाना स्थापित किया जा रहा है वह इस वर्ष के अंत तक चालू हो जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो उस फर्म का नाम क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां ।

(ख) प्रायोजना में उत्पादन इस वर्ष के अंत तक शुरू हो जाने की संभावना है ।

(ग) और (घ). भारतीय सहयोग के साथ नाइजीरिया में पुर्जे संयोजित करके साइकिल तैयार करने के कारखाने की स्थापना का कोई भी प्रस्ताव अभी तक इस मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुआ है ।

रेशमी कपड़े का निर्यात

557. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में (वर्षवार) भारतीय रेशमी कपड़े के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ; और

(ख) भारतीय रेशम का आयात करने वाले देशों के नाम क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1312/69]

भारत सकर व्यापार संतुलन

558. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968-69 में भारत का व्यापार संतुलन कुछ देशों के साथ काफी प्रतिकूल रहा था ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इस स्थिति को दूर करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की जा रही है, तो वह क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). जी हां। देशों के नाम तथा घाटे की मात्राएं नीचे दी गई हैं :

	व्यापार में घाटा (करोड़ रुपये में)
	1968-69
सं० रा० अमेरिका	340.8
प० जर्मनी	93.2
कनाडा	69.0
सोवियत रूस	37.2
इटली	31.4
थाईलैंड	27.7
कांगो	20.8
संयुक्त अरब गणराज्य	19.6
फ्रांस	16.3

(ग) आयात तथा निर्यात के अंतर को पूरा करने के लिये आयात प्रतिस्थापन नीति का दृढ़ता से पालन किया जा रहा है और बहुत-सी मदों के आयात पर, जिनका उत्पादन देश में प्रारम्भ हो गया है, प्रतिबंध अथवा रोक लगा दी गई है। इस प्रयोजन के लिए जो अन्य कदम उठाये जा रहे हैं, वे निम्नलिखित हैं :

(1) कतिपय गैर-परम्परागत मदों के लिये विशिष्ट दरों पर नकद सहायता दी जा रही है।

(2) निर्यातकों को संभरण के अपने निर्यातों की पूर्व-निर्धारित दरों पर आयातित अंश की प्रतिपूर्ति अपनी पसंद के स्रोतों से करने दी जाती है।

(3) निर्यात के हेतु उत्पादन के लिये कतिपय दुर्लभ स्वदेशी कच्चे माल का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर संभरण किया जा रहा है।

(4) निर्यात उत्पादनों के लिये आयातों पर वित्तीय शुल्क के संबंध में निर्यात के समय चुंगीवापसी की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

(5) निर्यात के लिए वित्त प्रदान करने की सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं।

(6) विशेषत: अच्छी निर्यात निष्पादिता पर आयात प्रतिपूर्ति की सुविधाओं को उदार बना दिया गया है।

(7) विदेशों में प्रचार, प्रतिनिधि मंडलों तथा अध्ययन दलों और व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने के रूप में संवर्धनात्मक प्रयत्न।

(8) अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए व्यापारिक समझौते/प्रबंधों का किया जाना।

(9) विकसित देशों को हमारे निर्यात पर प्रशुल्क तथा गैर-प्रशुल्क सम्बन्धी प्रतिरोधों के हटवाने के लिये प्रयत्न।

(10) निर्यात किये गये माल के सम्बन्ध में, आयातित अंश पर आयात शुल्क की वापसी तथा उसके निर्माण में प्रयुक्त स्वदेशी कच्चे माल तथा पुर्जों पर उत्पादन शुल्क की छूट दी जाती है।

भारत-गियाना व्यापार वार्ता

559. **श्री य० अ० प्रसाद :** **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री रा० रा० सिंह देव :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1969 में भारत-गियाना व्यापार सम्बन्धी वार्ता हुई थी ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). जी, नहीं। मई, 1969 में भारतीय आर्थिक तथा व्यापार प्रतिनिधि मंडल के गियाना के दौरे के अवसर पर व्यापार सम्बन्धी कोई औपचारिक वार्ता नहीं हुई थी। यह तथ्यों का पता लगाने वाला मिशन था जिसने प्रारम्भिक संपर्क स्थापित किये।

मंडी में ग्रीष्म ऋतु समारोह

560. **श्री म० ला० सोंधी : क्या प्रतिरक्षा** मंत्रीयह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 जून, 1969 को मंडी (हिमाचल प्रदेश) में ग्रीष्म ऋतु समारोह के दौरान कई कैडेटों ने मंच पर धावा बोला और कलाकारों को धक्का देकर उनकी कुर्सियों पर बैठ गये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ कैडेटों ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) 1 जून, 1969 को धर्मशाला में ग्रीष्मोत्सव के संबंध में आयोजित एक मुशायरा कार्यक्रम के दौरान कुछ अशान्ति फैल गई थी। इस अशान्ति के फलस्वरूप कुछ एन० सी० सी० छात्रों को जिन्हें शिविर कमान्डेट द्वारा एक अफसर और एन० सी० ओ० के नेतृत्व में मुशायरे में शामिल होने की अनुमति दी गई थी, गिरफ्तार कर लिया गया था। जो निर्दोष पाये गये उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था, और दूसरों को डांट फटकार के पश्चात् छोड़ा गया था। एक वरिष्ठ सेना अधिकारी द्वारा आयोजित जांच के अनुसार न तो एन० सी० सी० छात्रों ने मंच को तोड़ा था न ही कलाकारों के लिये अभिप्रेत कुर्सियों पर ही अधिकार जमाया था।

(ख) आरोपों की जांच की गई है, और वह निराधार पाये गये हैं।

(ग) प्रश्न नही उठता। तदापि, धर्मशाला और हिमाचल प्रदेश में आबादी के आस-पास क्षेत्रों में शडूल के अनुसार आयोजित किये जाने वाले और शिविर निरसित कर दिये गये थे।

रूसी प्रधान मंत्री की रावलपिंडी की यात्रा

561. **श्री प्रेम चंद वर्मा :**
श्री इ० के० नायनार :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में समाचार देखे हैं कि श्री कोसीगिन अपनी अफगानिस्तान यात्रा के बाद रावलपिंडी जा रहे हैं जब उनके द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकन्द भावना को पुनर्जीवित करने की आशा है ;

(ख) क्या जब रूस के प्रधान मंत्री भारत के राष्ट्रपति के निधन के समय भारत आये थे तो इस विषय पर कोई वार्ता हुई थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या बातचीत हुई थी और क्या सरकार किसी विशेष निर्णय पर पहुंची है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या कार्यवाही करने का निर्णय किया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) प्रीमियर कोसिगिन अफगानिस्तान की यात्रा के बाद रावलपिंडी गये थे। इस्लामाबाद में रात्रिभोज के समय भाषण करते हुये, प्रीमियर कोसिगिन ने कहा था : "हम हृदय से यह चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान ने ताशकंद बैठक में जिस रास्ते पर चलना शुरू किया था उस पर वे सफलतापूर्वक आगे बढ़ते जाएंगे।

(ख) से (घ). प्रीमियर कोसिगिन को भारत की इस इच्छा के बारे में बता दिया गया था कि वह ताशकंद घोषणा को पूरी तरह क्रियान्वित करके संबंधों को सामान्य बनाना चाहता है। यह बातचीत सामान्य प्रकृति की थी।

सैनिक स्कूल

562. **श्री तुलसीदास दासप्पा :**
श्री गार्डलिगन गौड :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी राज्यों में सैनिक स्कूल स्थापित किये गये हैं तथापि नागालैंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा काश्मीर राज्यों के साथ इस बारे में भेदभाव किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस भेदभाव को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश राज्य के घोड़ाखाल स्थित सैनिक स्कूल में केवल 277 विद्यार्थियों को भर्ती किया जाता है जबकि हरयाना राज्य में कुंजपुरा स्थित सैनिक स्कूल में 525 विद्यार्थियों को भर्ती किया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). नागालैंड, जम्मू तथा काश्मीर और हिमाचल प्रदेश समेत संघीय क्षेत्रों में कोई सैनिक स्कूल नहीं हैं। सैनिक स्कूल राज्य सरकारों की प्रार्थना पर खोले जाते हैं, जो भवन तथा आरम्भिक स्कूल साज-सामान की निधियां प्राप्त करते हैं। जहां तक नागालैंड और जम्मू तथा काश्मीर का सम्बन्ध है, स्थिति यह है कि यह राज्यों अन्य सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिये प्रतिवर्ष, प्रत्येक 50 लड़के नामांकित करने की अनुमति है। संघीय क्षेत्रों के लड़कों को भी अखिल भारत प्रविष्टि परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है, और यदि वह उत्तीर्ण हो तो उन्हें पास के सैनिक स्कूलों में स्थान प्राप्य किये जाते हैं।

(ग) जी हां।

(घ) सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में वर्तमान 277 की कम प्रविष्टि का कारण है अपर्याप्त वास्य भवन । राज्य सरकार ने अतिरिक्त कक्षा कमरों और डार्मिटरी भवनों का निर्माण हस्तगत किया है । अतिरिक्त वास्य भवनों की सम्पूर्ति पर स्कूल में लड़कों की संख्या में सुधार होगा ।

सैगोन में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग का कार्य

563. **श्री तुलसीदास दासप्पा : क्या वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के कार्य का पुनर्विलोकन करने के लिये एक तथ्य जांच मिशन सैगोन आदि को भेजा गया है ; और

(ख) क्या वियतनाम समस्या के समझौते की संभावना को ध्यान में रखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग के कार्य का अनुमान लगाया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह करार के स्वरूप और शर्तों पर निर्भर करेगा ।

मध्य प्रदेश के लिये योजना परिव्यय

564. **श्री दे० वि० सिंह : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना के अधिकार तथा स्वरूप के बारे में निर्णय ले लिया गया है, यदि हां, तो राज्य के लिये सरकार द्वारा मंजूर किया गया योजना परिव्यय कितना है और राज्य सरकार की मांग से यह कितना कम है ;

(ख) योजना के अन्तर्गत विभिन्न बड़े कार्यक्रमों में कितनी कमी की गई है और इस कमी के कारण किन योजनाओं पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ; और

(ग) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये योजना प्रारूप के अन्तर्गत किस दर से वृद्धि होने का अनुमान था तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के अन्तर्गत इसको प्राप्त करना कहां तक सम्भव होगा ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). राज्य सरकार के 552.8 करोड़ रुपये के परिव्यय के प्रस्ताव के विपरीत, योजना आयोग ने उपलब्ध संसाधनों के आधार पर 355.96 करोड़ रुपये के परिव्यय की सिफारिश की है । जिन परिव्ययों की सिफारिश की गई है उनका क्षेत्रीय वितरण संसद को अप्रैल, 1969 में प्रस्तुत "चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप" के पृष्ठ 67-68 में दर्शाया गया है ।

(ग) राज्य के योजना प्रारूप में, 1969—74 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान राज्य की समस्त अर्थ-व्यवस्था के विकास की कोई खास दर नहीं बताई गई है ।

जापान को लौह् अयस्क का निर्यात

565. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

श्री स० कुन्दू :

क्या **वैदेशिक-व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान को 2250 लाख टन लौह् अयस्क के निर्यात की जो पेशकश की गई है इसको बेलडिला, बराजामा तथा देतानी की खानों में बराबर मात्रा में बांट दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो बराजामा तथा देतानी खानों से कितना अयस्क निर्यात करने की पेशकश की गई है ?

वैदेशिक-व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने जापानी इस्पात मिल्स को, लगभग 2180 लाख टन लौह् अयस्क का 15 वर्ष की अवधि में विशाखापत्तनम, हल्दिया तथा पारादीप पत्तनों द्वारा संभरण करने की पेशकश की है जो इस प्रकार से होगा : अर्थात् बेलाडिला/किरिबुरु खानों से 1258 लाख टन, दैतेरी खानों से लगभग 252 लाख टन, बराजामदा क्षेत्र से 667 लाख टन ।

तारापुर यूरेनियम कुओं में त्रुटियां

566. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारापुर यूरेनियम कुओं में चिन्ताजनक त्रुटियां होने का पता लगा है ;

(ख) क्या भारतीय इंजीनियरों ने इन त्रुटियों में निहित सम्भावित खबरों के बारे में चिन्ता व्यक्त की है ;

(ग) क्या अणु-शक्ति आयोग के अध्यक्ष ने प्रधान मंत्री को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख). माननीय सदस्य शायद तारापुर अणु-शक्ति के अन्तिम निरीक्षण के समय गत वर्ष कुछ दरारों के पता चलने का उल्लेख कर रहे हैं। सप्लाई करने वालों के व्यय पर आवश्यक मरम्मत कर दी गई थी। तब से उस प्रकार की नई त्रुटियां ध्यान में नहीं आई हैं।

(ग) विशेष प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि प्रधान मंत्री को विभाग के सभी महत्वपूर्ण मामलों की जानकारी दी जाती है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हनोई और सैंगोन को विदेश सचिव की यात्रा

567. **श्री नाथ पाई :**
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री शिवचन्द्र झा :
श्री वंश नारायण सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री मधु लिमये :
श्री रवि राय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सीताराम केसरी :
श्री कृ० दे० त्रिपाठी :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेश सचिव ने हनोई तथा सैगोन की यात्रा की थी ;

(ख) क्या हनोई के अनुरोध पर उक्त यात्रा को रद्द कर दिया गया था ; और

(ग) प्रस्तावित यात्रा को स्थगित करने के बारे में हनोई द्वारा क्या कारण बताये गये थे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). वियतनाम की प्रजातांत्रिक गणराज्य सरकार ने जुलाई के मध्य में हनोई की यात्रा करने के लिये विदेश सचिव को आमंत्रित किया था। वे सैगोन की यात्रा करने की भी योजना बना रहे थे। लेकिन प्रजा-तांत्रिक गणराज्य वियतनाम के अधिकारियों ने कुछ समय के लिये यात्रा स्थगित कर देने की इच्छा प्रकट की क्योंकि जैसा कि ज्ञात हुआ कि कुछ विशिष्ट अतिथि जिनसे वे मिलने वाले थे, उस समय सुलभ नहीं थे।

ऐसी यात्राएं दोनों देशों की सुविधाओं पर ही की जाती हैं और इसलिये विदेश सचिव ने इस अवसर पर हनोई या सैगोन की यात्रा नहीं की।

मई-जुलाई, 1969 में प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा

568. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसदीय अवकाश (मई—जुलाई) के दौरान वह कितने दिन विदेशों में रही हैं ;

(ख) उस अवधि में जिन देशों की उन्होंने यात्रा की है, उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) देश की सरकार के प्रमुख को किन कारणों से देश से बाहर रहना उचित समझा गया जबकि गम्भीर राजनीतिक समस्यायें उत्पन्न हो गई थीं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 15 दिन।

(ख) अफगानिस्तान, जापान और इण्डोनेशिया।

(ग) किसी देश के निमंत्रण पर किसी शासनाध्यक्ष की औपचारिक यात्रा के कार्यक्रम में, जो काफी पहले तय हो जाता है, सामान्यतः तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाता जब तक की इस तरह के परिवर्तन करने के बहुत ही खास कारण न हों। बहरहाल, प्रधान मंत्री जब विदेश में भी होती हैं तब भी देश की घटनाओं से अपने आपको पूरी तरह अवगत रखती हैं।

चिल्का झील में नौसैनिक प्रशिक्षण संस्था

569. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में चिल्का झील के निकट नौसेना प्रशिक्षण संस्था के स्थापित करने का कार्य अब तक आरम्भ कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) यह निर्णीत किये जाने वाले कार्य की कार्य सीमा पर निर्भर होगा, जो इस समय निरीक्षण अधीन है।

पश्चिम एशिया का मामला

570. **श्री वेणी शंकर शर्मा** :
श्री एम० एस० ओबराय :
श्री वेदव्रत बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने पश्चिम एशिया के मामले को हल करने के लिये कोई प्रयास किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) उक्त प्रयासों का क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). भारत अब भी सुरक्षा परिषद के 22 नवम्बर, 1967 के प्रस्ताव का और राजनयिक सूत्रों के माध्यम से तथा उच्च स्तरीय बैठकों में इसे क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से किये गये सभी प्रयासों और प्रस्तावों का भी समर्थन करता है।

अप्रैल 1969 में न्यूयार्क में जिन चार बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की बातचीत शुरू हुई थी, वे अब कुछ समय के लिये उठ गए हैं। लेकिन संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ के बीच द्विपक्षीय बातचीत अभी चल रही है।

भारत द्वारा चीन-रूस विवाद को निपटाने के प्रयास

571. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन-रूस विवाद को निपटाने में सहयोग देने हेतु भारत ने कोई प्रयत्न किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

ब्रिटेन को सूती कपड़े का निर्यात

572. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने राष्ट्रमंडलीय देशों से सूती कपड़े के आयात की कोटा प्रणाली को समाप्त कर दिया है या करने का विचार है और इस पर 15% अथवा इसके लगभग शुल्क लगा रहा है या लगा दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्रिटेन से होने वाले भारतीय व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रमंडलीय देशों से सूती वस्त्रों के आयात के लिये न तो कोटा प्रणाली समाप्त की है और न बहां से आयातित सूती वस्त्रों पर 15 प्रतिशत प्रशुल्क ही लगाया है। परन्तु ब्रिटिश वस्त्र परिषद् ने सूती वस्त्र उद्योग पर ब्रिटिश सरकार को प्रतिवेदन दिया है जिसमें राष्ट्रमंडलीय देशों से आयातित सूती वस्त्रों पर 15 प्रतिशत प्रशुल्क लगाने और कोटा प्रणाली समाप्त करने की सिफारिशें की गई हैं। ब्रिटिश सरकार ने इन सिफारिशों पर कोई विनिश्चय नहीं किया है ।

भारत जापान व्यापार

573. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान मंत्री की हाल की जापान यात्रा के दौरान व्यापार तथा भारत के औद्योगिक विकास से सम्बन्धित मामलों के समबन्ध में जापान सरकार के साथ उनकी जो बातचीत हुई और उसके परिणामस्वरूप जो समझौते हुए, उनका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : जून, 1969 में प्रधानमंत्री की जापान यात्रा किसी विशिष्ट व्यापार अथवा औद्योगिक करार के लिये नहीं

थी। फिर भी उस देश की यात्रा के दौरान भारत की प्रधानमंत्री को जापान के प्रधानमंत्री के साथ दोनों देशों के हितों के अनेक विषयों पर, जिनमें विशेषत: दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग की बढ़ती हुई गुंजाइश से सम्बन्धित विषय शामिल थे, विचार विनिमय का अवसर मिला था। दोनों प्रधान मंत्रियों में हुई बातचीत की मुख्य-मुख्य बातें तथा उनके निष्कर्ष दौरे के अन्त में जारी की गयी संयुक्त विज्ञप्ति में दिये गये हैं। विज्ञप्ति की एक प्रति (अंग्रेजी में) संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०** 1313/69]

गाजियाबाद में इलेक्ट्रानिक कारखाना

574. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के मध्यवर्ती भागों में प्रतिरक्षा उत्पादन के कारखाने खोलने की सरकार की नीति नहीं है ;

(ख) क्या यह सच है कि देश के मध्यवर्ती भागों पर शत्रु आसानी से आक्रमण नहीं कर सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो गाजियाबाद में, जो राजधानी के निकट होने के कारण अत्यधिक आक्रमणीय है, प्रस्तावित इलेक्ट्रानिक कारखाना स्थापित करने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) ऐसी कोई नीति नहीं कि रक्षा उत्पादन यूनिटें देश के केन्द्रीय भागों में स्थित की जाएं।

(ख) यह सूचना देना लोक हित में नहीं होगा।

(ग) प्रस्तावित तीसरी इलेक्ट्रानिकी फैक्टरी के स्थान के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। तदपि, विशेषज्ञों की सलाह है कि लक्ष्यता के कारण ही राजधानी के निकट किसी फैक्टरी को स्थित करने की बात को रद्द नहीं कर देना चाहिये।

वोरधा (मध्य प्रदेश) में चांदमारी क्षेत्र

575. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इटारसी के निकट वोरधा में चांदमारी क्षेत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) उस क्षेत्र में कब से काम आरम्भ हो जायेगा ; और

(ग) क्या उस क्षेत्र के शियेदारों का पूरा मुआवजा दे दिया गया है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) संस्थान का नाम है सेंट्रल प्राड एस्टेब्लिशमेंट, इटारसी न कि फायर टेस्टिंग रेंज, बड़ौदा। विभिन्न चांदमारी सुविधाओं का

निर्माण सन्तोषजनक तौर पर प्रगतिशील है। 88 लाख रुपये से अधिक के असैनिक कार्यों की पहली प्रावस्था के लिये ठेका चीफ इंजीनियरिंग सेंट्रल जोन, नागपुर द्वारा पहले से 16-5-1969 को सम्पन्न हो चुका है, और काम 9-6-1969 को आरम्भ हो चुका है। प्रूफ रेंज में विभिन्न तकनीकी सुविधाओं की स्थापना में भी पर्याप्त प्रगति हुई है।

(ख) निर्माण की अगली अधिक प्रगति पर आधारित रेंज को सितम्बर 1969 तक काम करना शुरू कर देना चाहिये।

(ग) निजी भूमि के मुजारओं को 40 लाख रुपये का मुआवजा पहले ही दिया जा चुका है। कानून देय शेष की अदायगी के बारे में कार्यवाही हस्तगत है।

मेवा के आयात के लिये लाइसेंस

577. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वास्तविक आवेदनकर्ताओं की उपेक्षा करके दूसरों को मेवा के आयात के लिये लाइसेंस मंजूर किये गये हैं ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को पिछले दो वर्षों में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ग) यदि हां, तो इनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) उन फर्मों के नाम क्या हैं जिनको पिछले दो वर्षों में मेवा के आयात के लिये लाइसेंस मंजूर किये गये हैं ; और

(ङ) इन लाइसेंसों की सामान्य शर्तें क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जिन फर्मों को मेवों के आयात के लिये लाइसेंस दिये जाते हैं, उनके नाम "औद्योगिक लाइसेंसों, आयात लाइसेंसों तथा निर्यात लाइसेंसों के साप्ताहिक बुलेटिन" में प्राप्त हैं जिसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में प्राप्त हैं।

(ङ) अफगानिस्तान से मेवों के आयातों के सम्बन्ध में मुख्य शर्त, जिसके आधार पर सीमा-शुल्क निवासी परमिट जारी किये जाते हैं, यह है कि लाइसेंस प्राप्तकर्ता इन आयातों को, विशिष्ट अवधि के भीतर अफगानिस्तान को सामान्य मूल्य के विशिष्ट भारतीय माल, जिसमें गैर-परम्परागत मदें 15 प्रतिशत से कम न होंगी, के निर्यात द्वारा प्रतिसंतुलित करेगा। ईरान से मेवों के आयात के लिये लाइसेंसों पर कोई विशिष्ट शर्त नहीं लगाई गई हैं।

Export of Refrigerators

578. **Shri Hukam Chand Kachwai:**
Shri Bharat Singh Chauhan:
Shri Bansh Narain Singh:

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state:

(a) the total number of refrigerators exported by India during the years 1967-68 and 1968-69; and

(b) the target fixed for their export during the year 1969-70 and the amount of foreign exchange likely to be earned thereby?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak): (a) The total number of refrigerators electrical and non-electrical together exported during the 1967-68 and 1968-69 are 104 and 167, respectively.

(b) An export target of Rs. 10 lakhs has been fixed for export refrigerators in 1969-70.

Exports by State Trading Corporation

579. **Shri Ram Singh Ayarwal:** **Shri Bharat Singh Chauhan:**
Shri Hukam Chand Kachwai: **Shri Bansh Narain Singh:**

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state:

(a) the total value of orders in terms of rupees received by the State Trading Corporation for the export of Indian goods during year 1969-70 to date;

(b) the total value of order in respect of engineering goods among them; and

(c) the total value of orders received for the export of railway wagons during 1969-70 and the number of wagons proposed to be exported?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak): (a) Rs. 40.97 crores.

(b) Rs. 12.36 crores.

(c) The State Trading Corporation has received orders for railway wagons valued at Rs. 6.38 crores. It is propose to export 120 wagons during this year.

रूस के विदेश मंत्री की रावलपिंडी की यात्रा

580. **श्री जमुना प्रसाद मंडल :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मई, 1969 में रूस के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के बीच हुई बातचीत के बारे में जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). जहां तक हमें जानकारी है सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के विदेश मंत्री ने मई, 1969 में पाकिस्तान की यात्रा नहीं की ।

मैसूर से लौह-अयस्क का निर्यात

581. **श्री जे० एच० पटेल** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में मैसूर राज्य से विभिन्न देशों को लौह-अयस्क की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया ; और

(ख) उसका मूल्य कितना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है जिसमें गत दो वर्षों में विभिन्न बाहरी देशों को मैसूर राज्य से निर्यात किये गये लौह-अयस्क के परिमाण को दिखाया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1314/69

निशान जीपों तथा ट्रकों का निर्माण

584. **श्री एम० एस० ओबराय** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिक ऊंचाई वाले अग्रिम क्षेत्रों में तथा सेना के प्रयोग के लिये निशान जीपों तथा एक टन वाले भारवाहक निशान ट्रकों का जापान के सहयोग से अब भारत में ही निर्माण हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इन निर्माण का वर्तमान कार्यक्रम क्या है और इन वाहनों में प्रयुक्त स्वदेशी तथा आयातित पुर्जों का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि हाल ही में जापान ने इन आयातित पुर्जों के लिये अधिक मूल्य की मांग की है तथा इस बारे में अन्तिम निर्णय किये जाने तक उसके इंजनों तथा अन्य पुर्जों की सप्लाई बन्द कर दी है ; -

(घ) क्या इन वाहनों के इंजनों और अन्य पुर्जों के निर्माण के लिये जिनका इस समय जापान से आयात किया जा रहा है, सम्बन्धित सहयोग करार में कोई व्यवस्था थी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) यह मामला किस प्रकार तय किया गया है ताकि सेना को उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे उक्त अत्यावश्यक वाहन उपलब्ध किये जा सकें ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) निस्सान 1-टन ट्रक और निस्सान $\frac{1}{4}$ टन गश्ती गाड़ियां जापान के सर्वश्री निस्सान मोटर्ज के सहयोग से भारत में उत्पादित की जा रही हैं।

(ख) 1969-70 वर्ष में निस्सान 1-टन ट्रकों के लिये उत्पादन शडूल 200 गाड़ियां प्रतिमास है, और निस्सान गश्ती गाड़ियों के लिये 100 गाड़ियां प्रतिमास। जून 1969 में उत्पादित गाड़ियों के अन्तिम दल में प्राप्त देशीय अंश निस्सान 1-टन गाड़ियों की हालत 45.46 प्रतिशत था और निस्सान गश्ती गाड़ियों की हालत में 33.32 प्रतिशत।

(ग) जापान के सर्वश्री निस्सान मोटर्ज के साथ वर्तमान सहयोग समझौता फरवरी 1970 से समाप्त होने वाला है, और सहयोग समझौते को आगे बढ़ाने के अपने प्रस्ताव के अंश रूप में सर्वश्री निस्सान मोटर्ज ने आयात संघटकों के लिए उच्चतर कीमतों का उल्लेख किया है। मामले पर बातचीत हो रही है। यह कहना ठीक नहीं है कि इस बीच सर्वश्री निस्सान मोटर्ज ने इंजनों और अन्य संधटकों की सप्लाई बन्द कर दी है।

(घ) सहयोग समझौते में इन गाड़ियों के इंजनों और अन्य संधटकों का भारत में उत्पादन के लिये उपबंध है।

(ङ) नई व्हीकिल फैटक्री, जबलपुर ने अपने भवनों के उन भागों में कि जो तैयार है काम अभी शुरू किया ही है। समय पाकर यह फैक्टरी सेवाओं की इन गाड़ियों की आवश्यकताएं जुटाएंगी।

दिल्ली की एक फर्म द्वारा तम्बुओं की सप्लाई के बारे में जांच

585. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 30 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8165 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बुओं को स्वीकार करने में हुई अनियमितता के बारे में की जा रही जांच इस बीच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है तथा सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या अनियमितता अथवा घाटे के लिये किसी व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया गया है तथा मुआवजा मांगा गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) जांच से पता चला है कि दिल्ली फर्म से हटकर तम्बुओं की स्वीकृति में कोई अनियमितता नहीं हुई।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

हथकरघा उद्योग

586. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हथकरघा उद्योग के संबर्धन के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). हथकरघा योजनाएं सर्वदा चलने वाली योजनाएं हैं जो प्रत्येक योजना में चलती रही हैं। इनमें अन्य बातों के साथ हथकरघा योजनाओं पर व्यय करने के लिये राज्य सरकारों/संघीय प्रदेशों को ऋणों तथा अनुदानों का आवंटन भी शामिल है। कोई नई योजना विचाराधीन नहीं है।

लन्दन हवाई अड्डे पर भारतीय व्यापारी को नजरबन्द करना

587. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** :　　　　**श्री न० रा० देवघरे** :
श्री ही० ना० मुकर्जी :　　　　**श्री जनार्दनन** :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 जून, 1969 को एक भारतीय व्यापारी को, जो कनाडा जाने से पहले दो दिन इंगलैंड में अपनी बहन के साथ बिताना चाहता था, ब्रिटिश आप्रवास अधिकारियों द्वारा नजरबन्द कर दिया गया और उसको लक्समवर्ग भेज देने की धमकी दी गई तथा उसको कहा गया कि उसे कनाडा नहीं जाने दिया जायेगा ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसके साथ ऐसा व्यवहार इसलिए किया गया था क्योंकि वह भारतीय था ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का ब्रिटिश अधिकारियों के ऐसे भेदभावपूर्ण रवैये के प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). श्री युधिष्ठिर भल्ला, जिसके पास बम्बई से लंदन तक और लंदन से बैंकुबर तक की एक तरफ हवाई जहाज टिकट थी, 25 जून, 1969 को हेथ्रो हवाई अड्डे पर पहुंच गए। उनके पास कनाडा जाने का न तो कोई प्रवेश-पत्र था, न कोई वैध आप्रवास प्रमाण-पत्र, उनके पास कनाडा के आप्रवासी के रूप में विचार किये जाने का केवल आवेदन-पत्र था। उन्होंने ब्रिटिश आप्रवास प्राधिकारियों को सूचित किया कि वे यूनाइटेड किंगडम में अपनी बहन से और फिर कनाडा में अपने भाई से मिलना चाहते हैं।

यूनाइटेड किंगडम आप्रवास प्राधिकारियों को श्री भल्ला के कथन के सम्बन्ध में कुछ संदेह उत्पन्न हुए और उन्होंने यह महसूस किया कि वे यू० के० में बसने का उपाय निकालेंगे। जब उन्होंने भारत लौटने की टिकट प्राप्त कर ली तब 27 जून, 1969 को उन्हें अपनी यात्रा जारी रखने की अनुमति दे दी गई।

हमारे उच्चायोग ने उच्च-स्तर पर ब्रिटिश सरकार के साथ यह मामला उठाया। ब्रिटिश प्राधिकारियों ने हमारे उच्चायोग को यह आश्वासन दिया कि श्री भल्ला के मामले में कोई भेदभाव नहीं किया गया है और श्री भल्ला के उद्देश्य के सम्बन्ध में उनके संदेह सही हैं, क्योंकि उनके पास भारत लौटने का न तो कोई आवश्यक प्रवेश-पत्र था, न यात्रा-टिकट।

Joint Communique Issued by Pakistan and Tunisia

589 **Shri Bhola Nath Master :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether a reference has been made to Kashmir and Ganga water in the Joint Communique issued in Islamabad after four days visit to Pakistan by the Foreign Minister of Tunisia ;

(b) whether Government consider the said reference to be an interference in the internal affairs of the country ; and

(c) if so, whether Government propose to send a protest note in respect of the said Communique to the Government of Tunisia ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). India's views regarding Kashmir and Farakka have been fully conveyed to the Tunisian authorities during the recent visit of the Tunisian Foreign Minister to India.

जाली निर्यात

590. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **वैदेशिक-व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री सूरत तथा बम्बई में फर्मों द्वारा जाली निर्यात के बारे में 26 मार्च, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 744 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस बीच मामले की जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). मामले की जांच अभी चल रही है।

यूरेनियम की खानें

591. **श्री उमानाथ :** **श्री सी० के० चक्रपाणि :**
श्री भगवान दास : **श्री गणेश घोष :**
श्री के० रमानी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परमाणु ऊर्जा विभाग ने भारत के विभिन्न भागों में यूरेनियम के निक्षेपों का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं तथा वहां पर किस-किस किस्म का यूरेनियम पाया गया है ; और

(ग) उन खानों से यूरेनियम निकालने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). बिहार के सिंहभूम क्षेत्र जहां यूरेनियम के निक्षेप पाये गये हैं, अणु शक्ति विभाग के अन्तर्गत यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा जादुगुडा क्षेत्र वाणिज्यिक खनन किया जा रहा है। बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु में जहां यह पाया गया है वहां जांच की जा रही है। इसके कुछ मामूल निक्षेपों का बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में पता चला है।

हैदराबाद में न्यूक्लीय ईंधन उद्योग समूह

592. **श्री पी० पी० एस्थोस :** **श्री के० रमानी :**
श्री उमानाथ : **श्री अनिरुद्धन :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद में न्यूक्लीय ईंधन उद्योग समूह स्थापित करने में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) उसका ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). हैदराबाद में स्थापित किये जा रहे न्यूक्लीयर ईंधन उद्योग समूह में निम्न संयंत्र हैं :—

(1) यूरेनियम आक्साइड प्लांट

(2) सीरेमिक फुइल फैबरीकेशन प्लांट

(3) जिरकोनियम प्लांट

उत्पादन प्लांट भवनों पर निर्माण कार्य चल रहा है। उपकरणों के प्राप्त करने में काफी प्रगति हुई है। सिरेमिक फुइल फैबरीकेशन प्लांट तथा युरेनियम आक्साइड प्लांट को 1970 के अन्त तक चालू करने का कार्यक्रम है। जिरकोनियम प्लांट को प्रक्रमवार 1970 के अन्त से 1971 के मध्य तक चालू करने का कार्यक्रम है।

समाचार सम्मेलन में सचिवों की उपस्थिति

594. **श्री एस० एम० कृष्ण :** **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**
श्री पी० विश्वम्भरन : **श्री रामचरण :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने ईरान से वापस लौटकर नई दिल्ली में एक समाचार सम्मेलन में भाषण दिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस सम्मेलन में उनके मन्त्रालय के सचिव या किसी अन्य सचिव ने भाग लिया था ; और

(ग) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). जी हां। विदेश व्यापार एवं संभरण मंत्रालय के सचिव जो ईरान जाने वाले प्रतिनिधि मंडल के सदस्य थे, प्रेस सम्मेलन में उपस्थित थे।

नेपाल द्वारा चीन से आयात किये जाने वाले सामान को उतारना

595. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नेपाल द्वारा चीन से आयात किये जाने वाले नेपाली सामान को कलकत्ता में उतार पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये हैं।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या नेपाल सरकार ने भारत सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन भेजा है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

पटसन उद्योग का लागत ढांचा

596. **श्री जुगल मंडल : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रशुल्क आयोग से पटसन उद्योग के लागत ढांचे का पुनर्विलोकन कराने के लिये सहमत हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके निर्देशपद क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां ।

(ख) टैरिफ आयोग से प्रार्थना की गई है कि वह पटसन माल की निम्नलिखित किस्मों के लागत ढांचे की जांच करे :—

(1) कालीन के पीछे लगने वाला कपड़ा ;

(2) हेसियन कपड़ा ;

(3) बोरे (विशेषतः बी ट्विल्स), तथा

(4) विशिष्टियां जैसे कि रुई भरने के बोरे तहदार पटसन का माल । और अपनी रिपोर्ट भेजे जिसमें कच्चे पटसन को पटसन के माल की उपरोक्त किस्मों में बदलने की वास्तविक लागत के सम्बन्ध में उनकी सिफारिशें शामिल हों ।

विदेश मंत्री की अमरीका यात्रा

597. **श्री जुगल मंडल :**
श्री अब्दुल गनी दार :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने जुलाई, 1969 में अमरीका तथा यूरोप के कुछ अन्य देशों की यात्रा की थी ; और

(ख) उन्होंने जिन-जिन देशों की यात्रा की थी, उनके नेताओं के साथ किन-किन विशिष्ट विषयों पर बातचीत की थी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) विदेश मंत्री ने 9 जुलाई से 16 जुलाई तक संयुक्त राज्य अमरीका का दौरा किया । उन्होंने किसी यूरोपीय देश का दौरा नहीं किया ।

(ख) विदेश सचिव और संयुक्त राज्य अमरीका के नेताओं में द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर विचार विमर्श हुआ। इस प्रकार के विचार-विमर्श को उद्घाटित करना, जनहित में ठीक नहीं है क्योंकि उनका स्वरूप ही गोपनीय है।

चौथी योजना में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में धन लगाने सम्बन्धी प्रतिरूप

598. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में धन लगाने का अनुपात 6 : 4 था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के धन लगाने सम्बन्धी प्रतिरूप में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के मध्य यह अनुपात बदल कर 12 : 10 कर दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो गैर-सरकारी क्षेत्रों की तुलना में सरकारी क्षेत्रों में धन लगाने के अनुपात को कम करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र को अधिकाधिक महत्व देने के पक्ष में नीति में कोई परिवर्तन हुआ है, और यदि हां, तो इस परिवर्तन का क्या औचित्य है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख). सरकारी तथा निजी विनियोजन के अनुसार, यदि समस्त रूप से विचार किया जाय तो तीसरी तथा चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के साक्षेप अनुपात प्रश्न में बताये गये हैं। परन्तु संगठित उद्योग में तीसरी तथा चौथी योजना के दौरान सरकारी तथा निजी विनियोजन का अनुपात 6 : 4 है।

(ग) निजी क्षेत्र के लिए, चौथी योजना में जिस उच्चतर स्तर विनियोजन की परिकल्पना की गई है उससे कृषि, लघु व मध्यम उद्योग, सड़क परिवहन और निजी आवास के लिए, अनुमानित विनियोजन अधिक है।

(घ) जी, नहीं।

भारतीय माल का निर्यात

599. **श्री जुगल मंडल : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों को भारतीय वस्तुओं का निर्यात वर्ष 1969 में बढ़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति में मंत्रालय उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेबक) : (क) जी हां ।

(ख) जिन प्रमुख वस्तुओं का निर्यात जनवरी-अप्रैल, 1968 की तुलना में जनवरी-अप्रैल, 1969 में बढ़ा है, उनका एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1315/69]

भारतीय वस्तुओं का पुनर्निर्यात

600. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस आशय की शिकायतें बार-बार आ रही हैं कि भारतीय निर्यातकर्ता एमस्टडेम हैम्बर्ग अथवा जेनेवा जैसी बन्दरगाहों के माध्यम से कुछ भू-बद्ध देशों को जहाजों से प्राय: सामान भेजते रहते हैं तथा इन बन्दरगाहों से अन्य देशों को उस सामान का पुनर्निर्यात करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय अधिकारियों के निरीक्षण के बिना निर्यातकर्ताओं के लिये अपना सामान इन बन्दरगाहों के माध्यम से कैसे भेजा जाता है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). भू-बद्ध देशों को अपने आयात तथा निर्यात दोनों के लिये अनिवार्यत: अन्य देशों के पत्तनों का उपयोग करना पड़ता है । ऐसे पत्तनों से अन्य देशों को संभाव्य पुनर्निर्यातों की छुटपुट सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । जब कभी सरकार को ऐसे मामलों की सूचना मिलती है तभी उनकी जांच की जाती है और आवश्यक होने पर संबद्ध सरकारों से मामले पर बातचीत की जाती है ।

अतारांकित प्रश्न संख्या 2680 के उत्तर में शुद्धि
CORRECTION OF ANSWER TO UNSTARRED QUESTION No. 2680

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : 12 मार्च 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2680 के भाग (क) के उत्तर में दिए गए विवरण में, 1967-68 के दौरान न्यूयार्क में 'सोना' दुकान में हुई विक्रियों के मूल्य को 23.82 लाख रु० के स्थान पर 24.82 लाख रु० पढ़ा जाये ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

केरल के मुख्य मंत्री श्री ई० एम० एस० नम्बूदिरीपाद और श्री अ० कु० गोपालन, संसद्-सदस्य द्वारा दिया गया कथित वक्तव्य

श्री शिवप्पा (हसन) : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के

निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"केरल के मुख्य मंत्री श्री ई० एम० एस० नम्बूदिरीपाद और ए० के० गोपालन, संसद्-सदस्य द्वारा दिया गया यह कथित वक्तव्य कि साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) भीतर से ही संविधान को नष्ट करने का प्रयत्न करेगा और कि केरल तथा पश्चिमी बंगाल में उनकी सरकारों का काम जनता में असंतोष पैदा करना है।"

श्री पी० राममूर्ति (मदुरै) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का क्या प्रश्न है।

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : ध्यान दिलाने वाली सूचना पर व्यवस्था का प्रश्न उठाना आपके अधिकार को चुनौती देना है।

उपाध्यक्ष महोदय : तीन माननीय सदस्यों ने मुझे लिखा है कि वे ध्यान दिलाने वाली सूचना पर व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं। मेरे विचार में उनका प्रश्न उचित है अतः मैंने उनको व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दी है।

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : मंत्री महोदय के वक्तव्य के बाद ही व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है। पहले नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात का निर्णय करना अध्यक्षपीठ का अधिकार है।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : इससे पूर्व ऐसा कभी नहीं हुआ है।

श्री पी० राममूर्ति : इस सभा में इस प्रश्न पर चर्चा किये जाने के बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि किसी सदस्य ने कोई बुरा काम किया है तो उस पर यहां चर्चा की जानी चाहिए। परन्तु इस विशेष मामले में मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है जिसे विकृत कर समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है उसको सभा-पटल पर रखा जाना चाहिए अतः श्री गोपालन को कहा जाना चाहिए कि वह अपने वक्तव्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखें। उस वक्तव्य को सभी सदस्यों में बांटा जाना चाहिए। इसके बाद उनके आचरण पर चर्चा की जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह विचार कल किया गया है कि समाचारपत्रों में प्रकाशित किसी माननीय सदस्य के वक्तव्य पर चर्चा करते हैं तो हमें सम्बन्धित सदस्य को उसकी प्रति सभा-पटल पर रखने को कहना चाहिए विशेषकर जबकि वह ऐसाकरने को तैयार है। (अन्तर्बाधा)

श्री पी० राममूर्ति : मैं नहीं जानता कि वह इस बात के लिये तैयार हैं अथवा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उनसे ऐसा करने को कहूंगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : I also wrote a letter to you in which mentioned that I want to raise a matter under rule 377. Had this been allowed we would have informed Shri Gopalan to come prepared for that, you did not allow that. Now you are responsible for the situation that has arisen.

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री मधोक को बताया था कि मैं इसको स्वीकार करने के साथ-साथ श्री गोपालन को भी सूचना दे रहा हूं। प्रश्नों के पूछे जाने के पश्चात् उनको अपनी बात कहने का अवसर दिया जाना चाहिए। मैंने श्री बाजपेयी के पत्र के बारे में श्री गोपालन को सूचित कर दिया है।

श्री सु० कु० तापड़िया : उनको ऐसा पहले ही करना चाहिए था। वह इस बारे में गृह-कार्य मंत्री को लिख सकते थे।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में श्री राममूर्ति ने अपील की है। यदि माननीय सदस्य अपने भाषण की एक प्रति सभा-पटल पर रखने को तैयार हैं तो **(अन्तर्बाधा)**

श्री नारायण दाण्डेकर (जयनगर) : ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं तथा समाचारपत्रों में छापे समाचारों के आधार पर ही ग्राह्य किया जाता है। कभी भी वक्तव्य की प्रति नहीं मांगी गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु माननीय सदस्य इस समय सभा में उपस्थित हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : Calling attention notice has now been admitted by you. It is not proper to call for a copy of the statement. Had there been any doubt the Hon. Home Minister would have contacted Shri Gopalan and found out the facts. Shri Gopalan, too, would have written to the Hon. Home Minister earlier. Now it is not fair. Let him reply to the calling attention notice.

श्री पीलु मोडी (गोधरा) : माननीय मंत्री को पहले बोलने का अवसर दिया जाये। यदि उसमें कुछ अन्तर हो तो माननीय गोपालन को वैयक्तिक व्याख्या के लिए अवसर दिया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पीलु मोडी को बिना बुलाये नहीं बोलना चाहिये। श्री कंवरलाल गुप्त ने सुझाव दिया है कि तथ्य जानने का काम गृह-कार्य मंत्री का था। परन्तु यदि उन्होंने मूल भाषण की प्रति प्राप्त करने का प्रयास किया हो तो **(अन्तर्बाधा)**

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक मैं श्री राममूर्ति द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर निर्णय न दे लूं आपको नहीं बुलाया जा सकता।

श्री अ० कु० गोपालन (कासरगोड) : मेरे पास भाषणों की प्रतियां हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिए ही मैंने श्री राममूर्ति को व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दी है। यह एक प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्न है अतः मैंने श्री कुन्टे को बुलाया है ताकि इस बारे में कुछ सहायता मिल सके। अब प्रश्न यह है कि क्या गृह-कार्य मंत्री के भाषण से पूर्व हमें श्री गोपालन को अपने भाषण की प्रति सभा-पटल पर रखने की अनुमति देनी चाहिये अथवा नहीं।

श्री दत्तात्रेय कुन्टे (कोलाबा) : श्री राममूर्ति द्वारा उठाया गया प्रश्न विभिन्न कारणों से वैध है, इस सभा की यह दुर्भाग्यपूर्ण प्रथा रही है कि ध्यान दिलाने वाली तथा अन्य सूचनाओं को समाचारपत्रों में छापे समाचारों के आधार पर उनके तथ्यों को जाने बिना स्वीकार कर लिया जाता है। यदि आगे भी ऐसा होता रहा तो कठिनाई उत्पन्न होती रहेगी। जिस समय आपको राममूर्ति से सूचना मिली थी, आपको माननीय सदस्य को बुलाकर बता देना चाहिये था कि यद्यपि ध्यान दिलाने वाली सूचना को स्वीकार कर लिया गया है तथापि इसको कार्यसूची में शामिल नहीं किया जायेगा। कार्यालय को इस बारे में अधिक सावधानी से काम लेना चाहिये।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : यदि आप ध्यान दिलाने वाली सूचना के शब्दों को देखें तो अधिकांश भ्रम दूर हो जायेगा। इसमें तथाकथित शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात सरकार का ध्यान तथाकथित वक्तव्य की ओर दिलाया जा रहा है। सरकार ने अभी तक इस वक्तव्य का अपवाद नहीं देखा है।

श्री अ० कु० गोपालन (कासरगोड) : मैंने 11 तारीख के अपने प्रेस सम्मेलन में इस बात का खण्डन किया है। हो सकता है माननीय मंत्री ने इस खण्डन के समाचार को न देखा हो।

श्री विद्याचरण शुक्ल : आपने ध्यान दिलाने वाली सूचना को स्वीकार कर लिया है अतः हमारे पास जो जानकारी है, हम उसे सभा को देंगे। आपको श्री राममूर्ति द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर निर्णय करना है कि यह तथाकथित वक्तव्य है अथवा नहीं और इसका अपवाद किया गया है अथवा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने अपवाद प्रकाशित करा दिया था। मैंने उसको देखा है।

श्री ई० के० नायनार (पालघाट) : आपने ध्यान दिलाने वाली सूचना को स्वीकार क्यों किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यान दिलाने वाली सूचना का आधार तथाकथित वक्तव्य है। सम्बन्धित सदस्य इस सभा के सदस्य हैं। उनका कहना है कि यह एक प्रकाशित वक्तव्य है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इसका निर्णय आपको करना है कि सरकार इस ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में वक्तव्य दे अथवा नहीं।

श्री राममूर्ति : पूरा भाषण 'देशाभिमानी' में अगले ही दिन प्रकाशित हो गया था। परन्तु गृह-कार्य मंत्री को इस बारे में कुछ पता नहीं है।

श्री सु० कु० तापड़िया : सदा तथाकथित वक्तव्यों के आधार पर ही ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं को स्वीकार किया जाता रहा है और उनका उत्तर दिया जाता रहा है। आज क्या नई स्थिति उत्पन्न हो गई है।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : इसमें माननीय सदस्यों का मूल अधिकार अन्तर्ग्रस्त है। माननीय सदस्य को समाचारपत्रों में उस पर लगाये आरोपों का खण्डन करने का अधिकार है। किसी को सुने बिना उसकी निन्दा नहीं की जा सकती। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आपने ध्यान दिलाने वाली सूचना को स्वीकार कर लिया है। इस मामले में मैं महसूस करता हूं कि श्री गोपालन को वैयक्तिक व्याख्या का अवसर देना चाहिए। इस बात का निर्णय आपको करना है कि उनको कब अवसर प्रदान किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : एक तरीका यह है कि माननीय मंत्री भाषण की वास्तविक प्रति मगायें और तब हम उस पर वाद-विवाद अथवा चर्चा कर सकते हैं। श्री गोपालन वैयक्तिक व्याख्या दे सकते हैं। अतः मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री पहले भाषण की एक शुद्ध प्रति मंगायें और हम इसको कल फिर ले लेंगे।

प्रतिरक्षा मंत्री श्री स्वर्ण सिंह : हम सदा इस बात पर जोर देते रहे हैं कि समाचार-पत्रों में छपे समाचारों पर आधारित ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। आप जो भी निर्णय करें वह हमें स्वीकार है। हम अपनी ओर से इस सूचना का उत्तर देने को भी तैयार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा सुझाव यह है कि पहले इस वक्तव्य को परिचालित किया जाय और उसके बाद इस सूचना को लिया जाये। अथवा वह वक्तव्य की प्रति को सभा-पटल पर रख दें और हम इस पर कल आगे चर्चा करेंगे।

श्री बलराज मधोक : पहले भी ऐसी सूचनाओं को स्वीकार किया जाता रहा है और प्रथा यह है कि सम्बन्धित सदस्य को बाद में वैयक्तिक व्याख्या का अवसर दिया जाता है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि माननीय सदस्य को वैयक्तिक व्याख्या का अधिकार है। अतः इस मामले को कल तक उठा रखना उचित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब माननीय सदस्य सभी बातों को स्पष्ट करने को तैयार हैं तो उनको ऐसा करने का अवसर दिया जाना चाहिये। अब श्री गोपालन अपने मूल भाषण की प्रति सभा-पटल पर रखेंगे।

श्री अ० कु० गोपालन : मैं एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1329/69]

श्री चेंगलराया नायडू : क्या भविष्य में ध्यान दिलाने वाली सूचना देने से पूर्व सम्बन्धित व्यक्तियों को उनके भाषण की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना सम्भव होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले में माननीय सदस्य यहां पर उपस्थित हैं।

श्री नारायण रेड्डी (निजामाबाद) : श्री ई० एम० एस० नम्बूदिरीपाद के बारे में जो सूचना दी गई है उसका क्या बना ?

(तीन) मृत्तिका (सीरामिक) उत्पादों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1969 जो दिनांक 12 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2335 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) निर्यात निरीक्षण परिषद् अंशदायी भविष्य निधि नियम, 1969 जो दिनांक 21 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2413 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) निर्यात निरीक्षण एजेन्सी अंशदायी भविष्य निधि नियम, 1969 जो दिनांक 21 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2414 में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) पी० वी० सी० चर्म वस्त्र का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1969 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 26 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2459 में प्रकाशित हुए थे ।
[पुस्तकालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1296/69]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILLS AND RESOLUTIONS

पचासवां प्रतिवेदन

श्री सोमचन्द सोलंकी (गांधी नगर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का पचासवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

नियन्त्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) विधेयक
COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL'S (DUTIES, POWERS AND CONDITIONS OF SERVICE) BILL

Shri Kanwar Lal Gupta: The permission in this connection has been sought by Shri Morarji Desai who is no longer a Minister. It is, therefore, necessary that your permission for exemption should have been sought for de novo.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) विधेयक पर विचार कर रहे हैं ।

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं भारत के नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक की सेवा की शर्तें निर्धारित करने तथा उनके कर्तव्यों और शक्तियां नियत करने तथा तत्सम्बन्धी अथवा तदानुषंगिक विषयों के लिये विधेयक प्रस्तुत करता हूं ।

करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक
TAXATION LAWS (AMENDMENT) BILL

श्री प्र० चं० सेठी : मैं आयकर अधिनियम, 1961, धन-कर अधिनियम, 1957, दान-कर अधिनियम, 1958 तथा कम्पनियां (लाभ) अधिकर अधिनियम, 1964 में आगे संशोधन करने वाला विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): Sir, this is a Money Bill. Therefore, the permission of President should have been sought for its introduction. If the permission was obtained by the previous Minister, fresh permission should be obtained by the present Minister.

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह तर्क मान लिया जाय तो सरकार नहीं चल सकती। मैं आपकी आपत्ति को स्वीकार नहीं करता हूं।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में
RE: NATIONALISATION OF BANKS

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Sir, the stay order of Supreme Court has no effect on our power to enact laws with regard to bank nationalisation. I would request the Prime Minister to introduce the Bill to replace the ordinance at the earliest opportunity. If the Bill is not introduced, people will term it as a political move and not one motivated by socialistic ideology.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : प्रधान मंत्री को इस सम्बन्ध में आज एक वक्तव्य देना चाहिये कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी विधेयक को तत्काल सभा में पुरस्थापित किया जायेगा। उच्चतम न्यायालय के स्टे आर्डर से स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है, विधेयक तुरन्त लाया जाना चाहिये, वस्तुत: पहिले जब इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई थी तो विधेयक पर विचार करना स्थगित नहीं किया गया था।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : याचिकाओं में बैंकों के राष्ट्रीयकरण को भी चुनौती दी गई है। अत: राष्ट्रीयकरण का समूचा मामला न्यायालय के विचाराधीन है, इस सभा ने किसी ऐसे मामले पर, जो उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन हो, विधान बनाने का प्रयत्न करके पहले कभी अपनी उच्च परम्परा का उल्लंघन नहीं किया है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय देने से पहले विधेयक पारित करना संविधान की भावना के विरुद्ध होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि यदि किसी विषय के किसी भाग पर उच्चतम न्यायालय एक बार कई निर्णय दे तो यह संसद् उस विषय पर विचार नहीं कर सकती।

श्री नारायण दांडेकर : यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है और जिस मामले पर न्यायालय ने निर्णय न दिया हो, उस पर विधान बनाना ही संविधान का उचित सम्मान है।

यह सभा की विधान बनाने की क्षमता का प्रश्न नहीं बल्कि विधान बनाने में औचित्य का प्रश्न है ।

श्री प्र० चं० सेठी : सरकार पहले ही इस मामले पर विचार कर रही है और विधेयक तैयार हो जाने पर शीघ्र ही उसे प्रस्तुत किया जायेगा ।

Shri Atal Bihari Vaipayee (Balrampur) : Even those who are in favour of nationalisation of banks will admit that the Ordinance has been partially rejected by the Supreme Court.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : It has not be rejected. Only a stay order has been issued.

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म०प० के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Launch till Fourteen of the Clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बजकर पांच मिनट म०प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Five Minutes past Fourteen of the Clock

[**श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए**
Shri Vasudevan Nair in the Chair]

Shri Madhu Limaye: I had raised the question of introduction of the Bill to nationalise banks. The Bill should be introduced soon, otherwise you will not be able to get it passed since there will be a demand for referring it Joint Committee.

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं इस मामले की अविलम्बनीयता तथा महत्व के प्रति पूरी तरह जागरूक हूं । मैं यह सभी बातें प्रधान मंत्री के ध्यान में लाऊंगा ।

Shri George Fernandes (Bombay South) : The Bill is ready and it should be introduced by tomorrow.

Shri Rabi Ray : The Minister should inform when the Bill is going to be introduced.

सभापति महोदय : मंत्री महोदय ने सभी बातें सुनी हैं और वह प्रधान मंत्री को इससे अवगत करायेंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं संसद् कार्य मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि तिरुचिरापल्लि में आयुध कारखाने के दो हजार श्रमिकों ने हड़ताल कर दी है । माननीय मंत्री को इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देना चाहिए ।

Shri George Fernandes : 12 persons have been shot dead in Bihar. There is President's rule in Bihar. It is a very serious matter. I request that Notice with regard thereto should be admitted immediately.

सभापति महोदय : आप यह मामला उपाध्यक्ष महोदय के पास उठा सकते हैं ।

भारतीय रेलवे (दूसरा संशोधन) विधेयक—जारी

INDIAN RAILWAYS (SECOND AMENDMENT) BILL—Contd.

Shri Sheo Narain (Basti): The number of ticketless travellers caught on the Railways during a period of four months was 39, 93, 123. The opposition is scolding the Government for the fine being increased to Rs. Ten with a view to check the ticketless travelling. I request the Government to provide arms to ticket collectors for their security. Their life is endangered. I have personal experience about it.

The Government has been charged with blackmailing but they have increased the amount of fine from 8 annas to Rupees 10 only to wipe out dishonesty and corruption.

I want the members of Railway Board to see that the work is done honestly. If the arrangements similar to those obtaining in foreign railways are made in Indian railways, the number of ticketless travellers will not be as large as 39 lakhs at present. Much improvement is required on that score.

The Railway Minister should improve the shortcomings and if he cannot do that, he should quit the office. The Railway Minister is not a weak person. He should improve upon the working of the Railway Board.

Shri Shiv Chander Jha (Madhubani) : The aim of my amendment to clause 3 is that there should penalty of Rs. 2/- in place of proposed Rs. 10/-. The Railway Department charges heavy fines on ticketless travel, but alongwith the same it should also realise its responsibility towards the public. It should pay due attention to the provision of amenities to the travelling public. The drinking water is not available on all stations. Sheds have not been provided on Railway Stations and passengers have to wait in sun and rain. I know about the miserable conditions in Bihar State. The already sanctioned schemes are not implemented due to red tapism. No attention is paid to the difficulties of public.

The behaviour of Railway employees is very rude. First of all Government should set its own house in order. The amount of penalty should not be increased so much. We should create such atmosphere that people do not travel without ticket. With these words I move my amendment.

श्री नम्बियार (तिरुच्चिरापल्लि) : अब सरकार बिना टिकट के यात्रा करने वालों पर 50 पैसे की बजाय 10 रुपये का जुर्माना करने की व्यवस्था करने जा रही है । मुझे रेलवे के कार्य के बारे में जानकारी है । रेलवे वाले कहते हैं कि एक यात्री से 50 पैसे प्राप्त करना सरल है अब जब उससे 10 रुपए प्राप्त करने होंगे तो कठिनाई होगी ।

कई बार ऐसे भी होता है टिकट मिलने की खिड़की पर अधिक भीड़ होने के कारण लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं । उन्हें अब पकड़े जाने पर 10 रुपये का जुर्माना देना होगा । इसके

लिये रेलवे को अधिक चैकिंग करनी होगी। अब रेलवे को अपनी ओर से अधिक व्यय करना पड़ेगा। अत: मैं प्रस्तावित वृद्धि को ठीक नहीं समझता। अब गाड़ियों में एक अथवा दो टिकट चैकर नहीं हुआ करेंगे। अब तो एक टोली छापे मार कर चैंकिग किया करेगी।

हम बिना टिकट के यात्रा के पक्ष में नहीं हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि लोग 10 रुपये जुर्माना देने के समर्थ नहीं हैं। बिना टिकट के यात्रा एक आर्थिक मामला है। इसे अन्य तरीकों से दूर करना होगा। जुर्माना 10 रुपये न करके 2 रुपए किया जाना चाहिए। मेरा रेलवे मंत्री से अनुरोध है कि इस प्रस्तावित प्रावधान को वापिस ले लें।

डा० राम सुभग सिंह : हम जुर्माना लगाकर अपनी आय नहीं बढ़ाना चाहते। हम यह चाहते हैं कि लोगों में बिना टिकट के यात्रा करने की प्रवृत्ति समाप्त हो। मैं उनकी सलाह नहीं मान सकता।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 2

पंक्ति 5 से 7 के स्थान पर निम्नलिखित रखिये :

Page 2.—

Amendment of Section 113

for lines 5 to 7, **substitute**—

'3. In section 113 of the Principal Act, in sub-section (3),—

(a) in the opening paragraph, for the words "fifty nape paise", the word "ten rupees" shall be substituted;

(b) in the first proviso, for the words "nearest multiple of five naye paise, or fifteen naye paise", the words "nearest multiple of five paise, or five rupee" shall be substituted.'

धारा 113 का संशोधन [3. मूल अधिनियम की धारा 113 में उपधारा 3 में,—

(क) आरम्भिक कंडिका में 'पचास नये पैसे' के स्थान पर 'दस रुपये' रखे जायें ;

(ख) प्रथम परन्तुक में शब्द "पांच नये पैसे अथवा 15 नये पैसे की निकटतम गुणा" के स्थान पर "पांच पैसे, अथवा पांच रुपये की निकटतम गुणा" शब्द रखे जायें]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय द्वारा सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

All the other amendments were put and negatived

खण्ड 3

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 3 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3 as amended was added to the Bill

खण्ड 4 (नया)

सभापति महोदय : अब हम खण्ड 4 (नया) को लेते हैं ।

संशोधन किया गया ।

पृष्ठ 2, पंक्ति 7 के बाद निम्नलिखित रखिये :

["4. (1) The Indian Railways (Amendment) Ordinance, 1969 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the Principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the Principal Act as amended by this Act as if this Act had come into force on the 10th day of June, 1969".]

["4. (1) भारतीय रेलवे (संशोधन) अध्यादेश 1969 को एतत रद्द किया जाता है ।

(2) रद्द किये जाने के होते हुए उक्त अध्यादेश के अनुसार मूल अधिनियम के अन्तर्गत की गई कार्यवाही को इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अन्तर्गत माना जायेगा और यह अधिनियम 10 जून, 1969 से लागू समझा जायेगा ।"]

(डा० राम सुभग सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 (नया) विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 4 (नया) विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 4 (New) was added to the Bill

खण्ड 1

संशोधन किया गया

"Indian Railway (Second Amendment) Act, 1968"

[भारतीय रेलवे (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1968] के स्थान पर

"Indian Railways (Amendment) Act, 1969"

[भारतीय रेलवे (संशोधन) 1969] रख दिया जाये ।

(डा० राम सुभग सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 1, as amended, was added to the Bill

अधिनियम सूत्र

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 1

"उन्नीसवां" के स्थान पर "बीसवां" रख दिया जाये

(डा० राम सुभग सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

"अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

The enacting formula, as amended, was added to the Bill

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The title was added to the Bill.

डा० राम सुभग सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।

That the Bill, as amended, be passed"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

Shri Onkar Lal Berwa : There is no quorum in the House.

सभापति महोदय : गणपूर्ति है ।

श्री नम्बियार : मंत्री महोदय इसे पारित कराने पर तुले हुए हैं । अब यात्री जनता और

चैकिंग करने वालों में झगड़े बढ़ जायेंगे। टिकट चैक करने वालों के लिये सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी।

डा० राम सुभग सिंह : इन सभी बातों पर पहले ही विचार किया जा चुका है। वैसे हम इनको ध्यान में रखेंगे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 108 : विपक्ष में 51

Ayes 108 ; Noes 51

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

विधि विरुद्ध गतिविधियां (निवारण) संशोधन विधेयक

UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) AMENDMENT BILL

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधि विरुद्ध गतिविधियां (निवारक) अधिनियम, 1967 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

यह एक साधारण विधान है। संसद् ने 1967 में पहले ही मूल अधिनियम पारित किया है। उस समय हमें यह कानूनी राय मिली थी कि इसको जम्मू तथा काश्मीर राज्य में लागू करने में कोई कठिनाई खड़ी नहीं होगी। वैसे इसे देश के सभी भागों पर लागू किया भी जाना चाहिए। बाद में हमें बताया गया कि इस बारे में एक छोटा सा संशोधन किया जाना आवश्यक है। इसीलिए अनुच्छेद 170 के अन्तर्गत राष्ट्रपति का एक आदेश जारी किया गया था। उसके अन्तर्गत इस सभा को अधिकार दिया गया था कि यह कानून के द्वारा इस विधेयक के प्रावधानों को जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर भी लागू कर सकती है।

मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम इस विधेयक के द्वारा मूल विधेयक को जम्मू तथा काश्मीर पर लागू करना चाहते हैं। मुझे आशा है कि सभा इसका अनुमोदन करेगी।

जब 1967 में मूल विधेयक लाया गया था तो यह शंकाएं प्रकट की गई थीं कि यह विधेयक प्रतिपक्ष वालों का दमन करने के लिए लाया गया है। अब यह कानून लगभग दो वर्षों से लागू है। उस कानून को बड़े ध्यान से प्रयोग में लाया गया है। केवल एक संगठन—मिजो नेशनल फ्रन्ट—को इसके अन्तर्गत गैर-कानूनी घोषित किया गया है। यह संगठन हिन्सात्मक ढंग से देश के

एक भाग को अलग करने का प्रयत्न कर रहा था। उस कानून का किसी प्रकार से दुरुपयोग नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में माननीय सदस्यों को इस कानून को जम्मू तथा काश्मीर पर लागू करने पर कोई आपति नहीं होगी ।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। हमने सरकार को इस कानून के अन्तर्गत बहुत अधिकार दे दिये हैं। यह बताया गया है कि इसे बहुत कम प्रयोग में लाया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि साम्यवादियों के नक्सलबाड़ीवादी संगठन को इस कानून के अन्तर्गत विधि विरुद्ध घोषित क्यों नहीं किया गया है। आंध्र प्रदेश में इसके नेता ने विधान सभा की सदस्यता से इसी कारण त्यागपत्र दिया था कि वह सदस्यता से अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकते थे। यह उन्होंने खुले रूप में घोषित किया था। सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। आज उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश तथा पूर्वी तट के अन्य भागों में उक्त संगठन वालों ने अराजकता फैला रखी है। पुलिस की वे परवाह नहीं करते। सरकार ने ऐसी स्थिति में इस कानून का प्रयोग नहीं किया है तो उसको पारित करने का क्या लाभ है। आज हमारी सरकार एक ही मार्ग की ओर चली जा रही है। मेरा मंत्रिगण से अनुरोध है कि वे विचार करें कि वे किधर जा रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिये। देश की रक्षा के अपने दायित्व को इसे जिम्मेदारी से निभाना होगा।

काश्मीर में बहुत अनेक संगठन हैं। उनमें कई ऐसे हैं जिन्होंने लोगों में जहरीला प्रचार किया है। इस क्षेत्र से देश को बहुत खतरा हो सकता है। मैं आशा करता था कि हमें वहां की स्थिति के बारे में बताया जायेगा। वहां का एक संगठन देश की एकता के विरुद्ध कार्यवाहियां कर रहा है। एक पड़ोसी देश भी इस क्षेत्र पर बुरी नजर से देख रहा है। क्या सरकार अब देश विरोधी तत्वों से कठोरता से निपटेगी ? मेरा दल काश्मीर को बहुत महत्व देता है। सरकार को अधिक कारगर ढंग से कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये। वहां के देशभक्त लोगों को प्रोत्साहित करके वातावरण में शान्ति लाई जानी चाहिये। वैसे मुझे इस सरकार की योग्यता में विश्वास नहीं है।

श्री वेदव्रत बरुआ (कलियाबोर) : ऐसे मामलों पर हमें उदार दृष्टिकोण अपना चाहिये। संविधान का उल्लंघन दो तरह से किया जाता है— एक तो ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जो ऐसा करने की घोषणा करते हैं ; दूसरे ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो निदेशक सिद्धान्तों की अवहेलना करते हैं। इन उल्लंघनों में निहित उद्देश्यों की ओर ध्यान देना चाहिये। कभी हम राष्ट्रीय एकता को दृढ़ करने के अभिप्राय से किसी भी बात को दबाने का यत्न करते हैं। क्षेत्रीय भेदभाव तथा आर्थिक असमानताओं का देश में घटने वाली बातों से सम्बन्ध है। कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनके कार्यकलापों से विभिन्न सम्प्रदायों एवं क्षेत्रों के प्रति घृणा फैल सकती है। बल प्रयोग द्वारा प्रशासनिक एकता बनाए रखना देश के वास्तविक हित में नहीं हो सकता। हमें मूलभूत राष्ट्रीय एकता बनाये रखने के लिये निरन्तर चिन्तन करते रहना चाहिये। यदि हम किसी

एक पहलू पर अधिक बल देंगे तो हमें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। यदि भाषावार राज्य विकेन्द्रीकरण के सहायक हैं तो ऐसे राज्यों को समाप्त करना अभिकेन्द्रीकरण में सहायक हो सकते हैं जिससे एकता का नया मार्ग प्रशस्त हो सके। हमारे कानून सारे देश के लिये एक से होने चाहिये परन्तु वे काश्मीर पर लागू नहीं होते। नागालैण्ड के लिये हम कानून तो बनाते हैं परन्तु उनको लागू नहीं कर पाते हैं। काश्मीर में इस धर्म निरपेक्षता का युद्ध लड़ रहे हैं। यदि भारत में धर्म-निरपेक्षता समाप्त हो जाती है तो वह काश्मीर में बची नहीं रह सकती। भारत में दृढ़ भावना है कि "काश्मीर हमारा है" वास्तव में हमें कहना चाहिये कि काश्मीर को अभी भी हमारे संरक्षण की आवश्यकता है। जनमत संग्रह मोर्चा अब भी जनमत की बात करता है। परन्तु वास्तव में कोई भी देश अपने किसी क्षेत्र को बहुत समय तक विवाद का विषय नहीं रहने दे सकता। हमारा काश्मीर सरकार पर विश्वास होना चाहिए और जब वे जिन शक्तियों को आवश्यक समझे वे उन्हें दी जानी चाहिये।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। समाज की धारणा के अनुकूल ही हमें संविधान में परिवर्तन करना चाहिए।

Shri Yajna Datt Sharma (Amritsar): The Government have Laws in its hands by which it can fill the anti-social elements creating unrest and disunity in the country.

The Plebiscite Front is clearly declaring that it has not intention to keep Kashmir in India. It wants freedom for the State so that the decision may rest with them for uniting with India or Pakistan. These people have decided to fight the elections with a view to fulfil their declared aims. Shri A. K. Gopalan and Shri Namboodripad also talk of amendment of the constitution according to their own line of thinking. How do the Government propose to deal with the persons who are going for the division of the country and also believe in elections?

Did the Government of Kashmir punish these elements which helped Pakistan in 1965? The Government does not have the courage to deal with these elements.

There is no use having too many of laws when the Government does not make use of exixting Laws. It will be like giving tonic to the dead.

Why is it that our constitution is not applicable to Kashmir in toto. If the Government would deal with anti-national elements in the way they deserve, then only this proposed law can have some use.

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू तथा काश्मीर) : जब कभी भी किसी कानून को जम्मू तथा काश्मीर में लागू करने का अवसर आता रहा है, उसे राज्य के प्रतिनिधि उसका स्वागत करते रहे हैं। प्रायः सभी वर्ग बार-बार आग्रह करते रहें हैं कि इस बारे में एक मुश्त कार्यवाही की जाये।

'विधि विरुद्ध कार्यकलापों' की कोई निश्चित परिभाषा दी जानी चाहिये। श्री गजेन्द्र गडकर आयोग ने संकेत दिया है कि राज्य में आर्थिक विकास के क्षेत्र में क्षेत्रीय असमानताएं विद्यमान हैं। जम्मू के लोग अथवा लद्दाख के लोग जब ऐसी असमानता के विरुद्ध आन्दोलन

करते हैं, तो यदि उसे गैर-कानूनी कार्यवाही माना जाता है तौ मैं ऐसे कानून का समर्थन नहीं कर सकता। उस आयोग की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की गई थी, तो भी उसमें केन्द्र की किसी तरह की स्वीकृति तो थी ही, इसलिये केन्द्र की भी जिम्मेदारी है कि आयोग की उचित सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा सके।

प्रस्तुत कानून के बिना भी राज्य सरकार के पास पर्याप्त शक्तियां हैं जिनसे कि विघटनकारी तत्वों से निपटा जा सकता है मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

जनमत संग्रह मोर्चे का पंचायतों तथा नगरपालिका के चुनावों में आना तथा 1972 में आम चुनाव में भाग लेना अच्छी बात है। प्रजातान्त्रिक पद्धित में ऐसे कदमों का स्वागत ही किया जाना चाहिये।

हम भी, शेख अब्दुल्ला, अफजल बेग तथा जनमत मोर्चे के अन्य सदस्यों की कार्यविधियों के विरुद्ध हैं। परन्तु यदि वे देश की राजनीति के मुख्य प्रवाह में सम्मिलित होना चाहते हैं तो उसमें हमें बाधा नहीं बनना चाहिये।

जम्मू तथा काश्मीर राज्य में चीन तथा पाकिस्तान से खतरा अब भी बना हुआ है। 1965 में हमें सरकार की सतर्कता का आश्वासन दिया गया था। सरकार को सही मानों में सतर्क रहना चाहिये। इस विधेयक में निहित शक्तियों का राजनीतिक प्रयोग जम्मू और लद्दाख की जनता के विरुद्ध नहीं होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि): इस विधेयक में गैर-कानूनी कार्यकलापों की परिभाषा स्पष्ट दी गई है। राज्य मंत्री की व्याख्या के अनुसार भारत संघ से किसी भाग के पृथक्करण की मांग ही गैर-कानूनी मानी जायेगी। मेरा दल सम्पूर्ण भारत से सम्बन्धित है। श्री रंगा ने कहा है कि श्री नागी रेड्डी के विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई जबकि उसने विधान सभा से त्यागपत्र देने के पश्चात कहा था कि इस संविधान से जनता की भलाई नहीं हो पायेगी अतएव दूसरे उपाय काम में लाने चाहिये।

कुछ सदस्य चाहते हैं कि जो कोई भी यह कहता है कि संविधान भंग कर दिया जाये, उसे इस कानून के अन्तर्गत लेना चाहिये।

श्री नम्बूदरीपाद तथा श्री ए० के० गोपालन ने यह नहीं कहा कि संविधान को पूर्णतः भंग कर देना चाहिये जिससे कुछ भी शेष न बचे। उन्होंने साम्यवादी सिद्धांत को दुहराया है कि राज्य के वर्तमान उपकरण को खण्डित करके एक नया उपकरण खड़ा करना चाहिये, जो श्रमशील व्यक्तियों का हो। हम ऐसे कानून चाहते हैं जो श्रमिकों का पूरा हित करने वाला हो। यह साम्यवाद के प्रसिद्ध सिद्धान्त हैं। श्री मधोक द्वारा व्यक्त विचारों में कोई नवीनता नहीं है। ये लोग किसी न किसी बहाने साम्यवाद को हानि पहुंचाना चाहते हैं। क्या श्री बलराज मधोक का दल संविधान में परिवर्तन नहीं चाहता।

बलराज मधोक : संविधान में संशोधन करेंगे ।

श्री नम्बियार : आप संशोधन की बात करते हैं और वे नष्ट करने की बात करते हैं । इस पर आप साम्यवादी दल पर रोक लगाने की बात क्यों कहते हैं ?

भारत के साम्यवादी आन्दोलन का लक्ष्य देश की वास्तविक शक्ति श्रमिकों को दिलाना है । हम चाहते हैं कि श्रम करने वाले व्यक्ति ही उपयोग करें और जो श्रम नहीं करते वे भूखे मरें । परन्तु दुख की बात है कि हमारे देश में इसके विपरीत दशा है । कानून भी ऐसे लोगों के हित में बनाए गये हैं । इसीलिये हम कहते हैं, कि "कानून भंग करो" । यह विचारधारा जनता की समझ में आनी चाहिये । अभी जो अध्यादेश जारी हुआ उसे उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया । उक्त न्यायालय तथा संविधान जनता की आकांक्षाओं को धूल में मिला देता है । इसीलिये हम संविधान बदलना चाहते हैं और उच्चतम न्यायालय की शक्तियां नियमित करना चाहते हैं ।

Shri Gunanand Thakur (Saharsa) : Has the Government consulted the Jammu and Kashmir Government in this regard? The fact that these laws are enacted not with consent of the people of the State but for the sake of strengthening the hands of the Government which has already became weak.

The Laws are made and exercised for the benefit of few.

At present there are non-Congress Governments in some of the States and Centre should not enact laws that may tamper the relationship of Centre with the States. This Law is being enacted to crush the opposition parties. Various patriots were arrested only for vested interests. I fear that this act will also be used for Party interests.

With these words I support the bill.

श्रीमती इला पालचौधरी (कृष्ण नगर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं । परन्तु मैं अपने माननीय मित्र से इस बात में पूरी तरह से सहमत हूं कि जम्मू और काश्मीर को हमारे प्रत्येक विधान से अलग रखा गया है और इसी कारण लोगों के दिलों में भेदभाव अत्पन्न हो गया है । अब प्रत्येक विधान जो भी पास होता है, जम्मू और काश्मीर को उसके अन्तर्गत लाने के लिये, उसमें संशोधन करना पड़ता हैं ।

जम्मू और काश्मीर बहुत सामरिक महत्व का क्षेत्र है और वहां आये दिन घुसपैठ के समाचार मिलते हैं और अवैध रूप से हस्तगत करे काश्मीर के भाग से छापेमार दस्तों को प्रशिक्षण दिया जाता है । यह सब भारत को कठिनाई में डालने के लिये ही है । इस अधिनियम के अन्तर्गत जिसको जम्मू और कश्मीर में लागू किया जा रहा है इन लोगों के विरुद्ध सख्ती से काम किया जाना चाहिये । इस बात का पता नहीं चलता कि यह न्यायाधिकरण किस तरह कार्य-संचालन कर रहा है क्योंकि इस अधिनियम को सारे देश में लागू कर दिया गया है । उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल में बहुत से अवैध कार्य किये गये हैं जो जनता के हितों के लिये हानिकर हैं । लोगों से आग्रह किया जाता है कि वे रक्तिम क्रान्ति लाएं । क्या इसी को राष्ट्रीयता कहते हैं । श्री नम्बूदरीपाद तथा श्री ए० के० गोपालन संविधान को नष्ट करना चाहते हैं । विधिविरुद्ध

क्रियाकलाप निवारक अधिनियम अथवा न्यायाधिकरण ने जो इन चीजों की देखभाल करता है, किस प्रकार से कार्य किया। पश्चिम बंगाल में गांवों को जलाया गया, लोगों की हत्या की गई, स्त्रियों पर बलात्कार किये गये बच्चों को घरों से फैंक कर मारा गया। परन्तु इस अधिनियम के अन्तर्गत कुछ नहीं हुआ। सामाजिक तथा धार्मिक संस्थानों को नष्ट कर दिया गया है, अथवा जला दिया है। यह एक सदस्यीय न्यायाधिकरण ने क्या किया है। काश्मीर के सम्बन्ध में विशेषरूप से धर्म निरपेक्षया के प्रश्न के सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार करना चाहिये। क्योंकि जब काश्मीर में धर्म-निरपेक्षता का प्रश्न आता है तो देश के उस भाग की कोई सुरक्षा नहीं रहती। बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक इन दोनों साम्प्रदायों को अपने आपको पूर्ण सुरक्षित एवं भारत के नागरिक समझना चाहिये और उनके धार्मिक विचारों के मार्ग में कोई भी व्यवधान नहीं आना चाहिये। यह सच है कि जहां कहीं भी अल्प-संख्यक अपने आपको सुरक्षित समझते हैं, वहां यह स्वयं सिद्ध बात है कि सरकार का कार्य व्यापार सुचारु रूप से चलता रहे।

हमें अपने सैनिक जवानों की प्रशंसा करनी चाहिए जो हमारी सीमाओं पर शान्ति एवं व्यवस्था की रक्षा कर रहे हैं तथा काश्मीर, लद्दाख एवं अन्य स्थानों पर हमारे सीमान्त की रक्षा कर रहे हैं इसके अतिरिक्त हमारे सीमान्त सड़क संस्थान का कार्य भी बहुत अधिक प्रसंसनीय है।

अत: एक सदस्यीय न्यायाधिकरण अपना कार्य करे और लोगों के कार्य का समर्थन करे। जहां कहीं भी उनको रक्षा की आवश्यकता पड़े तो यह सहायता तुरन्त पहुंचाई जाए। हमारे सैनिकों की तरह ये भी प्रशंसनीय महान कार्य करें और अल्प-संख्यक समुदाय की सहायता करें ताकि ये भी अपने आपको भारत के नागरिक मानें तथा उनमें किसी प्रकार का भेदभाव पैदा न हो अत: मैं विधेयक का समर्थन करती हूं।

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : Sir, this bill is against the spirit of freedom of association and freedom of speech, guaranteed in our constitution and now this Bill is going to be extended to Jammu and Kashmir and this would be used against democratic activities and the legitimate demands of the people; this Bill will equip Government to declare any association illegal which in the opinion of the Government is not good or which is not in the interest of the Government. There was a time when most inhuman penalties were given to the offenders but even then crimes or sins could not be checked. Now if the Hon. Minister thinks that he could stop or eradicate crime by passing such legislation, I think that is not possible today.

It is now evident that Government would ruthlessly suppress all the democratic movements through this Act. This act would be used as a weapon to crush the poor and exploited group of poor people when they are forced to resort to violent acts against the capitalists. Government cannot impose this act on the actual unlawful activities by the political parties like Jana Sangh, Swatantra, because these are the parties of the Capitalists. This act should not be extended to Jammu and Kashmir unless their problems are solved. The people of Kashmir are facing some problems which require immediate solution. Instead of solving the problems of the poor people of the country Government has taken up to crush them. They are called

naxalites communists and even unlawful etc. In my opinion there is no necessity of enacting this legislation for the State of Jammu and Kashmir and other states. Government is already equipped with other such legislations which can be used against such activities. I shall request the Hon. Minister to withdraw this bill as this is against the spirits of our constitutions. Despite Preventive Detention Act already in force Government, has not been able to check unlawful activities. Life and property of common man is not secure even in Delhi, Police has become inactive and Government has not arrested any suspected man under this preventive detention act. Only those people are harassed and detained who want to lead the country on the path of progress and want to bring about Socialistic pattern of Society in true sense of the word. I do not think any problem of Kashmir or the country will be solved with this act. There is no need of this act. Therefore I stand to oppose this Bill.

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : इस विधेयक को पास करने से पूर्व हमने इसका बहुत विरोध किया कि इसके द्वारा इस देश के लोगों की उचित तथा न्यायसंगत मांगों एवं उनके अधिकारों तथा लोकतन्त्रात्मक क्रियाकलापों का सरकार दमन करेगी। परन्तु इस विधेयक के पारित होने के उपरान्त हमें यह शंका बिल्कुल नहीं रही कि कांग्रेसी मनुष्यों ने ही विधि विरुद्ध क्रियाकलापों में भाग लिया और समाज विरोधी तत्वों को बढ़ावा दिया जाये। आन्ध्र प्रदेश में जो आन्दोलन चल रहा है वह न्यायसंगत है और उसको दबाने के लिए वहां के कर्मचारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदली की जा रही है। वहां के लोगों की मांगें उचित हैं जो वहां पर बढ़ रही असमानताओं एवं असन्तुलनों को दूर कराने के लिए हैं। इन विधि विरुद्ध क्रियाकलाप विधेयक को उन प्रादेशिक असन्तुलन को दूर करने के बजाए वहां के लोगों के विरुद्ध प्रयोग में लाया जा रहा है। ये कांग्रेसी ही हैं जो विधि विरुद्ध एवं समाज विरोधी तत्वों को पैदा करने में लगे हुए हैं। तेलंगाना के सम्बन्ध में किए गए करार को वर्तमान मुख्य मंत्री श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने अभी तक कार्यान्वित नहीं किया है क्योंकि वह स्वयं भी डांवाडोल स्थिति में हैं। सहस्रों लोगों की भावनाओं का दमन करके उन्हें जेलों में बन्द किया जा रहा है। परन्तु अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। सरकार जो भी कानून पास करती है उन्हें लागू करने की उसमें शक्ति नहीं जिससे यह सिद्ध हो गया है कि लोकतन्त्रवाद में बहुत अधिक विधानों की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि इनके पास और कोई काम नहीं होता इसलिए ये कानून बनाकर अन्धकार के गर्त में फेंक देते हैं और जब चुनावों का समय आता है तब इनका प्रयोग ये अपने विरोधी राजनीतिक दलों के विधिवत क्रियाकलापों का दमन करने के लिए करते हैं। सरकार ने अपने 20 वर्षों के शासन काल में लोगों की बेरोजगारी की समस्या, आर्थिक असंतुलन आदि की समस्या को अभी तक हल नहीं किया है और लोग जब आन्दोलन करते हैं तो उन्हें दबाया जाता है। अतः सरकार लोगों के विरोधी दलों की न्यायसंगत मांगों और भावनाओं को क्यों दबाती है ?

प्रत्येक राज्य में प्रतिदिन सरकार की नीतियों और विधानों के विरोध में आन्दोलन होते रहते हैं।

तेलंगाना के सम्बन्ध में श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने, क्योंकि उन्होंने राज्य में अनिश्चितता पैदा कर दी इसलिए लोग चाहते हैं कि राज्य का पूर्णरूप से विभाजन हो जाए। उन्होंने देश के लिए

एक अजीब स्थिति उत्पन्न कर दी है। सरकार ने श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी के विरुद्ध इस अधिनियम के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की है ?

इस अधिनियम को लागू करने से पूर्व सरकार यह देखे कि इस देश की प्रत्येक समस्या का समाधान हो जाए। इस देश में जितने भी विधि विरुद्ध क्रियाकलाप हो रहे हैं वे सब कांग्रेस संस्था एवं सिण्डिकेट के द्वारा ही हो रहे हैं। क्या इस सिण्डिकेट के सदस्यों को गिरफ्तार करने की हिम्मत श्री शुक्ल जी में है ? यदि वे ऐसा कार्य करते हैं तो उन्हें अपने घर की राह लेनी पड़ेगी।

अतः मंत्री महोदय से नम्र निदेदन है कि इस अधिनियम को क्रियान्वित करने से पूर्व देश की तमाम राज्य सरकारों से परामर्श करने का सदन को आश्वासन दें क्योंकि अब सारे राज्यों में कांग्रेसी सरकार नहीं है।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मुझे खेद है कि अधिकांश सदस्यों ने इस विधेयक के उपबन्धों को पढ़ा नहीं है। इस विशेष उपाय को जो मैंने सदन में प्रस्तुत किया केवल उसके प्रयोग के सम्बन्ध में वैधानिक शंकाओं के दूर करने के लिये ही है और जिसे इस सदन में जम्मू और काश्मीर के लिये पहले ही पास कर दिया है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि इस अधिनियम में विधि विरुद्ध के क्रियाकलाप हैं जिनसे देश के किसी भाग को देश से अलग करने की मांग की जाए अथवा उन्हें बढ़ावा दिया जाये। जहां तक विधि का सम्बन्ध है विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का यह संकुचित अर्थ है।

नक्सलवादियों के द्वारा उत्पन्न स्थिति बहुत गम्भीर है और उसे काबू में करने के लिये उपाय हैं। परन्तु जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है वह नक्सलवादियों का दमन करने के लिये नहीं है। इनके कार्य राष्ट्रविरोधी हैं, हिंसक हैं, लोकतंत्र विरोधी हैं और हमें इनका सामना करना है और इसके लिये हमारे पास उपाय हैं। यह विधेयक देश में हिंसात्मक स्थिति पैदा करने वालों के विरुद्ध नहीं है। वास्तव में यह अधिनियम इसके लिए बहुत कारगर होता। परन्तु जब यह अधिनियम मूल रूप में सभा सदन में प्रस्तुत किया गया तो सारे विपक्षी दलों के नेता तत्कालीन गृह-मंत्री श्री नन्दा से मिले और उन्होंने कहा कि यदि इस प्रकार की शक्ति सरकार को दी गई तो विरोधी दल अपने आपको सुरक्षित नहीं समझेंगे। उन्होंने सरकार को प्रेरित किया कि जो शक्ति वह इस विधेयक के अन्दर प्राप्त करना चाहते हैं उसे वह हटा दें। अतः इस विधेयक के अन्तर्गत सरकार को उन्हीं तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति रह गई जो देश के किसी भाग को देश से पृथक करने के लिये लोगों को प्रोत्साहन देते थे। इसलिये जब इन उपायों का संशोधन होता है तो यह कहना निरर्थक है कि सरकार ने उन सब लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की।

अब सदन में जब नक्सलवादी एवं इसी प्रकार की अन्य गतिविधियों का दमन करने का

प्रश्न उठा तो गृह मंत्री ने कुछ विपक्षी दलों के नेताओं को मंत्रणा के लिये आमंत्रित किया ताकि हम एक अन्य विधेयक सदन में प्रस्तुत कर उन तत्वों का दमन करने की शक्ति प्राप्त करें जो देश की प्रगति और संविधान के विरुद्ध हों। जब तक सरकार को यह शक्ति प्राप्त नहीं होती, चाहे सरकार किसी भी दल पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय ले ले परन्तु इसे कार्यान्वित करने के लिये उसके पास वैधानिक शक्ति तो नहीं है। देश में संकटकालीन स्थिति में संविधान की व्यवस्था के अन्तर्गत भारत रक्षा नियम के अधीन सरकार को यह शक्ति प्राप्त थी, परन्तु जब यह संकटकालीन स्थिति हटा ली गई है तो अब सरकार किसी दल पर प्रतिबन्ध नहीं लगा सकती।

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय ने नक्सलवादियों की गतिविधियों का उल्लेख किया है और इस समस्या का सामना करने के लिये वे विधान बनाना चाहते हैं। कलकत्ता से 22 तारीख का एक समाचार आया है कि श्री संजीव रेड्डी अपने चुनाव के पश्चात इस सरकार का तख्ता उलट कर सारे भारत में राष्ट्रपति का शासन लागू करेंगे। ये अफवाहें स्वतंत्र पार्टी एवं टाटा की ओर से हो रही हैं और इन समाचारों के अनुसार इस देश में कुछ समय तक इस प्रकार की तानाशाही होनी आवश्यक है। क्या इस प्रकार की गतिविधियां इस अधिनियम के क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं तथा क्या सरकार इस प्रकार की अफवाहों के विरुद्ध कोई उपाय करेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये बातें सब बेकार की करते हैं। मैं पहले बता चुका हूं कि यह विधेयक इस अधिनियम को जम्मू और काश्मीर राज्य पर लागू करने के लिये नहीं हैं परन्तु यह वैधानिक शंका को दूर करने का प्रयत्न करता है कि क्या इस अधिनियम को जम्मू और काश्मीर पर भी लागू किया जा सकता है अथवा नहीं। जब इस विधेयक को मूल रूप में सभा सदन में प्रस्तुत किया तो यह जम्मू और काश्मीर समेत सारे भारत पर लागू होने के लिये प्रस्तुत किया गया था। परन्तु इसके पश्चात जब विधि पण्डितों से परामर्श किया गया तो उन्होंने यह शंका पैदा कर दी। अतः इस विधेयक को इस शंका को दूर करने के लिये प्रस्तुत किया गया है कि यदि 1967 में पारित अधिनियम के अन्तर्गत जम्मू और काश्मीर में कोई कार्यवाही की जाये और यदि उसके लागू करने के सम्बन्ध में कोई शंका हो तो इसको भी जम्मू और काश्मीर पर लागू किया जाये अथवा नहीं। इसीलिये इस संशोधन विधेयक को प्रस्तुत किया गया है। इस विधेयक का यह सीमित उद्देश्य है। यह अधिनियम के रूप में नहीं है, जिसको जम्मू और काश्मीर पर लागू किया जा रहा है। मैं सही स्थिति प्रस्तुत करना चाहता था।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : क्या मंत्री महोदय विधि मंत्रालय से प्राप्त दोनों वैधानिक राय सभा-पटल पर प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे। यदि विधि मंत्रालय यह कहता है कि इस विधेयक को भी जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं किया जा सकता तो क्या अन्य संशोधन अधिनियम पारित किया जायेगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अन्तर्मंत्रालयों के टिप्पण सभा-पटल पर नहीं रखे जाते ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : यदि सरकार ने विधि मंत्रालय की राय ले ली है तो सदन उस राय की जानकारी प्राप्त करने का अधिकारी है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जितनी जानकारी मैं दे सकता हूं मैंने दे दी है ।

अतः मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

अब हम इस विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे ।

खण्ड 2

सभापति महोदय : श्री अब्दुल गनी दार का संशोधन है । वे यहां नहीं हैं, इसलिए संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । अतः खण्ड 2 सभा में मतदान के लिये प्रस्तुत किया जाता है ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 2 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3 was added to the Bill

सभापति महोदय : अब मैं खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम सबको एक साथ सभा के मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, the Enacting Formula, and the title were added to the Bill.

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाये ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : The Bill itself is an evidence of the fact that the Government has not been able to properly run the affairs of the country as a whole. We strongly depriciate this way of amending laws. The Government had told the joint select committee that the original measure applied to Jammu and Kashmir also. But, now it is being told that it would not apply to that State. I want to ask who gave the advice first and, who raised the doubt later, and whether a similar situation would not arise in future.

The Government brings legislation with unseemly haste but sleeps over their implementation. It is no use to give more powers to the Government unless they exercise them. There is no question of opposing the Bill provided the Government are firm in their decision and determined to implement the law.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : It is still doubtful whether doubts would not be raised after the Bill has been passed. A person who indulges in secessionist activities is liable to be punished under the provision of the Bill. But I fail to understand why stringent action is not taken against those in the Government who have surrendered our territory to other countries. For instance, we have transferred the ownership of a part of Runn of Katch to Pakistan, Kachacha Tivu Island to Ceylon and similarly have lost an area covering 50 thousand sq. miles to China.

There were repeated public demands in the past which were considered to be undue, unjustified, uncalled for and unlawful by the then Governments. But there are instances not in Indian history alone but in the world history also when the same were treated as genuine proper and justified at later stages. It is therefore, very difficult to define what is lawful and what is unlawful. The country is faced with many problems today, but our Government is not capable of handling them properly with the result that there is a widespread unrest in every part of the country.

With these words I strongly oppose the Bill which will, in my opinion, undermine democracy in the country.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : When the original measure was brought before the House, it was told that the Bill applied to the whole of India including the State of Jammu and Kashmir and that it brought with a view to dealing with certain secessionist elements which were raising their ugly heads in the country. Some people and areas were also mentioned in this connection.

But in this connection neither any effort was made to identify the problems of those people of the areas nor was any attempt made to find out their solutions. In so far as Hill areas of Assam are concerned, we had to form a separate Hill State for them. In order to forestall the eruption of secessionist tendency, it is absloutely necessary for us to determine and adhere to certain principles and find out permanent solutions to those problems.

Shri P. K. Deo (Kalahandi): The Swantantra Party has a separate candidate.

श्री स० मो० बनर्जी : इन किस्म की खबरें दी जा रही हैं श्री राष्ट्रपति के चुनाव के बाद श्री संजीव रेड्डी सारे देश में राष्ट्रपति का शासन लागू कर देंगे और फिर सात अथवा दस वर्ष तक कोई चुनाव नहीं होगा तथा सब लोकतन्त्रात्मक आन्दोलनों को सख्ती से कुचल दिया जायेगा ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : इस किस्म की मनघड़न्त कहानियां वही लोग कहते हैं जिनकी विचारधारा रूस द्वारा समर्थित 'पैट्रियट' समाचार पत्र से मिलती जुलती है तथा जो इस देश की लोकतंत्रीय संस्थाओं को समाप्त करना चाहते हैं। श्री एस० एम० बनर्जी इस प्रकार की बात कह कर समस्त सभा का अपमान कर रहे हैं। भारत में प्रजातंत्र कायम है तथा कायम रहेगा। सभा का अध्यक्ष होने के नाते श्री संजीव रेड्डी ने प्रजातंत्र की रक्षा की है और हमें आशा है कि राष्ट्रपति होने पर वह प्रजातंत्र की रक्षा करेंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं तो यह समाचार एक समाचार पत्र से पढ़ रहा हूं ।

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : आज ही प्रातः यह कहा गया था कि हमें समाचार पत्र के समाचारों पर अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिये। अब वह फिर वह समाचार पत्र पढ़ रहे हैं ।

सभापति महोदय : इसी समाचार को पहले तीन बार पढ़ा जा चुका है। अब वह इसे पुनः क्यों पढ़ना चाहते हैं ?

श्री स० मो० बनर्जी : मैं इसे केवल इसलिये पढ़ रहा हूं कि महाराजा साहब ने कहा था कि हम देश भक्त व्यक्ति नहीं हैं। इस देश में केवल महाराजा ही देश भक्त हैं ।

श्री प्र० के० देव : क्या यह सब बातें संगत हैं ?

श्री स० मो० बनर्जी : जी हां, संगत हैं। यदि भारत से अलग होने की अफवाहें फैलाना, संविधान को भंग करने की अफवाहें फैलाना तथा प्रजातंत्र को समाप्त करने की अफवाहें फैलाना अपराध है तो श्री जे० आर० डी० टाटा जैसे व्यक्तियों को तुरन्त गिरफ्तार किया जाना चाहिए ।

मेरा निवेदन यह है कि इस विधेयक को जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर लागू करके उस राज्य की सरकार को अधिक शक्तियां नहीं दी जानी चाहियें, क्योंकि ऐसा करने से लोगों के अधिकारों को कुचल दिया जायेगा। हमने देखा है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को तथा अन्य कर्मचारियों को किस बुरी तरह कुचला जा रहा है। इसलिये मैं माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस बात को सुनिश्चित करें कि इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया जायेगा। मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री ने यह कहा है कि इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया जायेगा। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह "पैट्रियट" से इस बात की पूरी छानबीन करें कि इस प्रकार के समाचारों के उत्तरदायी कौन लोग हैं और उन्हें दण्ड दिया जाना चाहिये ।

श्री बलराज मधोक कभी-कभी परस्पर विरोधी वक्तव्य दे देते हैं। वह पहले एक दिन एक वक्तव्य दे देते हैं तथा अगले दिन उसका खण्डन कर देते हैं। उन्होंने एक ऐसे पत्र का भी समर्थन किया था जिसमें यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि श्री फरूद्दीन अली अहमद ने अब पुनः विवाह किया है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि अफवाहें फैलाने में वह कहां तक जा सकते हैं।.

इसलिये मैं श्री शुक्ला से निवेदन करता हूं कि वह इस समाचार के स्रोत की जांच करें तथा स्वतन्त्र पार्टी, श्री जे० आर० डी० टाटा और अन्य लोगों की जिन्होंने यह समाचार परिचालित किया है, गतिविधियों पर नजर रखें।

श्री इन्द्रजीत मलहोत्रा (जम्मू तथा काश्मीर) : मंत्री महोदय ने कहा है कि इस विधेयक को जम्मू तथा काश्मीर पर लागू करने के बारे में कुछ कानूनी सन्देह प्रकट किये गये थे। यह एक गम्भीर मामला है। क्या उन कानूनी सन्देहों को दूर करने में दो वर्ष का समय लगा है। क्या एक गम्भीर बात है कि उन कानूनी खामियों को दूर करने में दो वर्ष का समय लगा है। मेरा अब सरकार से यह निवेदन है कि उन सब खामियों को पूर्ण रूप से दूर किया जाना चाहिये और इस समूचे विधेयक को पूर्ण रूप से जम्मू तथा काश्मीर पर लागू किया जाना चाहिये।

Shri Abdul Gani Dar (Gurgaon) : I had been a Member of this Parliament since last eight years and it has been my opinion since the very beginning that this Government is not clear in their mind that Jammu and Kashmir in an integral part of India. If they are clear and honest in their thinking that Jammu and Kashmir is ours, it is an integral part of India, then why this should be said again and again that this measure will be applicable to Jammu and Kashmir and that measure will not be applicable to that State. If they are clear in their minds then why those thousands of our brave soldiers who shed their blood for the sake of the country were compelled to come back from Hajipir. A road is being constructed at the height of 16000 feet in Shinkyang. This territory is in our country and they have no right to construct any road in our territory. Why they are being allowed construct this road ? We are a free nation and we should not bow under the pressure of any country. We must hold our head high. The Government must take a bold decision in regard to Kashmir and their decision should not be influenced either by Shri Sadiq or Shri Kashim or Seikh Abdullah. The integrity of the country should be the sole basis of their decision.

The unlawful activities are not being committed in Jammu and Kashmir alone. Lawlessness is the order of the day through out the country. In Assam Marwari people had been beaten but there was no body to protect them. Bengalis have been beaten, but no body saved them. Whatever is going on in Telengana is wellknown to all. So my submission is that whosoever breaks the law should be punished. There should be no separate provisions for Jammu and Kashmir. The then ruler of Kashmir has annexed his State with India and as such there is no reason why there should be a separate provision for that State.

I have no objection if a man being prosecuted and punished under the unlawful activities (Prevention) Act. This Act should be enforced in Jammu and Kashmir also in the same manner as it is being enforced in other States of India.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): The loyal citizens should not be afraid of this Act. Such laws are enforced Throughout the country including Jammu and Kashmir. This Bill has been brought before the House to correct the mistake committed in the previous Act. The Mizo National Front was declared unlawful under this very Act. We will derive benefit from this law where ever it is considered neeessary. But we want that no body should say that this law is being used for oppressing the political opponents. Nobody should have any doubts about the intentions of the Bill. I hope the House will support it.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) संशोधन विधेयक
COAL BEARING AREAS (ACQUISITION AND DEVELOPMENT) AMENDMENT BILL

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) अधिनियम, 1957 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये ।"

12 जून 1957 को कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) अधिनियम, 1957 के पास होने से पूर्व कोयला खानों के विकास हेतु भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के भाग दो के अन्तर्गत भूमि का अर्जन किया जाता था। भूमि अर्जन का कार्य 1956-57 में जारी की गई छः अधिसूचनाओं से आरम्भ किया था। कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत इस अधिनियम को उस तारीख से लागू समझा गया है जिस तारीख को अधिसूचनायें जारी की गई थीं।

कोयला वाले क्षेत्र अधिनियम की धारा 28 की उप धारा (2) के अनुसार भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व जारी की गई अधिसूचनाओं को कोयला वाले क्षेत्र अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत जारी किया गया समझा जायेगा।

इसी प्रकार कोयला वाले क्षेत्र अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (3) में यह व्यवस्था है कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 5 क के अन्तर्गत उठाई गई आपत्तियों को उपरोक्त अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत उठाई गई आपत्तियां समझा जायेगा ।

कोयला वाले क्षेत्र अधिनियम की धारा 28 के इन उपबन्धों का यह प्रभाव होगा कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की सम्बन्धित धाराओं के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं को कोयला वाले क्षेत्र अधिनियम को समान धाराओं के अन्तर्गत जारी किया गया समझा जायेगा ताकि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत शुरू किये गये भूमि अर्जन के मुकदमों को बिना वही अधिसूचनाएं जारी किये चलाया जा सके।

भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4 (1) के अन्तर्गत जारी की गई छः में से चार अधिसूचनाओं के मामले में कोयला वाले क्षेत्र अधिनियम की धारा 28 के उपबन्धों को लागू करने में कोई कठिनाई नहीं थी।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

परन्तु शेष दो अधिसूचनाओं के बारे में कठिनाई उत्पन्न हो गई थी क्योंकि कोयला वाले क्षेत्र अधिनियम की धारा 28 में मामूली त्रुटि रह गई थी। त्रुटि यह थी कि इसमें ऐसे मामले को निपटाने का, जिसमें भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 5 क के अन्तर्गत कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है। कोई उपबन्ध नहीं था। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में की गई लेख याचिका में जिसमें इनमें से एक अधिसूचना की वैधता को चुनौती दी गई थी, अर्जन कार्यवाही को अवैध घोषित कर दिया गया था।

अतः कोयला वाले क्षेत्र अधिनियम की धारा में इस आशय का स्पष्टीकरण संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया कि जिन मामलों में भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत अर्जन कार्यवाही आरम्भ की गई थी और इस अधिनियम की धारा 5 क के अन्तर्गत कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई थी उन मामलों में कोयला वाले क्षेत्र अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है जैसे कि अधिसूचना इस अधिनियम की धारा के अन्तर्गत जारी की गई हो और धारा 8 के अन्तर्गत कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है।

अतः यह एक साधारण विधेयक है और मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) अधिनियम, 1957 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

Shri Suraj Bhan (Ambala) : This question has arisen with regard to certain cases in Madhya Pradesh. In order to harass certain land owners, it is said that their land has coal deposits. I would request the Minister to first obtain the expert opinion with regard thereto. A time limit should also be fixed with regard to the exploration for coal after acquisition. The cultivator Should be allowed to till the land until the explorations begin. If after exploration no coal is found, the land should be returned to the previous owner after getting it levelled. The Acts should not come into force with retrospective effect.

Shri Maharaj Singh Bharti (Meerut) : In view of the objection of the court, the Government has thought it necessary to bring this Bill but the Government have not taken into account the harassment likely to be caused to the farmer. He cannot adopt any other profession after his land has been taken away. The compensation paid to the farmers varies in accordance wilh his capacity to agitate. The compensation in Uttar Pradesh is far less as compared to the compensation in Delhi.

The mineral resources ought to be exploited. There are no two opinions about it but why should the farmer, who has been displaced from his land not be given first preference in employment. The compensation given is very inadequate.

The gas, which is availabe from coal being turned into coke, is being washed and no effort has been made by the Government to exploit it. This is resulting in loss of crores of rupees to the nation. If you are not in a position to make use of it, you have no right to extract it. The Minister should take all these things into consideration.

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : It is proposed to give rights of extracting coal to coal Mines owners. Here it should be borne in mind that these Mine owners do not adhere to the laws enacted by this parliament.

There are two coal mines being run by Englishmen in Assam for the last 100 years. They are exploiting the labour. But Government are not paying any attention towards this. The Government, while giving this right to miners, should remove the difficulties of the workers. The mine owners are not concerned with the good of the country.

Instead of enacting such laws why does not the Government nationalise the coal mines, thereby removing most of the ills ? Why the Government is not able to catch hold of these owners who violate the laws ? There are vital political motives behind this attitude of the Government.

Raja Ramgarh owns mines in Dhani as well. Many workers were killed in an accident in that mine. An enquiry committee was appointed to go into it. But the findings of that committee were not implemented as the Raja has 14 M.L.A's. with him.

Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Sidheswar Prasad) : Your party gave a lead in the matter.

Shri Ramavtar Shastri : Our party has shown various paths to the Government, but the Government is not prepared to adopt those paths. The Government has taken first step in that direction, by nationalising Banks. Let nationalisation of coal mines be the next step. Your association with former rulers should come to an end. We praise the good work done by the Government. The Swatantra Party, Jan Sangh or the Janta party will not bring socialism. Our party alone will do it. We shall finish them in the fight. Withdraw this bill and instead of it put up proposal for nationalisation of coal Mines.

Shri P. G. Sen (Purenea) : The rates of Bricks have risen in Purenea due to shortage of coal, from Rs. 50-60 to Rs. 80/-. The Government ought to keep an eye on the distribution of coal.

The farmers from whose lands coal is extracted should be suitably compensated. Arragement be made for distribution of second grade coal to various places, so that this may be utilised by farmers and there by cow-dung may be utilised as fertiliser.

The problem of unemployment of Mining Engineers has taken a serious turn. Their cases should not be rejected on some technical or any other grounds. Maximum use of their knowledge be made.

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon): It was hoped that by the progessive use of Deisel in Railways, the coal would be available for the poor people at cheaper rates. But that did not happen.

The persons whose land is occupied by the Government should be allowed to take up the matter in the court of law.

Shri Banerji has stated that according to Swatantra party when Shri N. Sanjiva Reddy takes over as president, he would defy the laws. Why such statements are not contradicted by Congress Party?

Are not the farmers from whose land minerals are found made partners in this enterprize? The Government should consider that aspect of it deeply and nationalise this industry.

श्री जगन्नाथ राव : अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की गई थी, परन्तु कोई आपत्ति उसके विरुद्ध नहीं आई।

माननीय सदस्यों ने जो कोयले के उपयोग की बात यहां उठाई है उसका विचाराधीन विधेयक से सम्बन्ध नहीं है। कोयला निकालने के लिये भूमि अधिग्रहण करते समय पहले खोज के लिये लाइसेंस दिये जाते हैं और बाद में खुदाई में पर्याप्त भण्डार के उपलब्ध होने की सम्भावना देखकर ही खानों की पट्टेदारी राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है। मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही किया गया था।

क्षतिपूर्ति, भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा नियत की जाती है और यदि भूमि स्वामी उसके निर्णय से सन्तुष्ट नहीं होता तो वे मामला जिला न्यायालय में ले जा सकता है। 1957 के कानून के अन्तर्गत प्रतिकर समझौते से तय किया जाता है और यदि समझौता नहीं हो पाता तो अधिकरण नियुक्त किया जाता है।

श्रमिक कानूनों के पालन न किये जाने की बात कही गई है। इस बारे में मुझे आश्चर्य है कि श्रम संगठन संस्था क्या कर रही है। केन्द्रीय सरकार का इस बारे में कोई क्षेत्राधिकार नहीं है?

कोयला वेतन बोर्ड पंचाट को कई खानों ने लागू नहीं किया। जब वे ऐसा करेंगे तभी उनके निविदा पत्र रेलवे द्वारा स्वीकार किये जाएंगे। आग तथा दुर्घटनाएं राज्य सरकार का विषय है। हम निम्न श्रेणी के कोयले का खाद तथा बिजली के उत्पादन में उपयोग करना चाहते हैं। कोयले के भण्डारों का पूरा उपयोग किया जा रहा है। उत्तर-प्रदेश आदि क्षेत्रों में निम्न श्रेणी का कोयला भेजा जा रहा है।

Shri Ramavtar Shastri : How will the fire in the coal mines could be controlled.

श्री जगन्नाथ राव : धनबाद और आसनसोल के सभी कोयले की खानों में आग लगी हुई है। ऐसा समय आ सकता हैं कि दोनों नगरों को खाली कराना पड़े। खानों के संतोषजनक एवं वैज्ञानिक ढंग से चलाने के लिये उपाय किये जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) अधिनियम 1957 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाय।"

खण्ड 2

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मैं विधेयक पर संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं।

बहुत बातें यहां की गई हैं परन्तु उच्च न्यायालय के जिस निर्णय के कारण यह विधेयक रखा गया है उस पर विचार नहीं हुआ। 1894 के भूमिग्रहण अधिनियम के अनुसार अधिसूचनाएं आवश्यक हैं। 1957 के अधिनियम की उपधारा 7 तथा 9 के अन्तर्गत अधिसूचना दी गई। 1894 के अधिनियम की कुछ सूचनाएं 1957 के अधिनियम पर भी लागू समझी गई थीं। मसौदा तैयार करने वाले से किसी प्रकार भूल हो गई और जब मामला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में गया तब वहां निर्णय लिया गया कि जब 5 A धारा के अन्तर्गत आपत्तियों को धारा 8 के अन्तर्गत समझा जाना चाहिये था, जैसे कि घोषणा की गई थी।

अब जो अधिग्रहण की व्यवस्था रखी जा रही है, वह दोषपूर्ण है। यदि जनहित में आवश्यक हो तभी अधिग्रहण होना चाहिये। अधिक प्रतिकर की व्यवस्था उदारता से की जानी चाहिये।

श्री जगन्नाथ राव : जो दो मामले उच्च न्यायालय गये थे उनमें प्रतिकर देकर मामलों को निपटा दिया गया। दोनों मामलों में प्रतिकर दे दिया गया है, अतएव संशोधन अनावश्यक है।

संशोधन संख्या 4 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 4 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 1

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1 पंक्ति 4,—

2. "1967" के स्थान पर "1969" रखिये

(श्री जगन्नाथ राव)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 1 को संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1 as amended was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र संशोधन किया गया

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

"अठारहवें" के स्थान पर "बीसवें" रखिये ।

(श्री जगन्नाथ राव)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियम सूत्र संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The title was added to the Bill.

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : संविधान के अन्तर्गत किसी भी सम्पत्ति को मुआवजे का उपबन्ध किये बिना अर्जित नहीं किया जा सकता । इस विधेयक के द्वारा मुआवजा दिये बिना ही अर्जन सम्बन्धी कार्यवाही को वैध बनाया जा रहा है । अतः यह सभा इस विधेयक को पारित करने के लिये सक्षम नहीं है ।

श्री जगन्नाथ राव : जहां तक मुआवजे का सम्बन्ध है कोयला क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) अधिनियम 1957 की धारा 13 से 17 तक में मुआवजा भुगतान सम्बन्धी प्रक्रिया दी गई है। फिर मुआवजा सम्बन्धी विवादों के निपटान के लिये एक न्यायाधिकरण भी नियुक्त की गई है । उच्च न्यायालय द्वारा बताई गई कुछ कमियों को वैध रूप देने के लिये इस विधेयक को लाया गया है ।

Shri Shri Chand Goyal (Chandigarh): Sir, I welcome this measure to the extent it will remove the lacunae pointed out by the High Court. I am at one with Shri Mishra that unless provision is made in this Bill for the payment of compensation it will work hardly against the persons whose property is acquired. The second thing is this that in the name of public interest Government acquires land at very low rates and the benefit from this accrues only to a few people. This results in great injustice to the people. Another difficulty is that the persons whose lands are acquired are not given to any alternative accommodation even for the construction of a house for their personal use.

श्री जगन्नाथ राव : इन सब बातों को मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं। इस अधिनियम के अन्तर्गत हम कोई नई भूमि अर्जित नहीं कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

दण्ड तथा चुनाव विधियां संशोधन विधेयक

CRIMINAL AND ELECTION LAWS AMENDMENT BILL

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दण्ड संहिता की, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898, और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में आगे संशोधन करने वाले और कतिपय आपत्ति-जनक विषयों के मुद्रण और प्रकाशन के विरुद्ध उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।

देश की साम्प्रदायिक स्थिति पर इस सभा ने कई बार चिंता व्यक्त की है और सरकार से अनुरोध किया गया है कि साम्प्रदायिक हिंसा तथा साम्प्रदायिक घृणा भड़काने वाले मुट्ठीभर लोगों के विरुद्ध प्रभावशाली कार्यवाही की जानी चाहिये। इस उद्देश्य की पूर्ति करना ही विधेयक का प्रयोजन है।

राष्ट्रीय एकता परिषद ने सिफारिश की थी कि साम्प्रदायिक गतिविधियों के दण्ड के लिये भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153-क में समुचित संशोधन किया जाना चाहिये। उसने यह भी सिफारिश की थी कि यह अपराध ऐसा अपराध होना चाहिये कि पुलिस इसमें हस्तक्षेप कर सके। और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तगत इसे अनर्हता समझा जाना चाहिये। धार्मिक स्थानों पर ऐसी बैठकें नहीं होनी चाहिये जिनसे साम्प्रदायिक द्वेष बढ़े। एक सिफारिश यह थी कि सरकार को भड़काने वाली और गलत खबरों को छापने से रोकने की शक्ति होनी चाहिये।

इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करना है। इस विधेयक के खण्ड 2 में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153-क के क्षेत्र को दिया गया है। इस धारा के क्षेत्र का विस्तार करके इसमें जन्म स्थान तथा रिहाइश से सम्बन्धित कारणों पर

विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता या घृणा की भावना को बढ़ावा देने की बात शामिल की गई है। इसमें, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153-क के अन्तर्गत किया गया अपराध यदि धार्मिक स्थान पर किया गया हो, तो 5 साल की कैद का भी उपबन्ध है। विधेयक के खण्ड 3 में सन्सनी फैलाने वाली खबरों के सम्बन्ध में परिषद की सिफारिशों को शामिल किया गया है किन्तु इस सम्बन्ध में संयुक्त समिति की सिफारिश के अनुसार समाचार-पत्रों को किसी हद तक संरक्षण दिया गया है। खण्ड चार में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153-क में दिये गये अपराधों को पुलिस हस्तक्षेपीय अपराध बनाया गया है जो अब तक गैर-हस्तक्षेपीय अपराध थे। खण्ड 5 में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153-क था संशोधित धारा 505-क के अन्तर्गत अपराधों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत एक अयोग्यता बनाया गया है। जहां तक समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता का संबंध है हमने इस मामले में बड़ी सावधानी बरती है। अतः हमने प्रकाशकों तथा पत्रकारों की एक सलाहकार समिति बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ताकि उनके विरुद्ध किसी शक्ति का दुरुपयोग न हो सके। मैं विधेयक को सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ "कि भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में आगे संशोधन करने वाले और कतिपय आपत्तिजनक विषयों के मुद्रण और प्रकाशन के विरुद्ध उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाय।"

इसके पश्चात लोक सभा गुरुवार, 24 जुलाई, 1969/2 श्रावण 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday the 24th July 1969/ Sravana 2, 1891 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow. 18-10-69—600.